पंचम माला, खंड 56, अंक 13, शुक्रवार, 23 जनवरी, 1976/3 माघ, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVI, No. 13, Friday, January 23, 1976/Magha 3, 1897(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र / Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 56 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. LVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13, शुक्रवार, 23 जनवरी, 1976/3 माघ, 1897 (शक)

No. 13, Friday, January 23, 1976/Magha 3, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 245, 246, 248 से 251, 254, 255, 257, 258, 261 और 263	Starred Questions Nos 245, 246, 248 to 251, 254, 255, 257, 258, 261 and 263 .	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 247, 252, 253, 256, 259, 260, 262, 264 और 265	Starred Questions Nos. 247, 252, 253, 256, 259, 260, 262, 264 and 265 .	18—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 1086 से 1184	Unstarred Questions Nos. 1086 to 1184 .	23—75
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	75—78
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	78—79
दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक—	Delhi Rent Control (Amendment) —	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Bill as passed by Rrjya Sabha . . .	79
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee —	
189वां प्रतिवेदन	Hundred and eighty-ninth Report .	79
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	Committee on Government Assurances—	
14वां प्रतिवेदन	Fourteenth Report . .	79
सभा का कार्य	Business of House	79—80
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
58वां प्रतिवेदन	Fifty-eighth Report	80

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign (+) marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the Floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैंड), 1975–76—	Supplementary Demands for Grants (Nagaland), 1975-76—	
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented . . .	80
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडेचेरी), 1975–76—	Supplementary Demands for Grants (Pondicherry), 1975-76—	
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented . . .	81
प्रेस परिषद् (निरसन) विधेयक—	Press Council (Repeal) Bill—	
पुरःस्थापित	Introduced	81
प्रेस परिषद् (निरसन) अध्यादेश के बारे में विवरण—	Statement *re.* Press Council (Repeal) Ordinance—	
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	81
भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक—	Indian Railways Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi . . .	81—82,84
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	82
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	82—83
श्री नरसिंह नारायण पांडेय	Shri Narsingh Narain Pandey .	83
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	83
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	83
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail . . .	83–84
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	84
खण्ड 2, 3 और 1—	Clauses 2, 3 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	85
बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक—	Bonded Labour System (Abolition) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . .	85—87,92
श्री वीरेन दत्त	Shri Biren Dutta . . .	87
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi . .	87—88
श्री एम० कतामुतु	Shri M. Kathamuthu . . .	88
श्री धरनिधर दास	Shri Dharnidhar Das . . .	88—89
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa . . .	89
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	89
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar . . .	89-90
श्री एस० एम० सिद्दय्या	Shri S. M. Siddayya . . .	90

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री गिरिधर गोमंगो	Shri Girdhar Gomango .	90—91
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . . .	91
श्री अनादि चरण दास	Shri Anadi Charan Das . . .	91
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	91
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai .	91
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 22, 32 आदि का संशोधन) — श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा— विचार करने का प्रस्ताव—	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 22, 32 etc.— by Shri Dinen Bhattacharyya— Motion to consider—	
वाद विवाद स्थगित—	Debate Adjourned—	
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder . . .	92—93
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya .	93
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	94
डा० वी० ए० सईद मोहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad .	94
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	
कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि विधेयक—वापस ले लिया गया (धारा 1; 2 आदि का संशोधन) श्री पी० एम० मेहता द्वारा— विचार करने का प्रस्ताव—	Employees Provident Fund and Family Pension Fund (Amendment) Bill—Withdrawn— (Amendment of Sections 1, 2, etc.) by Shri P. M. Mehta— Motion to consider—	
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta .	95—97, 101—02
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma . . .	97
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail . . .	97—98
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	98—99
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen . . .	99—100
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	100
श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	100—01

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 23 जनवरी, 1976/3 माघ, 1897 (शक)

Friday, January 23, 1976/Magha 3, 1897 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जनता भविष्य निधि योजना

*245. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में "जनता" भविष्य निधि योजना आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख). अल्प बचत करने वालों के लाभ के लिए जनता भविष्य निधि स्कीम शुरू करने का एक सुझाव प्राप्त हुआ है। इस स्कीम की व्यावहारिकता और इसके ब्यौरे की विस्तृत जांच किए जाने की जरूरत है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री राम सहाय पाँडे : माननीय मंत्री ने अभी यह बताया है कि एक सुझाव दिया गया है। मेरे कुछ सुझाव हैं। प्रथम तो मैं यह जानना चाहता हूं कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अल्प बचत का विचार किस व्यक्ति के दिमाग की उपज हैं ? दूसरे यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय बचत आन्दोलन शहरी क्षेत्र में अधिकाधिक स्वत: नियोजित लोगों तक पहुंचे और उनकी आय का एक भाग हथिया लिया जाये। अत: एक नई योजना की आवश्यकता समझी गई जिस पर केन्द्र द्वारा शीघ्र विचार किया जायेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय बचत आयुक्त ने यह सुझाव दिया है। योजना की मुख्य रूपरेखा यह है कि यद्यपि हमारे पास गत 7 या 8 वर्षों से चली आ रही लोक भविष्य निधि योजना है तथापि वह जनता भविष्य निधि योजना के नाम से जानी जायेगी और इससे लगभग वही लाभ मिलेंगे जो

भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध हैं । पहली योजना वर्ष में 100 रु० से 20,000 रुपये के बीच जमा करने वाले व्यक्ति पर लागू होगी । जनता भविष्य निधि योजना में यह प्रत्याशित किया गया है कि 25 रु० या इससे अधिक जमा करने वाला व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा और ब्याज की ऊंची दर दी जायेगी । यह भी सुझाव दिया गया है कि वर्तमान योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली रियायत तथा छूट इस विशेष योजना के अन्तर्गत नहीं दी जानी चाहिए । ये कुछ एक मुख्य बातें हैं । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपबन्ध भी किया गया है। जमाकर्ता के असामयिक मृत्यु के मामले में उसे समय से पूर्व वही राशि मिलेगी । दूसरा पहलू यह है कि यह अल्प बचत योजना शहरी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होगी और यह ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू होगी ।

राष्ट्रीय बचत आयुक्त और अन्य जमा संस्थानों का यही प्रयास है और मेरे विचार में हम इस दिशा में अच्छी प्रगति कर रहे हैं ।

श्री राम सहाय पाँडे : पहले चरण में टैक्सी-चालक, रिक्शा चालक, बीड़ी और पान बेचने वाले दुकानदार जैसे स्वत: नियोजित व्यक्तियों पर लागू होगी । क्या यह सच नहीं है कि योजना को जनता योजना बनाने हेतु ब्याज की दर बढ़ा कर वाणिज्यिक बैंकों की दर के समान लाने के लिए सुझाव दिये गये हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मूल उद्देश्य यह है कि यह निम्न वर्ग के लोगों पर पूरी तरह लागू होनी चाहिए । एक किस्त में 25 पये जमा करने के बजाय 5 पये की किस्त होनी चाहिये । यदि लोगों के पास एक किस्त में 5 पये भी नहीं हों तो वे 25 पैसे, 50 पैसे या 100 पैसे के स्टाम्प एकत्रित कर सकते हैं और वह बचत कार्ड पर उन्हें जोड़ सकते हैं । जब राशि 5 रु० हो जाये तो वे डाकघर बचत बैंक पास बुक में बदले जा सकते हैं । इस तरह वह वर्ष में 25 रु० जमा कर सकता है । इससे पान वालों तथा अन्य लोगों को प्रत्यक्ष रूप से इस योजना का लाभ होगा । जहां तक योजना को आकर्षित बनाने का सम्बन्ध है, इसकी जांच की जायेगी अर्थात् क्या प्रशासनिक प्रचार के रूप में अथवा वसूली करने में, अथवा स्टाम्पों के मुद्रण में खर्च किया गया धन लाभ के अनुरूप होगा ? इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा । योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार ब्याज की दर निर्धारित की गई है, जो कुछ ऊंची है और हमें इसकी जांच करनी होगी ।

Exchange Rate Of Rupee

*246. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the countries with which there is direct rupee trade at present ; and

(b) the position of Indian currency in European trade after its severing direct link with the Pound Sterling ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatagi):

(a) India has trade relations with the following countries on the basis of payments in non-convertible Indian Rupees :—

The USSR, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland Romania, German Democratic Republic, The Democratic People's Republic of Korea, Sudan and Egypt.

(b) There has been no effect of the delinking of the rupee from the Pound Sterling in case of our trade with countries in Eastern Europe with whom we have rupee payment arrangements. Under our payments arrangements with these countries, trade accounts are settled in Indian rupees only and there is no direct link between the Rupee and the Pound Sterling.

As regards Western Europe, the exchange rates of the rupee *vis-a-vis* currencies of Western European countries, since September 25, 1975 are based on daily exchange rate movements of a few selected currencies of countries which are India's major trading partners.

Shri Shanker Dayal Singh : Mr. Speaker, there were two methods of foreign trade. One was Pound Sterling and the other Rupee. The reply given by the Minister reveals that there has been no effect on the countries with which we had our foreign trade in Pound Sterling. I would like to know the quantum of trade done with Britain and European Common Market since delinking of the rupee from the Pound Sterling and what is their reactions in regard thereto and whether they faced any difficulty or not ?

Smt. Sushila Rohatgi : We had experienced certain difficulties when the rupee was delinked from Pound Sterling. Keeping in view these difficulties and international monetary situation there are frequent changes as so many currencies were afoat at that time and when the Pound fluctuated and its rate changed, it had its impact on us without there being any direct cause and we experienced considerable instability. After reviewing all these things it has been decided that it will be better to delink the rupee from the Pound. Hence the rupee was delinked from the Pound and linked to the basket of currencies. Its impact is that the rupee appreciated in comparison to the Pound and there was separate impact so far as other currencies are concerned.

Mr. Speaker : He has asked some other question. He has asked about its impact on Britain and European Common Market. He has not asked why you have delinked it. If you have got this information please give it and if not, he can ask other question.

Smt. Sushila Rohatgi : There is no such information.

Shri Shanker Dayal Singh: I want to know the quantum of trade done with Britain or European Common Market after delinking of the rupee with the Pound Sterling.

Smt. Sushila Rohatgi : What direct relation has it got with this ?

कोणार्क (उड़ीसा) का विकास

*248. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के निकट कोणार्क में क्या विशिष्ट विकास कार्य करने का केन्द्र से प्रस्ताव किया है ; और

(ख) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कोणार्क के सूर्य मन्दिर के आस-पास के क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विकास की मास्टर प्लान के एक भाग के रूप में कोणार्क के समुद्र-तटीय कॉम्प्लेक्स के विकास को सम्मिलित करने के लिए एक सुझाव 1975 में राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था ।

(ख) क्योंकि विकास की दोनों योजनाएं, एक स्मारक के आस-पास तथा दूसरी समुद्र तट के साथ-साथ, भिन्न-भिन्न प्रकृति की हैं, अत: राज्य सरकार को सूचित किया गया कि समुद्रतटीय पर्यटन के विकास के लिए एक पृथक् मास्टर प्लान बनाना आवश्यक होगा ।

राज्य सरकार को इस बारे में भी सूचित कर दिया गया था कि क्योंकि भारत में समुद्रतटीय पर्यटन एक नया विचार है जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक मार्केट फ़िलहाल परिसीमित है, तथा साधनों पर लगे प्रतिबन्धों को भी दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय पर्यटन विभाग के प्रयत्नों को उन समुद्रतटीय क्षेत्रों पर केन्द्रित किया जा रहा है जिन पर कार्य पहले ही प्रारम्भ हो चुका है जैसे कोवालम्, गोवा तथा महाबलिपुरम । अत: अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उपर्युक्त तीन स्थानों

पर समुद्रतटीय पर्यटन परिणामों की सफ़लता का मूल्यांकन करने के पश्चात् ही पर्यटन विभाग समुद्रतटीय पर्यटन विकास के लिए नये क्षेत्र के सृजन पर विचार कर सकता है।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कोणार्क ऐतिहासिक स्मारकों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसे अधिक पर्यटकों को, विशेषकर देश के पूर्वी भाग से, आकर्षित करने हेतु विकसित करने की आवश्यकता है। मंत्री जी ने अभी बताया कि उन्हें इस मन्दिर को दो ढंग से विकसित करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। पहला सुझाव यह है कि मन्दिर के चारों ओर विकास किया जाये और दूसरा समुद्रतटीय क्षेत्र का विकास किया जाये। क्या मैं जान सकता हूं कि पहले मन्दिर के चारों ओर के क्षेत्र और बाद में समुद्र के तटीय क्षेत्र का विकास करने में क्या कठिनाई है ताकि इस क्षेत्र की ओर अधिक पर्यटक आकर्षित हों ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जैसा कि मैं अपने मुख्य उत्तर में बता चुका हूं कि जहां तक मन्दिर के चारों ओर के क्षेत्र के विकास के लिए बृहत योजना का सम्बन्ध है, यह योजना तैयार की जा रही है और जैसे ही योजना के व्योरों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। जहां तक समुद्र तटीय क्षेत्र के विकास का सम्बन्ध है, मैंने इस सम्बन्ध में उत्तर दे दिया है।

श्री अर्जुन सेठी : मन्दिर के चारों ओर तथा समुद्र तटीय क्षेत्र के विकास के लिए कुल अनुमानित लागत कितनी होगी।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : अभी मैं सही रूप से यह नहीं बता सकता कि कितनी लागत आयेगी। जब तक हमें योजना नहीं मिल जाती और हम उस पर चर्चा नहीं कर लेते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी लागत आयेगी।

नागार्जुनसागर का एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

*249. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने नागार्जुन सागर का एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की दृष्टि से विजय बिहार स्थल को और नागार्जुन सागर पर उपलब्ध कुछ अन्य स्थलों को रखरखाव तथा विकास के लिए अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय पर्यटन विभाग से प्रस्ताव किया था कि वे "विजय बिहार" कॉम्प्लेक्स तथा नागार्जुनसागर/नागार्जुनकोंडा में कुछ और स्थान को दीर्घावधि पट्टे पर ले लें ताकि इसे तब प्रबन्ध व्यवस्था के लिए भारत पर्यटन विकास निगम को सौंपा जा सके।

इस मामले में अगली कार्यवाही राज्य सरकार से दीर्घावधि पट्टे के नियम व शर्तें प्राप्त हो जाने पर ही की जाएगी, जिनके बारे में सूचना की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : नागार्जुनसागर में पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु योजनाएं पेश करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कब कहा ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: यह विचार सर्वप्रथम 1972 में शुरू किया गया था ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : यदि योजनाएं स्वीकार कर ली जाती हैं तो नागार्जुनसागर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के विकास की लागत कौन पूरी करेगा ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह प्रश्न विजय बिहार क्षेत्र के अधिग्रहण के बारे में है न कि पर्यटन केन्द्र के रूप में नागार्जुनसागर के विकास के बारे में ।

श्रीमती रोजा देशपाँडे : नागार्जुनसागर के संग्रहालय में कई पट्टियों की प्रतिकृतियां बनाने की संभावना है और फिर उन्हें संग्रहालय देखने आने वाले पर्यटकों को बेचा जा सकता है । मेरा ख्याल है कि वहां संग्रहालय है । अतः मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सुझाव कार्यवाही करने हेतु है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

*250. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 में देश में और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कब ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वर्ष में आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) और होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा चुकी है और तीसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्घाटन बेल्लारी (कर्नाटक) में 25 जनवरी, 1976 को किया जायेगा । और बैंकों की स्थापना करने के लिए स्थानों को चुना जा रहा है । जन-शक्ति की कमी होने पर भी सरकार का यह प्रयास होगा कि 12 अप्रैल, 1977 के पहले देश के विभिन्न भागों में ऐसे पचास बैंकों की स्थापना हो जाय ।

श्री पी० जी० मावलंकर : ग्रामीण बैंकों के मूलाधार तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय वित्त मंत्री, श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण भारत की आर्थिक गतिविधियों में जीवन संचार करना है, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि समूचे देश में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने में ऐसे बैंकों की सम्भाव्यता तथा वाणिज्यिक समर्थता, उनके प्रशासन में व्यावहारिक कठिनाइयां, उनकी व्यवहार्यता तथा ऐसी ही अन्य बातों को ध्यान में रखा जायेगा और यदि हां तो क्या इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार यह आशा करती है कि वे अगले वर्ष अप्रैल तक 50 बैंक खोल लेंगे ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान मैंने उल्लेख किया था कि हम निम्नलिखित मानदण्डों पर जोर दे रहे हैं । हम देखते हैं कि क्या राज्य में कोई बैंक नहीं है और

क्या वहां विकास की संभावना है । हम चाहते हैं कि प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक का कम से कम एक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक हो । इस प्रक्रिया के माध्यम से हम प्रत्येक राज्य में ऐसी कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे किन्तु बैंक की स्थापना के लिए स्थान चुनने से पहले हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या वहां बैंक की आवश्यकता है और क्या वहां बैंक की स्थापना व्यावहारिक है अथवा नहीं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : हर्ष की बात है कि माननीय मंत्री कहते हैं कि यदि संभव होगा तो प्रत्येक राज्य में बैंक खोलने के लिए प्रयास किया जाएगा । इसका अर्थ यह है कि समूचे देश में इन बैंकों का वितरण संतुलित ढंग से हो । क्या मैं जान सकता हूं कि अगले दो महीनों के दौरान विशेषकर भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात तथा महाराष्ट्र में ऐसे बैंकों को खोलने के लिए सरकार ने पहले ही योजनाएं तैयार कर ली हैं ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : शायद गुजरात तथा महाराष्ट्र प्रथम मानदण्ड के अन्तर्गत नहीं आते क्योंकि वे ऐसे राज्य नहीं हैं जहां बैंक न हों । दूसरे, शायद माननीय सस्दय को ज्ञात है कि इन दोनों ही राज्यों में सहकारी आन्दोलन ने काफी जोर पकड़ रखा है । जैसा कि मैं पूर्व अवसर पर उल्लेख कर चुका हूं कि ये बैंक सहकारी आन्दोलन के पूरक होंगे । इसलिए यदि जरूरत होगी तो गुजरात और महाराष्ट्र में भी अवश्य उनकी स्थापना की जायेगी किन्तु मेरे लिये यह बताना कठिन होगा कि क्या उनकी स्थापना अगले दो महीनों के अन्दर हो जायेगी ।

Shri Jagannath Misra: Mr. Speaker, such banks play a significant role in the development of villages and I am glad to know from the Hon. Minister that 50 such banks will be opened by March, 1977. I would like to know from the Hon. Minister as to how many such banks would be opened in Bihar.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : बिहार में खोले जाने वाले ऐसे बैंकों की सही संख्या बताना मेरे लिए कठिन है किन्तु भोजपुर जिले में हमने ऐसे एक बैंक की स्थापना पहले ही कर ली है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : इन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को खोलने के लिए जो मानदण्ड निर्धारित किया गया है, वह प्रशंसनीय है और मन्त्री महोदय उन क्षेत्रों में, जहां बैंक नहीं हैं, इन बैंकों का युक्तियुक्त पूर्ण वितरण करना चाहते हैं । उदाहरण के लिए कर्नाटक में बेल्लारी में एक ऐसा बैंक स्थापित किया जा रहा है । माननीय मन्त्री जी के सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि कर्नाटक में कई बैंक हैं और वहां बैंकों की कोई कमी नहीं है । निसन्देह यह विशेष क्षेत्र ऐसा हो सकता है, जिसमें बैंक न हों । अत: सिंचित और असिंचित, पिछड़ा और समृद्ध क्षेत्रों के बीच असमानता बढ़ती जा रही है । इसका कारण यह है कि ऋण देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है प्रादेशिक बैंक सहकारी समितियों तथा वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न हैं । क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि उन्होंने देश में ऐसे क्षेत्रों का चुनाव कर लिया है । उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा में कोई बैंक नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे बैंकों की स्थापना करते समय इस पहलू को ध्यान में रखेगा ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इन पहलुओं पर विचार करने तथा ग्रामीण बैंकों के लिए स्थल चुनाव हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त स्टीयरिंग समिति का गठन किया गया है ।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has just now stated that 50 such banks would be opened. I want to know what criteria has been adopted for setting up of these banks and how much distance will be covered by a bank for giving loans to the rural people ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैंने आपको बता दिया है कि यह सम्भव नहीं है। इस पहलू पर विचार करने के लिए एक स्टीयरिंग समिति की नियुक्ति की गई है। किन्तु मैं आपको इस बारे में मोटे तौर पर बता सकता हूं। इसके लिए स्थानों का निर्धारण सम्भव नहीं है।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मन्त्री ने बताया कि सरकार का यही प्रयास है कि जिन स्थानों पर बैंक नहीं हैं, वहां ग्रामीण लोगों की सहायता करने के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाये। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि गैर-बैंक क्षेत्र से उनका क्या अभिप्राय है। क्या आज देश में कोई ऐसा जिला है, जहां बैंक नहीं है ? मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को पूछना चाहता हूं कि क्या वह उन क्षेत्रों पर विचार करेंगे जहां लाखों लोगों के लिए केवल एक बैंक है और जहां केवल 15,000 या 18,000 लोगों के लिये कई बैंक हैं ? क्या मन्त्री जी क्षेत्रों के इस पहलू पर विचार करेंगे जहां इनकी संख्या कम है और जहां औसत 35 व्यक्ति प्रति बैंक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले पर विचार करेंगे और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के लिए स्थानों का चुनाव करते समय इस मामले को विशेषज्ञ समिति को सौंपेंगे ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी माननीय सदस्य ने बैंक वाले क्षेत्रों तथा गैर बैंक वाले क्षेत्रों का मानदण्ड स्वयं बता दिया है ?

उत्तर प्रदेश में गरीब ग्रामीणों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

***251. श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा हाल ही में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कृषि में तेजी लाने के लिए किसानों को ऋण हेतु 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार ने उन गरीब ग्रामीणों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिलवाने के लिए कोई कोई कार्यवाही की है जिन्ह प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश में भूमि दी गयी थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी हां ; 13 दिसम्बर 1975 को उत्तर प्रदेश में हुई बैठक में वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्रीय निदेशकों के समक्ष भाषण करते समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने इस बात का उल्लेख किया था कि उत्तर प्रदेश के कृषिक क्षेत्र की आवश्यकताएं मोटे तौर पर लगभग 400 करोड़ रुपये है।

(ख) कृषिक क्षेत्र की ऋण की कुल आवश्यकताएं सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों जैसे संस्थागत अभिकरणों सहित, विभिन्न अभिकरणों द्वारा पूरी की जाती हैं ; यद्यपि उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण की व्यवस्था करने का कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, फिर भी ये

बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का विस्तार करके, अधिकाधिक ऋ ण देने के लिए अधिकाधिक गांवों को अपनाकर, प्राथमिक ऋण समितियों के माध्यम से वित्त व्यवस्था करके, और राज्यों में व्यापक वित्त पोषण के लिए विशेष योजनाएं बनाकर अपने ऋणों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक बैंक अधिकांशत: सरकारी क्षेत्र के बैंक छोटे और सीमांतिक किसानों, कृषिक श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों और छोटे उद्योगियों आदि के लिए ऋण की व्यवस्था करके ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रयोजन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि वे पिछले छ: महीनों में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए कृषि के क्षेत्र में योजनाएं आरम्भ कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक भूमिहीन कृषिक मजदूरों को, विशेष रूप से बंधुआ मजदूरी से मुक्त किये गये मजदूरों को, कृषि सहायक कार्यकलपों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनका वित्तपोषण करते हैं। जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई है उनके लिए आसान ऋण शर्तों पर कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं के लिए तथा बैल और कृषि उपकरणों की खरीद और भूमि विकास के वास्ते सावधिक आवश्यकताओं के लिए भी वित्त की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने छोटे और सीमांतिक किसानों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जन जाति के किसानों को, चिकित्सा और शिक्षा व्यय पूरा करने के लिये सीमित मात्रा में उपभोग-वित्त की भी व्यवस्था की है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री का ध्यान उत्तर प्रदेश के राज्य पाल डा० चैन्ना रेड्डी के 17 दिसम्बर को आगरा में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि में तेजी लाने के लिये किसानों में ऋण के रूप में वितरण हेतु लगभग 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है ? डा० रेड्डी संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे कि भूमिहीनों में फालतू भूमि के वितरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ किया गया है। परन्तु यह तभी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है, जब उन्हें कुछ ऋण दिये जायें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उन्होंने 400 करोड़ रुपए की मांग की थी और यदि है तो किसानों की दशा सुधारने के लिये पांचवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को वस्तुत: कितनी राशि दी जायेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हमने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की टिप्पणियों को पढ़ा है तथा बककारी विभाग द्वारा जो विभिन्न कदम उठाये गये हैं उन का मुख्य ब्यौरा उस विवरण में दिया गया है जो मैं ने सभा पटल पर रख दिया है। इस के अतिरिक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा रहे हैं। कुछ स्थापित किये जा चुके हैं तथा और स्थापित किये जायेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : पांचवीं योजना के दौरान अब तक कितनी राशि दी गई है और इस उद्देश्य के लिये वर्ष 1976 में कितनी राशि देने का वचन दिया गया है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह बहुत विशिष्ट प्रश्न है। यह बताने के लिये कि वस्तुत: कितनी राशि का वितरण किया गया है, मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Narsingh Narain Pandey : As the Hon. Minister has stated in his reply that Co-operatives and Commercial banks as also the public sector banks are under directions to provide credit. I would like to know the actual amount of credit so far provided by these banks. The Governor of U. P. has said that about Rs. 400 crores are needed for distribution among the farmers. I would like to know the actual amount advanced to them ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जैसा कि पहले मैं कह चुका हूं, यह बताने के लिये कि आज तक कितना ऋण दिया गया है, मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री परिपूर्णा नन्द पैन्यूली : मेरे विचार में ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़ाने से उन का कार्यकरण अधिक महत्वपूर्ण है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य देश में आम जनता, विशेषतया कमजोर वर्गों की दशा सुधारना है। इस के लिये कई विभागों ने समय बद्ध कार्यक्रम बनाये हैं। परन्तु हमें ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ये ग्रामीण बैंक 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के सन्दर्भ में अब तक क्या भूमिका निभा रहे हैं तथा इनका भविष्य का कार्यक्रम क्या है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यदि ग्रामीण बैंक से माननीय सदस्य का तात्पर्य प्रादेशिक ग्रामीण बैंक हैं, तो वे तो अभी आरम्भ किये गये हैं। यदि ग्रामीण बैंकों से माननीय सदस्य का तात्पर्य ग्रामों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं से है, तो मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि उन्हें 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति में अधिक कारगर भूमिका निभानी चाहिये। उन्होंने कुछ कार्य किया है। परन्तु अभी उन्हें प्रभावी भूमिका निभानी है। हम उन के कार्यकरण को सुधारने के लिये लगातार प्रयास कर रहे हैं।

ब्रिटेन से सहायता

***254. मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन का विचार भारत को सहायता के रूप में 185 करोड़ रूपये देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आशा है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार भारत को वित्तीय वर्ष 1975–76 में लगभग 184 करोड़ रुपए की सहायता के बचन देगी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपए
(1) कंसार्शियम की बैठक में 1975–76 के लिए दी जाने वाली सहायता का वचन	173.25
(2) तकनीकी सहायता का अनुमानित व्यय	3.75
(3) गेहूं की प्रस्तावित सप्लाई का अनुमानित मूल्य	7.00
	184.00

(ख) यह सारी सहायता अनुदानों के रूप में होगी।

Maulana Ishaque Sambhali : Will the Hon. Minister be pleased to state the terms of the aid ?

Mr. Speaker : It is in the shape of grants.

Maulana Ishaque Sambhali : What are the terms and conditions attached with these grants.

Smt. Sushila Rohatgi : As I have already stated that the entire amount is in the shape of grants. Agreement has already been reached in all matters except family planning. The terms of the British aid are much softer as compared to those of other countries.

राज्य व्यापार निगम का बुल्गारिया के साथ रेयन ग्रेड पल्प की खरीद के लिये ठेका

†255. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने विश्व में विद्यमान मूल्य से अधिक मूल्य पर बुल्गारिया से रेयन ग्रेड पल्प खरीदने का ठेका किया है; और

(ख) क्या पल्प को इस्तेमाल करने वालों को अब यह आशंका है कि पल्प के इस आयात से उनकी लागत बहुत बढ़ जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख): बुल्गारिया से इस सामान के लिये संविदा राज्य व्यापार निगम ने मौजूदा हालात को ध्यान में रख कर अपनी पूरी व्यावसायिक सूझ बूझ से की है।

श्री डी० डी० देसाई : मैं समझता हूं कि वाणिज्य मंत्री को हमारी फाइबर उपयोग पद्धति में आमूल परिवर्तनों सम्बन्धी विश्व बैंक के दल के सुझावों की जानकारी है। हम सैलिकोस बनाने के लिये बलगेरिया से पल्प का आयात करते हैं। हमें समाचार मिले हैं कि देश में पल्प निर्माण सम्बन्धी काफी फालतू क्षमता है। इसके होते हुए भी उद्योग ऊंचे मूल्य पर आयात कर रहा है। विश्व बैंक के दल के हाल के निष्कर्षों से फाइबर सम्बन्धी नीति बनाने में काफी उपयोगी सामग्री प्राप्त हुई है। इस वर्ष कुल खपत 12–13 लाख मीटरी टन होने की संभावना हैं। इन परिस्थितियों में क्या माननीय मंत्री सभा को आश्वासन देंगे कि एक ओर तो वह फालतू सूती फाइबर के निर्यात की अनुमति देंगे और दूसरी ओर सैलीकोस बनाने के लिये पल्प के आयात में कटौती करेंगे ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम देश के औद्योगिक एककों की विशेष आवश्यकता के लिए भारी मात्रा में इस फिलामेंट और अन्य सामग्री का टायर कार्डों के लिये आयात करते हैं। हम रुई का निर्यात इस लिये करते हैं कि यदि एक विशेष अवधि के अन्दर रुई का देश में वाणिज्यिक उपयोग न किया जा सके, तो उसके भंडार रखना फजूल है, क्योंकि इतने में बाजार में नये मौसम की रुई आ जाती है और इससे मूल्य और अधिक गिर जाते हैं। इस लिये हमें देश में संश्लिष्ट फाइबर के एककों की आवश्यकता तथा निर्यात की आवश्यकता दोनों को ध्यान में रखना होता है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई असंगति है।

श्री डी० डी० देसाई : जैसा कि मैंने कहा है, पल्प का आयात रेशा बनाने के लिये किया जाता है और रेशे से लोगों के पहनने के कपड़े बनाये जाते हैं। लोगों की अपनी पसन्द है कि वे पोलिस्टर फाइबर पसन्द करते हैं अथवा संश्लिष्ट फाइबर अथवा सूती फाइबर। माननीय मंत्री ने कहा है कि मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिये आयात जरूरी है। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि देश में सैलिकोस पल्प बनाने की फालतू क्षमता है। अब माननीय मंत्री ने कहा है कि हम रुई के निर्यात को अनुमति देते हैं और इसके लिये उन्होंने जो कारण बताये हैं, वे हमें स्वीकार हैं। परन्तु मैं माननीय मंत्री का ध्यान विश्व बैंक के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें हमारी कपड़ों की पसन्द की कटु आलोचना की गई है। उदाहरण के तौर पर रुई अमरीका के मूल्य की तुलना में 57 प्रतिशत मूल्य पर बेची जाती है। मेरा इतना लम्बा वक्तव्य देने का उद्देश्य यह है कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि हमारी फाइबर नीति क्या है ? हम अपनी फाइबर की कुल आवश्यकता को किस संदर्भ में देखते हैं ? मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे तीन लाख टन कपास के निर्यात की अनुमति दें।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस प्रश्न के सीमित संदर्भ में तो इतना ही कहा जा सकता है कि रुई के निर्यात को, जिसे वह स्वयं चाहते हैं, अंशतः सहमति प्रदान कर दी गई है। परन्तु हम देश की आवश्यकता पर प्रभाव डाल कर रुई के निर्यात की अनुमति नहीं दे सके, इससे देश में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कपड़ा नहीं मिल सकेगा।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी अन्य देश से भी रेयन पल्प का आयात किया गया है और यदि हां तो उसके मूल्य बल्गेरिया के आयात की तुलना में कितना हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : साधारणतया हमारा इरादा कनाडा से इस प्रकार का पल्प आयात करने का है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने तथा टायर कोर्ड के लिये जरूरी है। परन्तु उसके लिये अपेक्षित राशि उपलब्ध नहीं है। इसलिये हम ने रुपया भुगतान क्षेत्र से खरीद की है, क्योंकि वित्त मंत्रालय इस उद्देश्य के लिये विदेशी मुद्रा देने को तैयार न था। इस लिये हम बल्गेरिया अथवा पूर्वी योरोपीय स्रोतों से खरीद करनी पड़ी। यह सच है कि हमें कुछ अधिक कीमत देनी पड़ी है। परन्तु हम ने राज्य व्यापार निगम के सेवा प्रभार से उद्योग को मुक्त करके उनकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया है। इन परिस्थितियों में हमारे लिये ऐसा करना ही उचित था।

बैंकिंग सेवा आयोग

257. **श्री एस० एन० सिद्दया :**
श्री नारायण चन्द पराशर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा आयोग गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). अभी तक, बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना नहीं हुई है।

श्री एस० एन० सिद्दया : राष्ट्रपति ने विधेयक को, जो दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया था, 7-8-1975 को अनुमति दे दी थी। लगभग पांच महीने व्यतीत हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आयोग के गठन में इतना विलम्ब क्यों हुआ ? दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अधिनियम लागू हो गया है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं मानता हूं कि बैंककारी आयोग स्थापित करने में कुछ विलम्ब हुआ है, परन्तु मैं माननीय सदस्य और सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम शीघ्रातिशीघ्र आयोग का गठन करने के लिये कदम उठा रहे हैं। अधिनियम में भी यही उपबन्ध किया गया है। यदि आयोग स्थापित नहीं हुआ है, तो अधिनियम कैसे लागू हो सकता है।

श्री एस० एन० सिद्दया : जब तक अधिनियम लागू नहीं होता, आयोग की स्थापना नहीं की जा सकती। परन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि जब तक आयोग की स्थापना नहीं होती, अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। यह बात ध्यान दिये जाने योग्य है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश के विभिन्न भागों में आयोग के प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : शायद माननीय सदस्य मुझे गलत समझे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह था कि बैंककारी आयोग अधिनियम का समूचा उद्देश्य बैंककारी आयोग स्थापित करना है। जब तक उनका गठन नहीं किया जाता, कानून लागू नहीं होगा। मेरा कहने का यही तात्पर्य है। ऐसा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किया जा सकता है और हम यथासंभव शीघ्र ऐसा करने का प्रयास करेंगे।

जहां तक प्रश्न के अन्य भाग का सम्बन्ध है, अधिनियम में विभिन्न उपबन्ध हैं और हमें विधेयक पर चर्चा करने का अवसर मिला है। माननीय सदस्य ने विभिन्न भागों से प्राप्त अभ्यावेदनों का उल्लेख किया है। जब आयोग की स्थापना कर ली जायेगी तब इन सब पर विचार किया जायेगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : उन परिस्थितियों को, जिनमें बैंककारी सेवा आयोग विधेयक यहां पेश किया और एक बैंककारी सेवा आयोग की स्थापना के लिए सिफारिश की गई हैं, जिससे अब तक केवल बैंकों की भर्ती नीति पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ा है, ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों में से आयोग में एक-एक सदस्य नियुक्त करके उनके हितों की रक्षा की जायेगी ? वास्तव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी समिति ने यह घोषणा की है कि बैंककारी सेवा में उनका अभ्यावेदन बहुत कम रहा है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूं। हमें कभी-कभी यह शिकायत मिलती है कि वर्तमान भर्ती नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता। किन्तु शनैः शनैः हम राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार के निर्णय का पालन करने के लिए अनुदेश जारी कर रहे हैं।

जहां तक आयोग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व देने का सम्बन्ध है, हमें ऐसा सुझाव मिला है। किन्तु मैं इसी वक्त सरकार की ओर से कोई वायदा नहीं कर सकता।

श्री नवल किशोर सिंह : राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की असफलता का एक कारण यह रहा है कि उनके कार्यकरण को सुचारु रूप से चलाने के लिए समुचित अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई। भर्ती मुख्य कार्यालयों द्वारा की जाती थी और इतना विलम्ब किया जाता था कि शाखाएं काफी समय तक कार्य आरम्भ नहीं कर पाती थीं। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि भर्ती करने का यह अधिकार बैंककारी सेवा आयोग के क्षेत्रीय आयोगों को दे दिया जायेगा ताकि बैंककारी सेवा के विस्तार के लिए शीघ्रता से कार्यवाही की जाये।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : अब नियुक्तियां बैंककारी सेवा आयोग के माध्यम से की जायेंगी। आयोग के सुचारु कार्यकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र खोले जा सकते हैं।

श्री के० लक्कप्पा : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् असफलता के कारण वे अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति बैंकों के मालिकों द्वारा की जाती है। अभी भी विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में वही अधिकारी काम कर रहे हैं। अतः सेवा आयोग न होने के कारण ऋण देने सम्बन्धी सारे कार्यक्रमों

तथा नीतियों का भली भांति पालन नहीं हो पाया है। जो लोग बैंकों के अभिरक्षक हैं, उनके सम्बन्धियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रधान मंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इन बैंककारी सेवा आयोगों की स्थापना विभिन्न राज्यों में हो। मामले की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इस प्रयोजन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम यथा संभव शीघ्र आयोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंक बुरी तरह असफल रहे हैं और वे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बैंककारी आयोग न होने के कारण बैंकों के व्यवस्थापक मनमाने ढंग से नियुक्तियां कर रहे हैं और वे पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं ? यदि हां तो सरकार ने इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक नई भर्त्ती का सम्बन्ध है, सरकार के निदेशानुसार वे इस मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। किन्तु साथ ही राष्ट्रीयकरण से पहले, जब भर्ती के लिए कोई नियमित नीति नहीं थी, कुल कर्मचारियों की तुलना में उनकी प्रतिशतता कम रही है। अब भी जब कभी हमें इस बारे में शिकायत मिलती है तो हम उन पर विचार करते हैं और इसीलिए हम भर्ती को नियमित रूप देने के लिए बैंककारी आयोग की स्थापना कर रहे हैं।

Shri Shashi Bhushan : I want to know from the Hon. Minister whether he is formulating any Scheme to set -up a Banking Service Commission on the lines of I. A. S. and I. P. S. keeping in view the increasing Banking Complex. Besides this many people from the band Organisations like R.S.S., Naxalities, Anandmargi and Jamayat-e-Islam are working in banks and they are working against the principles of the 20 point programme. I want to know what scheme you have formulated to remove those people from there ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यदि इस बारे में कोई विशिष्ठ जानकारी दी जायेगी तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : इस समय भारतीय गैर-सरकारी बैंकों में कुल जमा धनराशि 1263 करोड़ रुपये है और विदेशी स्वामित्व वाले बैंकों में 859 करोड़ रुपये की धनराशि है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त सरकार विदेशी स्वामित्व वाले बैंकों की व्यवस्था तथा सेवाओं में सुधार करने पर भी विचार कर रही है और यदि इसमें कोई बाधा आती है तो क्या उनका राष्ट्रीयकरण करने का भी प्रस्ताव है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक बैंककारी सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियां करने का सम्बन्ध है, इसका सम्बन्ध केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से है न कि विदेशी स्वामित्व वाले बैंकों से और न भारतीय गैर-सरकारी बैंकों से।

बैंक-ऋणों पर ब्याज की ऊंची दर

*258. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि बेरोजगार स्नातकों तथा इंजीनियरों को शिकायत है कि बैंक ऋणों पर ब्याज की दर ऊंची है जिससे तेजी से औद्योगीकरण नहीं हो पा रहा है और इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों के उत्पन्न होने में बाधा पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ब्याज दर को कम करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

1973–74 से, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीति के दबाव को रोकने तथा कीमतों में कमी करने के उद्देश्य से कुछ उपाय शुरू किये हैं। इन उपायों का उद्देश्य मुद्रा-पूर्ति और बैंक-ऋण के विस्तार को रोकना और सुस्पष्ट राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, चयनात्मक आधार पर उपलब्ध बैंक निधियों का उपयोग करना है। बैंक निधियों का यह उपयोग उत्पादन और निवेश, निर्यात तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (जिनमें बेकार स्नातक और इंजीनियर शामिल हैं) की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये किया जाना है। इन उपायों का एक आवश्यक अंग तो ऋण-उपलब्धि को दुर्लभ बनाना है ताकि इसका उपयोग केवल यथार्थ आवश्यकताओं के लिये ही हो और इसका दूसरा अंग अधिक ब्याज-दर देकर बचतों और बैंक जमाओं को अधिक से अधिक आकर्षक बनाना है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम उधार-दर जो बैंकों द्वारा अपने अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज की दर को निश्चित करती है, जुलाई, 1974 से 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12½ प्रतिशत कर दी गई है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यूनतम उधार दर के निदेश के उपबन्धों से ऋणों की कुछ श्रेणियों को विशेष रूप से छूट दे दी है। जैसे, छोटे पैमाने के और ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल औद्योगिक एककों को 2 लाख रुपये तक के ऋण देना, भारतीय ऋण गारंटी निगम की लघु-ऋण गारंटी योजना में शामिल परिवहन चालकों, कृषकों, और छोटे व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों आदि को विशिष्ट सीमा तक ऋण और अग्रिम प्रदान करना, निर्यात के लिए ऋण और विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करना। यदि बेरोजगार स्नातकों और इंजीनियरों को दी गई सहायता ऊपर उल्लिखित अग्रिमों की छूट-प्राप्त श्रेणी में आती हैं तो, बैंक इस प्रकार की सहायता 12½ प्रतिशत की न्यूनतम उधार दर के बजाय प्रायः रियायती ब्याज दरों पर प्रदान करते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : यह सही है कि रिजर्व बैंक ने 1973–74 में ऋण उपलब्धि को दुर्लभ बनाने की नीति अपनाई। यह भी सही है। इससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सहायता मिली है। ऐसे थोक विक्रताओं, जमाखोरों आदि की क्षमता पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से किया गया था। यह प्रश्न छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता देने के बारे में है ताकि राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने में सहायता दी जा सके। यहां उत्तर यह है कि इस क्षेत्र पर वही नीति लागू की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बेरोजगार इंजीनियरों, स्नातकों तथा अन्यों को, जो स्वयं

व्यवस्थापित उद्योगों का सहारा लेते हैं, ब्याज की अधिमानित दर पर बैंक ऋण देने जा रही है और यदि हां तो सरकार इसके लिए कितनी राशि निर्धारित कर रही है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : विवरण में भी मैंने उल्लेख किया है कि 2 लाख रुपये तक वे रियायती दर पर ले सकते हैं। किन्तु यहां इस मामले में मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि इन रियायती किस्म की दरों के अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में विद्यमान वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधिक ऋण के लिए ब्याज की रियायती दर के भागी हैं। किन्तु रियायती दरों पर दिये जाने वाले ऋणों के लिए सीमा 2 लाख रुपये तक है।

श्री भोगेन्द्र झा : रियायती दर क्या है? क्या यह ब्याज की अधिमानिक दर का 11 प्रतिशत है? प्रश्न यही है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह मामले के गुण-प्रकार पर निर्भर करता है। मैं यह नहीं कह सकता। किन्तु यह $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से कम है।

श्री भोगेन्द्र झा : शायद वह मेरा प्रश्न नहीं समझ पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं। किन्तु मैं उसका उत्तर भी जानना चाहता हूं। ब्याज की अधिमानिक दरों का सम्बन्ध सरकारी नीति से है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन बेरोजगार स्नातकों को 2 लाख रुपये तक बैंक ऋण अधिमानिक दर पर मिलेगा या नहीं?

दूसरे, समूचे देश में, जिसमें वे भी क्षेत्र शामिल हैं, जो योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्र घोषित किये गये हैं तथा रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार किये गये हैं, ऐसे स्नातक तथा अशिक्षित व्यक्ति हैं जो छोटे पैमाने के उद्योग चला रहे हैं, क्या उन्हें ब्याज की अधिमानिक दर पर ऋण दिया जा रहा है या नहीं? यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। यह तो इस क्षेत्र सम्बन्धी नीति का प्रश्न है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक नीति का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि छोटे पैमाने के उद्योगों को यह मिल सकता है किन्तु जहां तक ब्याज दर का सम्बन्ध है, यह परियोजनाओं की व्यवहार्यता तथा कुछ अन्य बातों पर निर्भर करती है। इसीलिए मेरे लिए यह बताना सम्भव नहीं है। किन्तु इसके लिए नीति है।

श्री भोगेन्द्र झा : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है। उन्होंने जो कुछ कह दिया है, उससे अधिक नहीं कहना चाहते।

श्री भोगेन्द्र झा : विवरण में दिये रियायती दर का अर्थ 11 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो जानकारी दे दी है उससे अधिक वह नहीं देना चाहते। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री एस० आर० दामाणी : मंत्री महोदय ने छोटे पैमाने के उद्योगों तथा बेरोजगार स्नातकों को ब्याज की रियायती दर के बारे में उल्लेख किया है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि छोटे तथा लघु पैमाने के उद्योगों तथा पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को दिये गये ऋणों पर किसी तरह की रियायत दी जायेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रश्न नहीं समझ पाया। यदि वे प्रश्न स्पष्ट रूप में कहें तो मैं उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सीमान्त में रियायत । क्या आप अन्यों की तुलना में न्यूनाधिक सीमान्त की व्यवस्था करते हैं ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : नहीं।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या आप इस पर विचार करेंगे ? छोटे पैमाने के उद्योग के लिए सीमान्त बहुत अधिक है और इससे उन्हें आवश्यकतानुसार धन नहीं मिलता।

Shri Ramavatar Shastri : I would like to know whether the people of the backward classes and All India Weavers Federation have asked the Government to fix the rate of interest at 4 per cent on the loans advanced to them. If so, the reaction of Government thereto.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : ब्याज की रियायती दर के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें कोई निणय लेना होगा। मैं इस तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता।

स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत धनराशि की घोषणा

***261. श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत छिपी सम्पत्ति की घोषणा करने वालों में वे लोग भी सम्मिलित हैं जिन पर करों की बहुत बड़ी राशि बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, आय और धन का स्वैच्छिया प्रकटन अध्यादेश, 1975 के अंतर्गत 2,58,750 घोषणायें की गई हैं, जिनमें धारा 15(1) के अंतर्गत की गई 13,400 ऐसी घोषणायें भी शामिल हैं जो उस शुद्ध धन/परिसंपत्तियों के बारे में हैं जिनका मूल्य या तो प्रकट नहीं किया गया था अथवा कम बताया गया था।

जिन लोगों ने घोषणायें की हैं, उनकी तरफ बकाया करों के आंकड़े अलग से नहीं रखे गये हैं। अपेक्षित सूचना आय-कर आयुक्तों से एकत्र करनी होगी, जो उसे प्रत्येक घोषणाकर्ता के रिकार्डों की जानबीन करके इकट्ठी कर सकेंगे। इस सारी प्रक्रिया में जितनी अवधि और शक्ति लगेगी, वह सम्भवतः प्राप्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगी। अतः यह सूचना प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

Shri Shashi Bhushan : I want to know the total amount of tax arrears which the tax defaulters have not deposited so far. This amount will run in crores of rupees. How much amount has been declared in Benami or the other form under voluntary disclosure scheme. The gold which they have declared now was worth rupees fifty thousands about 20 or 30 years back and you have charged tax thereon. But keeping in view the value of this gold today, they have converted black money of rupees 71/2 lakhs into white money. I want to know what methods you will adopt to go into such cases.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि चूंकि घोषणाकर्ताओं की कुल सख्या 2,58,000 है अत: सभी व्यक्तियों के मामले में कर की बकाया राशि का पता लगाना सम्भव नहीं है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने सम्पत्ति की घोषणा कर दी हो और उस पर कर की बकाया राशि होगी तो हमें घोषित सम्पत्ति में से कर की राशि वसूल करने से कोई नहीं रोक सकता। किन्तु इस बारे म आंकड़े देना संभव नहीं है कि कितने लोगों से कर की राशि वसूल करनी है, कितनी राशि वसूल करनी है आदि।

Shri Shashi Bhushan : I want to make it clear, suppose somebody is to pay tax worth rupees four-five crores. He says thirty years back my father gave me gold worth rupees five lakhs and under the voluntary disclosure scheme you have realised tax on this amount of rupees five lakhs, but you have not realised the tax keeping in view the present value of that gold. The value of that five lakhs has become fifty lakhs today. In this way they have made this amount of fifty lakhs as white money and they have evaded tax thereon. I am not talking about the poor people. Such persons are not in lakhs. There are three-four hundred such persons. I want that this should be looked into.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह एक सुझाव है । मैं इसे ध्यान में रखूंगा। इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

Prof. Narain Chand Parashar : The Hon. Minister has stated that time and energy necessary for collecting the information may not be commensurate with results achieved. There are some cases in which people go to courts to avoid payment of income tax and challenge the assessment. Do you have any specific information in this regard ? I want to know the number of cases in which the people had filed cases in courts in order to avoid payment of tax or to prolong the case.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : हम ने कई बार कर की कुल बकाया राशि के सम्बध में आंकड़े दिये हैं और यह भी बताया है कि हम इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठा रहे हैं तथा बड़े-बड़े मामलों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सरकार को उन लोगों पर विशेष निगरानी रखनी है जो बहुत बड़ी धनराशि का करापवंचन कर रहे हैं। उनकी संख्या कुछ सौ से अधिक नहीं हो सकती और इस बारे में समय-समय पर आंकड़े दिये गये हैं। फिर सरकार ऐसा क्यों कहती है कि ऐसे लोगों की संख्या अत्यधिक है और इसमें बहुत श्रम करने की आवश्यकता है। सरकार उन लोगों का पता क्यों नहीं लगा सकती। संसद् को यह बताया जाना चाहिए कि स्वैच्छा प्रकटन योजना का सरकार ने कितना लाभ उठाया है । उनकी संख्या ज्यादा नहीं है और सरकार को इस बात का पता है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : खेद है कि इस बात पर मुझे गलत समझा गया है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं इस पर कार्यवाही नहीं करूंगा। मैं अवश्य इस पर कार्यवाही करता हूं। मैंने तो केवल इतना कहा है कि आंकड़े मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं। यदि मुझे पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर दी है तो मैं धनराशि के बारे में भी जानता हूं। मैं परिसम्पत्ति को भी जानता हूं और मैं उस राशि पर कर लगा सकता हूं। परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए मैं उनका वर्तमान मूल्यांकन करूंगा। परिसम्पत्ति के अतीत के मूल्य को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं वर्तमान मूल्य जानना चाहूंगा। किन्तु मेरे लिए यह कहना संभव नहीं है कि 2.58 लाख घोषणाकर्ताओं में से कितनो ने कर की बकाया राशि देनी है और कितनी-कितनी देनी है। किन्तु जैसा मैंने कहा है, मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।

Development of Patna city as a Tourist Centre

*263. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Guru Gobind Singh's birth place is in Patna city;

(b) if so, whether there is a proposal to develop it as a tourist centre; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Patna is the birth place of Guru Gobind Singh and has its importance on that account. At the same time is a base for visiting Buddhist centres in Bihar. Besides there are several points of tourist interest in Patna itself. Patna is, therefore, already attracting tourists. In order to provide suitable accommodation, a Reception Centre-*cum*-Motel is under construction by the India Tourism Development Corporation at an estimated cost of Rs. 60 lakhs. A transport unit has also been set up at Patna by ITDC at a cost of Rs. 50,000/-. In addition, M/s Bihar Hotels have been sanctioned a loan of Rs. 37 lakhs under the Hotel Development Loan Scheme for the construction of a hotel at Patna.

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker you see my question. I asked about Patna city and he has given information about whole of Patna. Patna city is a part of Patna town. It is birth place of Guru Gobind Singh. There is one Gurudwara and other historical monuments also. You have furnished the information regarding whole of Patna. Most of the information does not relate to Patna city. Such mistake is repeated everytime. Mr. Speaker you hail from there and therefore you know much more about that. Do you have any scheme to increase amenities in Patna city area? I want to know whether the Management Committee of the Gurudwara has time and again submitted memorandum to the Government, if so whether you have formulated any scheme in this regard and if not, what are the reasons.

Shri Surendra Pal Singh : We have two schemes. First scheme is for international tourists and the second scheme is for encouraging domestic tourism. The Hon. member has asked whether that area would be developed. This comes under domestic tourism which is a state subject. I mentioned Patna because it is a well known international tourism centre and whatever amenities we are providing there, they are mainly for international tourists.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रुई वसूली योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई मांग

*247. **श्री वसन्त साठे** : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1974–75, 1975–76 में एकाधिकार रुई वसूली योजना के अन्तर्गत रुई खरीदने के लिये कुल कितने ऋण की मांग की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अब तक इस सम्बंध मे कितनी धनराशि मंजूर की है तथा कितनी धनराशि दी है; और

(घ) योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार के स्तर पर और क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ). सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है ।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार ने, भारतीय रिज़र्व बैंक से, महाराष्ट्र राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन की कपास की एकाधिकार वसूली योजना को कार्यान्वित करने के लिए 1974–75 वर्ष में लगभग 120 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था करने के लिए कहा था। रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को 20 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की तथा इस बैंक के अपने साधनों से 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम मंजूर करने की अनुमति भी बैंक को दी थी। इस तरह कुल मिलाकर महाराष्ट्र राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन को सहकारी बैंकिंग व्यवस्था से 40 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे। इस ढंग से जितनी रकम की व्यवस्था की गई थी उसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन के पास 25 करोड़ रुपये की रकम की सुविधा और थी जिस में से 10 करोड़ रुपये उसकी अपनी निधियों में से थे और 15 करोड़ रुपये की रकम राज्य सरकार द्वारा दी गयी थी।

1975–76 के दौरान कपास की एकाधिकार वसूली योजना को चलाने के वास्ते ऋण की व्यवस्था करने के लिए महाराष्ट्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार से बातचीत कर रही है। 1975–76 वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को एकाधिकार वसूली योजना का वित्त पोषण करने के लिए 20 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की है और इस बैंक के अपने साधनों से योजना का वित्त पोषण करने के लिए 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम मंजूर करने की भी मंजूरी बैंक को दी है।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन की अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों ने उक्त फेडरेशन को कपास के निर्यात के लिए 31 मार्च, 1976 तक ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ रुपये की बैंकिंग ऋण सीमा के अतिरिक्त 31 जनवरी, 1976 तक 18 करोड़ रुपये की एक ऋण सीमा भी मंजूर की है।

महाराष्ट्र की एकाधिकार कपास वसूली योजना एक राज्यीय योजना है, इसलिए उसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। क्योंकि इस योजना का कार्यान्वयन एक सहकारी अभिकरण के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ऋण सहायता मुख्य रूप से सहकारी व्यवस्था के माध्यम से दी जानी है। वाणिज्यिक बैंकों के साधनों को तथा उनके ही अनुरूप मांगों को देखते हुए, इस प्रकार की योजना के लिए वाणिज्यिक बैंकों से दी जाने वाली सहायता, ज्यादा से ज्यादा केवल सीमान्तिक (मार्जिनल) ही हो सकती है।

पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय

***252. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की . पा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद विदेशी पर्यटकों के भारत आने से कितनी विदेशी

मुद्रा प्राप्त हुई है; और

(ख) विदेशी पर्यटकों को भारत में रहने के दौरान क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गईं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) वर्तमान मूल्यों के स्तर के आधार पर जुलाई–दिसम्बर, 1975 के दौरान पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान 56.5 करोड़ रुपये लगाया गया है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले किरायों से एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की आय सम्मिलित नहीं है।

(ख) पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। केन्द्रीय क्षेत्र में इन पर बल दिया गया है। पर्यटन के आधारभूत उपादानों (आवास और परिवहन) का निर्माण, मनोरंजन, आमोद प्रमोद तथा सैर-सपाटे सम्बंधी सुविधाओं की व्यवस्था, पर्यटन साहित्य का उत्पादन। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 78 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों में जमा धनराशि तथा उन बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

*253. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंको में और उन बैंकों में, जिन्हें जुलाई, 1969 में गैर-सरकारी तथा विदेशी स्वामित्व में छोड़ दिया गया था, कुल जमा राशि तथा उनके द्वारा दिये गये ऋणों की नवीनतम स्थिति क्या है और जुलाई, 1969 की तुलना में ये आंकड़े कम हैं या अधिक हैं ?

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जून, 1969 के अन्तिम शुक्रवार और 19 दिसम्बर, 1975 को जमाओं और ऋणों से संबंधित आंकड़े नीचे दिये जा रहे है :—

(करोड़ रुपयों में)

	जमा		ऋण	
	जून, 1969	19 दिसम्बर, 1975*	जून, 1969	19 दिसम्बर, 1975*
(क) सहकारी क्षेत्र के बैंक	3871	11264	3017	8168
(i) भारतीय स्टेट बैंक समूह .	1239	3816	1185	2826
(ii) 14 राष्ट्रीयकृत बैंक .	2632	7448	1832	5342
(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक .	775	2122	582	1417
(i) भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	297	1263	197	808
(ii) विदेशी बैंक . .	478	859	385	609
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क+ख)	4646	13386	3599	9585

*अनन्तिम

रबड़ का उत्पादन

*256. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के उत्पादन और उसके निर्यात में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). रबड़ उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। चूंकि रबड़ का सामान्यत: निर्यात नहीं किया जाता अत: इसके निर्यात में कमी का प्रश्न ही नहीं उठता।

चाँदी का निर्यात

*259. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चांदी का निर्यात अस्थायी रूप से रोक दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार को 1974–75 में चांदी के निर्यात से कितनी आय हुई ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1974–75 में 89,29,38,581 रु० मूल्य की चांदी का भारत से बाहर निर्यात किया गया है।

नागर विमानन विभाग का अनुसन्धान एकक

*260. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग का अनुसंधान एकक ग्लाइडर बनाने में बड़े पैमाने पर सहायता करता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या किसी अन्य देश ने भारत से निर्यात के लिये ग्लाइडर बनाने का अनुरोध किया

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नागर विमानन विभाग के अनुसंधान एवं विकास निदेशालय ने आदिरूपों को डिज़ाइन एवं विकसित किया है, तथा निदेशालय द्वारा विकसित किए गए डिज़ाइन ड्राइंगों के आधार पर देश में बड़ी संख्या में ग्लाइडरों का उत्पादन किया गया है ।

(ख) अनुसन्धान एवं विकास निदेशालय ने अभी तक आठ प्रकार के ग्लाइडर तथा सेल-प्लेन डिज़ाइन विकसित किये हैं, और कुल मिलाकर 31 आदि रूपों का उत्पादन किया है ।

आदिरूपों में से तीन अर्थात् 'इंटरमीडियरी ट्रेनर ग्लाइडर,''अश्विनी' और 'रोहिनी' को बड़ी संख्या में उत्पादन के लिए दो प्राइवेट कम्पनियों तथा सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर, द्वारा हाथ में लिया गया था । अनुसंधान एवं विकास निदेशालय द्वारा विकसित किये गये डिजाइन ड्राइंगों के आधार पर देश में अभी तक कुल मिलाकर करीब 205 ग्लाइडरों का उत्पादन किया गया है ।

(ग) : जी, नहीं ।

बरुआ समिति के सुझावों की क्रियान्विति

*262. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरुआ समिति ने सिफ़ारिश की है कि 7000 हैक्टेयर भूमि में प्रति वर्ष चाय के नए पौधे लगाये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) पी० सी० बरुआ समिति ने 1968 में यह सिफ़ारिश की थी कि सामान्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुनर्रोपण, प्रतिस्थापन और/अथवा विस्तारण के रूप में अच्छी रोपण सामग्री का प्रयोग करते हुए प्रति वर्ष कुल क्षेत्र के 3 प्रतिशत की दर पर नया रोपण किया जाए ।

(ख) उपर्युक्त सिफारिश के अनुसरण में, अक्तूबर, 68 में एक पुनर्रोपण उपदान योजना लागू की गई । इस योजना के अन्तर्गत उन्मूलन तथा पुनर्रोपण करने वाले बागानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 1961–62 से लागू चाय रोपण वित्त योजना के अलावा है जिसके अन्तर्गत चाय बागानों को विस्तारण/पुन र्रोपण कार्य के लिए मैदानी बागानों के लिए 11250 रु० प्रति हैक्टर और पर्वतीय बागानों के लिए 13750 रु० प्रति हैक्टर की दर पर ऋण प्रदान किया जाता है । 1–10–75 से पुन र्रोपण उपदान योजना का विस्तार करके उसके अन्तर्गत विद्यमान चाय क्षेत्रों का नवीकरण व समेकन शामिल कर दिया गया है । इसके अन्तर्गत नवीकरण व इनफ़िलिंग के लिए 3000 रु० प्रति हैक्टर की दर पर और नवीकरण, इनफ़िलिंग व अन्तर्रोपण के लिए 4000 रु० प्रति हैक्टर की दर पर उपदान की व्यवस्था केवल पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति चाय बागानों के लिए ही दी जा सकती है ।

उत्पादकों से पटसन की खरीद

*264. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा उत्पादकों से पटसन की खरीद उचित मूल्यों पर की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय पटसन निगम अपने विभागीय खरीद केन्द्रों और पटसन उपजकर्ताओं की सहकारी समितियों के माध्यम से पटसन खरीदता है । सरकार कानूनी न्यूनतम कीमतें कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित करती है जो उपजकर्ताओं के लिए लाभकर कीमत की व्यवस्था

समेत सभी संगत बातों को ध्यान में रखता है । असम बाटम किस्म के लिए देहाती बाजारों में 1974–75 मौसम के लिए 125 रु० प्रति क्विंटल और चालू मौसम के लिए 135 रु० प्रति क्विंटल कानूनी न्यूनतम कीमत निर्धारित की गई थी । भारतीय पटसन निगम कानूनी न्यूनतम कीमतों अथवा ऊंची बाजारी कीमत पर उतनी मात्रा में पटसन खरीदता है जितनी मात्रा के लिए उसके पास धन होता है । चालू मौसम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय पटसन निगम को 24 करोड़ रु० का ऋण देने के लिए राजी हो गया है और सरकार ने निगम को आवश्यक होने पर कीमत समर्थन सौदों के लिए अतिरिक्त धन देने का आश्वासन दिया है । अभी तक निगम ने चालू मौसम में 5.76 लाख गांठें खरीदी हैं जिन में से 5.65 लाख गांठें या तो न्यूनतम कीमत पर खरीदी गई हैं या न्यूनतम कीमत से 5 रु० अधिक तक की कीमत पर खरीदी गई हैं ।

इण्डियन एयर लाइन्स में मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय

*265. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1974–75 में 16.5 करोड़ रुपये की अनुमानित हानि से बचने के लिए कुछ मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या रूपरेखा है और उनका क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) : जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपनाए गए मितव्ययिता सम्बन्धी उपायों में ये सम्मिलित थे : समयोपरि भत्ते के भुगतान में कमी, शिफ्ट प्रणाली को तर्कसंगत बनाना, कार्मिकों के रात्रिकालीन विरामों में कटौती, कुछ अत्यधिक अलाभप्रद सेवाओं में काट-छांट, कर्मचारियों तथा विमानों के उपयोग में बढ़ोतरी और नयी भर्ती पर नियंत्रण । इन मितव्ययिता सम्बन्धी उपायों को बरतने एवं उत्पादकता सम्बन्धी उपायों को कड़ा करने के परिणामस्वरूप, इंडियन एयरलाइंस के लिए 1974–75 के दौरान 16.50 करोड़ रुपये की प्रत्याशित हानि को 1.01 करोड़ के लाभ में बदल सकना संभव हो सका है ।

Export of Coal

1086. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the countries to which coal will be exported by India in 1976-77;

(b) the quantity of coal exported during 1975-76 upto December, 1975; and

(c) the earnings from the export of coal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Bangla Desh, Burma & Sri Lanka.

(b) & (c). Exports of coal during 1975-76 (upto December 1975) were of the order of 3·30 lakh tonnes approximately valued at about Rs. 13·42 crores.

प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बैंकों की भूमिका

1087. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बैंकों की भूमिका विषय पर कोई गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण लोगों को ऋण देने के बारे में बैंक प्रणाली तथा उसकी संरचना और कार्यप्रणाली का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) क्या उक्त मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण निर्धनों को अधिक प्रभावी तथा सरल रीति से बैंक ऋण देने का निर्णय किया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :(क) बैंकरों को विचार-विनिमय का अवसर देने और प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका के विषय में विचार-विमर्श के उद्देश्य से, बैंकर क्लब दिल्ली, ने 16 नवम्बर, 1975, को नई दिल्ली में एक विचार-गोष्ठी आयोजित की थी ।

(ख) और (ग) : उपेक्षित क्षेत्रों, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की अधिक से अधिक मात्रा उपलब्ध कराने के विचार से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण-परिचालन विषयक क्रिया विधि और प्रथाओं की लगातार समीक्षा की जाती रहती है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों से विशेष रूप से कहा गया है कि वे ऋण मंजूर करने विषयक शक्तियों के प्रत्यायोजन के वर्तमान ांचे की समीक्षा करें और 10 हजार तक की सीमा वाल छोटे ऋण-सम्बन्धी प्रस्तावों को, उनकी प्राप्ति की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर उनका निपटान सुनिश्चित करें । छोटे और सीमान्तिक कृषकों, कृषि श्रमिकों; कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधायें देकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने के विचार से, इस समय तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा चुकी है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने यह भी बताया है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के उत्पादनकारी उद्यमों को बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध होने के तरीके अपनाना और उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना शुरू कर दिया है ।

भारत और रूस के बीच व्यापार

1088. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान भारत और रूस के बीच कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का व्यापार हुआ था;

(ख) ऐसे व्यापार में कौन-सी मुद्रा प्रयोग में लाई गई तथा वस्तु विनिमय का कितने मूल्य का व्यापार हुआ;

(ग) ऐसे व्यापार के लिये रूबल में विनिमय के लिये रुपये की क्या दर निर्धारित की गई ; और

(घ) क्या 1973, 1974 और 1975 के दौरान वही दर स्वीकार की गई थी?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1975 के दौरान भारत और रूस के बीच वाणिज्यिक सौदों के ठीक-ठीक परिमाण और राशि का अभी पता नहीं है । 1975 के दौरान दोनों देशों के बीच 650 करोड़ पये की कुल व्यापार व्यवसाय होने की आशा है ।

(ख) वाणिज्यिक सौदों के लिये भारतीय रुपये का प्रयोग होता है । इस प्रकार का कोई वस्तु विनिमय सौदा नहीं है । सभी सौदों को क्लियरिंग लेखा पद्धति के आधार पर अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में तय किया जाता है ।

(ग) तथा (घ) संविदाएं कुल मिलाकर भारतीय पयों में की जाती हैं। जिन मामलों में संविदाओं का मूल्य रूबल में दर्शाया जाता है, उन मामलों में रूबल का भारतीय रुपये में परिवर्तन सरकारी विनिमय दर पर किया जाता है जो 1 रूबल=8.33 ० हैं। यह विनिमय दर 6 जून, 1966 से लागू है।

'यूनेस्को' की सहायता से कोणार्क का पुनर्निर्माण

1089. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार युनेस्को की तकनीकी और वित्तीय सहायता से कोणार्क के जीर्णोद्धार की सम्भावना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्ष 1976 के आरम्भ से क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से यह पता लगाया गया है कि युनेस्को की वित्तीय सहायता से कोणार्क के सूर्य मन्दिर के पुर्नानिर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि पर्यटन विभाग ने कोणार्क के सूर्य मन्दिर के पर्यावरण को प्राकृतिक स्वरूप में प्रस्तुत करने की दृष्टि से मन्दिर के आस पास के क्षेत्र को मास्टर प्लान बनाना प्रारम्भ कर दिया है।

पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोला जाना

1090. **श्री गिरधर गोमाँगो :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को देश के पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखायें खोलने के लिए कोई हिदायतें दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के पिछड़े जिलों में वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान कितनी शाखायें खोली गई हैं तथा 1976–77 के दौरान कितनी शाखायें खोलने का प्रस्ताव है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि शाखा विस्तार के लिए तीन वर्षीय रोलिंग योजना बनाते समय उन्हें चाहिए कि बिना बैंक वाले और कम बैंक वाले ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों और कम बैंक वाले तथा पिछड़े हुए जिलों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के इस प्रकार के क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें, तथा इन क्षेत्रों में, यथासम्भव, अधिकाधिक कार्यालय खोलने के प्रयास करें ताकि बैंकिंग सुविधा की व्यवस्था करने के मामले में अन्तःजिला, और अन्तःराज्यीय असमानता को धीरे-धीरे कम किया जा सके और समग्र देश की उत्पादन क्षमता का पर्याप्त विकास हो सके।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1974 और 1975 (30 नवम्बर, 1975 तक) के दौरान क्रमशः 8 और 11 शाखाएं खोलीं जो कि बालासोर, बोलंगीर, धेनकनाल, कलाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मयुरभंज और बुध खोंडमाल्स के पिछड़े जिलों में खोली गई थीं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इन जिलों में शाखाएं खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास नवम्बर, 1975 के अन्त तक 40 लाइसेंस /आवंटन पत्र थे। जिलेवार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

बैंकों द्वारा शाखा विस्तार का कार्य तीन वर्षीय रोलिंग योजनाओं के ढांचे के भीतर किया जाता है। आजकल, रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 1976–78 के तीन वर्षों की शाखा विस्तार योजनाओं की जांच कर रहा है।

विवरण

1974 और 1975 (30 नवम्बर, 1975 तक) के दौरान उड़ीसा के पिछड़े जिलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाएँ और इन जिलों में शाखाए खोलने के लिये उनके पास 30 नवम्बर, 1975 तक बकाया लाइसेंस/आवंटन पत्र

जिले का नाम	नीचे लिखे वर्षों में खोली गई शाखाओं की संख्या 1974	1975 (30 नवम्बर, 1975 तक)	नवम्बर, 1975 के अन्त तक बकाया लाइसेंस
1	2	3	4
बालासोर . .	1	1	6
बोलनगीर . .	2	1	6
बुध खोंडयाल्स . .	—	1	5
धेन कनाल . .	—	1	4
क्योंझर	1	—	4
कोरापुट . .	1	4	8
कलाहांडी	—	2	—
मयूरभंज .	3	1	7
	8	11	40

विमान यातायात का युक्तिसंगत बनाया जाना

1091. **श्री धामनकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल संकट को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण संचालन लागत में तीव्र वृद्धि हो गई थी, संचालन लागत में किफ़ायत करने के लिए देश के कितने विमान मार्गों पर विमान यातायात सेवा को युक्तिसंगत बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था ; और

(ख) विमान परिवहन को युक्तिसंगत बनाने के कारण गत एक वर्ष के दौरान एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स को ईंधन की लागत में कितनी बचत हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारतीय आकाश मंडल में विभिन्न विमान मार्गों के तर्कसंगतीकरण अध्ययन के परिणामस्वरूप 14 अनुसूचित मार्गों पर मार्गगत कुल मील संख्या में लगभग 250 समुद्री मीलों की कमी की गई है ।

(ख) इस तर्कसंगतीकरण के परिणामस्वरूप लगभग 30 लाख रुपये की वार्षिक बचत का अनुमान लगाया गया है ।

Bonds purchased under Voluntary Disclosure Scheme

1092. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Government Bonds, 1985 purchased by the people who disclosed their income and wealth under Voluntary Disclosure Scheme; and

(b) the amount of interest to be paid by the Reserve Bank of India upto 1985 on the bonds purchased by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) In pursuance of Section 3(3) of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance 1975, Bonds 1985 were notified by Government for purposes of investment by declaration. Under Section 5(4) of the said Ordinance, investment in these Bonds is to be made by a declarant within 30 days from the date on which declaration is made.

1,00,231 applications aggregating Rs. 15·89 crores have been tendered at the receiving offices for investment in the Bonds upto 15th January, 1976.

(b) The Bonds bear interest at 5¾ per cent per annum from the date of investment until their maturity on 20th October, 1985.

तेल सुविधा निधि के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता

1093. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अन्तरिम समिति की जमैका में आयोजित बैठक में वर्ष 1976 के दौरान तेल सुविधा निधि से सहायता जारी रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मांग करने का विचार है; और

(ख) तेल सुविधा निधि के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त धनराशि वर्ष 1975 के दौरान किन शीर्षों के अधीन खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) यद्यपि भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तेल सुविधा का जारी रहना अच्छा था किन्तु स्वयं विकासशील देशों में ही पारस्परिक सहमति न होने तथा ऐसी सुविधा को और आगे के लिए बढ़ाने के सम्बन्ध में विकसित देशों के पूर्व-परिचित विरोध को ध्यान में रखते हुए जमैका में आयोजित अन्तरिम समिति की बैठक में इस मामले को नहीं उठाया गया है ।

(ख) तेल सुविधा के अन्तर्गत ली गई रकम, शोधन शेष के समर्थन के रूप में होती है और इससे साधारणतया देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा विशेष रूप से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बने पदार्थों के आयात के बढ़े हुए अतिरिक्त खर्च की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है ।

Monopoly of purchasing Cotton in the Country

1094. Shri Ram Hedaoo : Willthe Minister of **Commerce** be pleased to state whether Government propose to have the mor opoly of purchasing cotton in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): No, Sir.

अपरिष्कृत काजू का निर्यात

1095. **श्री बयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में अपरिष्कृत काजू का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उसी अवधि में तैयार किये गये का काजू कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

वाणिज्य नंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में आयात किये गये कच्चे काजू तथा भारत से निर्यात की गई काजू गिरी की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	कच्चे काजू का आयात (मात्रा हजार मे० टन में)	काजू गिरी का निर्यात (मात्रा हजार मे टन में)
1972–73 . . .	198	66
1973–74	150	52
1974–75	160	65

थाईलैण्ड में संयुक्त उपक्रम

1096. **श्री सरजू पाँडे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाडा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड को हैक्सा ब्लैड बनाने के लिए थाईलैण्ड में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की अनु ति दे दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): सरकार ने हैक्सा ब्लेडों (कटिंग टूल्स) के विनिमय के लिए थाईलैंड में संयुक्त उपक्रम के रूप में एक संयत्र स्थापित करने के लिए मै० हाडा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड के प्रस्ताव को फरवरी, 1975 में स्वीकृति प्रदान की है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये ऋण

1097. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की तीन बड़ी फर्मों ने 25 करोड़ रुपए की राशि हड़प ली है जो उन्ह स्टेट बैंक आफ इंडिया ने ऋण के रूप में दी थी ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये तीनों फर्में अब 'संकटग्रस्त' फर्मों के रूप में चल रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) : उपयुक्त विषय पर, सरकार ने कुछ सप्ताह पूर्व, समाचार-पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट देखी है। चूंकि रिपोर्ट में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अपेक्षित विवरण नहीं था, अत : सरकार इन रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है ।

House Rent paid to Central Government Employees

1098. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount paid at present annualy to the Centrla Government employees as house rent as also such amount paid to the employees residing in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): A sum of Rs. 72 crores (approximately) has been paid by Government as house rent allowance to Central Govrnment employees for the year 1974-75. Separate information regardirg house rent allowance paid to the employees residing in Delhi is not readily available. It is beirg collected and will be placed on the Table of the House.

राष्ट्रमण्डलीय देशों में विशेषज्ञ दल की प्रारम्भिक बैठक

1099. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रमण्डलीय देशों के विशेषज्ञ दल की तीन दिन की प्रारम्भिक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तीन मुद्दों पर मार्ग निर्देश निर्धारित किए;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन राष्ट्रमण्डलीय देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय राष्ट्र मंडलीय देशों के विशेषज्ञ दल की उस बैठक से है जो 19 दिसम्बर 1975 को लन्दन में हुई थी। यह एक प्रारम्भिक किस्म की बैठक थी जिसका उद्देश्य निर्देश निर्धारित करना नहीं, बल्कि विशेषज्ञ दल का भावी कार्यक्रम तैयार करना था। राष्ट्रमंडलीय देशों के विशेषज्ञ दल की अगली बैठक, फरवरी 1976 में किसी समय, इबदान, नाइजीरिया में होनी तय हुई है। आशा है कि विशेषज्ञ दल की 1977 तक, समय समय पर बैठकें होती रहेंगी ।

(ग) राष्ट्रमण्डलीय विशेषज्ञ दल कोई अन्तर्सरकारी संगठन नहीं हैं और इसके सदस्यों का चयन व्यक्तिगत रूप में किया गया था तथा वे उसी रूप में कार्य करते हैं और वे अपने देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। राष्ट्रमण्डलीय देशों के विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

परम श्रेष्ठ श्री अलिस्टर मेक्किलनटायर . . .	—अध्यक्ष
प्रोफेसर ए० डी० ब्राउनली . .	—(न्यूजी लैंड)

प्रोफेसर नूरुल इस्लाम	—(बंगला देश)
अमीर एच० जमाल . . .	—(तंजानिया)
परम श्रेष्ठश्री पी० एस० लाई . . .	—(मलयेशिया)
श्री एल० एम० लिशोम्बा	—(जाम्बिया)
सर डोनाल्ड मेटलैण्ड . .	—(ब्रिटेन)
श्री शरद एस० मराठे	—(भारत)
प्रोफेसर एच० एम० ए० ओनिटिरी	—(नाईजीरिया)
परम श्रेष्ठ श्री एल० ए० एच० स्मिथ . .	—(कनाडा)
श्री जे० पी० हेयस	—सचिव

लौह अयस्क निर्यातकर्ता देशों द्वारा एक संगठन बनाया जाना

1100. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह अयस्क निर्यातकर्ता देशों ने प्रभावी ढंग से सामूहिक व्यापार के लिए अपना एक संगठन अथवा एसोसियेशन बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने देशों ने करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ग) लोह अयस्क निर्यातकर्ता देशों की कुल संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) लोह अयस्क के निर्यात व्यापार को सुव्यवस्थित तथा स्वस्थ रूप से विकास करने, अयस्क निर्यात के लिए उचित एवं लाभप्रद कीमतें प्राप्त करने तथा लौह अयस्क के उपयोग, प्रोसैसिंग तथा विपणन के मामले में सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क और सामान्य आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए लौह अयस्क निर्यातक देशों का एक संघ बनाया गया है ।

(ख) दस ।

(ग) लौह अयस्क निर्यात करने वाले लगभग पचीस देश हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम, द्वारा मनोरंजन आदि पर किया गया व्यय

1101. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने मनोरंजन आदि पर वर्ष-वार कुल कितना व्यय किया है तथा इस निगम के प्रत्येक यूनिट/डिवीजन ने कितना व्यय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	यूनिट के ब्यौरे	मनोरंजन पर किया गया व्यय		
		1974-75	1973–74	1972–73
1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
1	मुख्यालय . .	31,567	40,558	20,073
2	प्रोजेक्ट डिवीज़न .	4,458	1,391	3,000
3	होटल डिवीजन	5,352	14,069	3,010
4	परिवहन . . .	5,337	5,201	2,245
5	शुल्क मुक्त दुकानें . .	2,359	836	—
6	उत्पादन और प्रचार .	20,565	13,537	10,000
7	एस० ई० एल० लाल किला .	26	62	—
8	क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई .	520	10	—
9	अशोक होटल, नई दिल्ली .	24,155	33,473	29,355
10	जनपथ होटल, नई दिल्ली .	6,411	—	3,994
11	लोदी होटल, नई दिल्ली . .	2,318	1,178	52
12	रणजीत होटल, नई दिल्ली .	1,119	871	1,249
13	होटल अशोक, बंगलौर . .	497	—	1,326
14	अकबर होटल . . .	—	—	161
15	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	429	1,418	—
16	औरंगाबाद होटल . . .	—	21	—
17	खजुराहो होटल . . .	120	79	—
18	कुतब होटल . . .	11,593	—	—
19	यात्री लॉज . . .	640	—	115
	कुल . .	1,17,466	1,12,704	74,580

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

1102. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1973, 1974 और 1975 के वर्षों में **क्रमशः** बैंकवार और राज्यवार, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी शाखायें खोली गई हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कार्यालय खोलना

1103. **श्री टुना उराँव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक बैंक ने पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों में राज्य-वार कितनी शाखाएं खोली हैं ; और

(ग) इन राज्यों में राज्य-वार चालू वित्तीय वर्ष में बैंकों की बैंकवार कितनी शाखाएं खोली गई अथवा खोली जानी है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 1 में दी गई है ।

(ख) पूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों के राज्यों और संघ राज्यों में शाखाएं खोलने के लिए नवम्बर 1975 के अन्त तक वाणिज्यिक बैंकों के पास बकाया लाइसेंसों / आवंटन पत्रों विषयक रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किये गये आंकड़े अनुबन्ध 11 में दिये गये हैं । (ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 10217 /76) ।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के वाहनों को दी गई सुविधायें

1104. **श्री एस० ए० मुरुगान्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ ने जुलाई, 1974 में आगरा-दिल्ली-आगरा मार्ग पर बसें चलाने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम को 5 नियमित बस परिमिट दिये थे ;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने उस सुविधा का लाभ नहीं उठाया और इसके परिणामस्वरूप भारत पर्यटन विकास निगम को आगरा बस चलाने पर बहुत अधिक लागत आती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन सुविधाओं का उपयोग न करने के क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ग) : दिसम्बर, 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचनाएं जारी कीं जिनके द्वारा उन्होंने राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को प्राधिकृत किया कि वे भारत पर्यटन विकास निगम अथवा भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के किसी अन्य मानोनीत को बाराणसी, लखनऊ, आगरा तथा दिल्ली-आगरा-फतेहपुर सीकरी मार्ग पर दर्शनीय स्थानों की यात्रा के प्रयोजन के लिए कांट्रैक्ट गाड़ियों के रूप में चलाने के लिए वातानुकूलित बसों के लिए अधिक से अधिक 5 परमिट प्रदान करें। पर्यटक यातायात की मौसमी प्रकृति, भारत पर्यटन विकास निगम की वातानुकूलित कोचों की मांग और उनकी उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए, निगम ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह इस मामले पर पुनः विचार करे, तथा वातानुकूलित एवं गैर-वातानुकूलित डीलक्स कोचों के परिचालन के लिए परमिट प्रदान करे। उत्तर प्रदेश सरकार गैर-वातानुकूलित कोचों को परमिट प्रदान करने पर इस बिना पर सहमत नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश रोडवेज़ के पास गैर-वातानुकूलित बसें पर्याप्त संख्या में हैं तथा गैर-वातानुकूलित कोचों के और अधिक परमिट प्रदान करने से विदेशी पर्यटकों द्वारा आशा किए जाने वाले स्तर में सामान्यतः ह्रास हो जायेगा।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम, दिल्ली के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए एक परमिट के अन्तर्गत 260/- रुपये की दैनिक परमिट फीस पर दिल्ली तथा आगरा के बीच एक गैर-वातानुकूलित कोच सेवा का परिचालन कर रही है। अप्रैल-दिसम्बर, 1975 की अवधि के लिए इस कोच के अन्तिम परिचालन परिणाम निम्न प्रकार हैं :—

आय	5.17 लाख रुपये।
व्यय	3.91 लाख रुपये।
अधिशेष	1.26 लाख रुपये।

पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिये कार्यवाही

1105. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में कितने पर्यटकों ने देश का दौरा किया ;

(ख) उक्त अवधि में उनके दौरों से अनुमानतः कितनी आय हुई :

(ग) वर्ष 1976 में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की गई अथवा की जायेंगी ; और

(घ) विभिन्न देशों से पर्यटक यातायात बढ़ाने के लिये एयर इंडिया द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 465,275.

(ख) भारत में किये गये पर्यटकों द्वारा व्यय से विदेशी मुद्रा की आय का वर्तमान मूल्यों के स्तर पर अनुमान 104 करोड़ रुपये लगाया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले किरायों से एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की आय सम्मिलित नहीं है।

(ग) पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विशेषतया बल न पर दिया जाता है। आवास तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था, भारत को लक्ष्य बना कर आने वाले पर्यटक यातायात को बहुत बड़ी मात्रा में आकृष्ट करने के लिये चुने हुए क्षेत्रों का पर्वतीय एवं समुद्रतटीय विहार-स्थलों के रूप में विकास, पुरातत्वीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में सांस्कृतिक पर्यटन का विकास तथा अन्य जीव पर्यटन का विकास। भारत के लिये यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये कई प्रकार के रियायती किराये चालू किये गये हैं। इसके अलावा, इंडियन एयरलाइंस अपने अंतर्देशीय क्षेत्र में 14 दिन के लिये 200 अमरीकी डालर तथा 21 दिन के लिये 275 अमरीकी डालर के "भारतदर्शन" प्रोत्साही किराये आफर कर रहे हैं। भारतीय रेलवे में 21 दिन की यात्रा के लिये विदेशी पर्यटकों के लिये "जहां चाहो घूमों" टिकट चालू किये हैं। जो पर्यटक बगैर वीसा के आते हैं उन्हे अब 28 दिन तक का "मल्टी एन्ट्रीलैंडिंग परमिट" प्राप्त हो सकता है।

(घ) एयर इंडिया भारत के लिये पर्यटक यातायात के प्रवाह को बढ़ाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर उपाय कर रही है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. उत्तरी अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा खाड़ी के क्षेत्र से भ्रमण किरायों, फ्रांस स्विटजरलैंड तथा इटली से युवा किरायों और यूरोप, यू० के०, जापान तथा उत्तरी अमरीका से समस्त व्यय सहित पर्यटक किरायों जैसे विशेष किराए चालू किए गए हैं।

2. खाड़ी के क्षेत्र के तेल के धनी देशों के लिए परिचालनों में काफी वृद्धि कर दी गयी है।

3. आस्ट्रेलिया के लिए उड़ान करने वाले 707 विमान के स्थान पर अधिक धारिता वाले 747 विमान प्रतिस्थापित करने की योजनाएं।

4. पर्यटकों के लिए इनका विकास करने के लिए अंदमान व निकोबार द्वीप समूहों एवं लक्षद्वीप के विशेष सर्वेक्षण किए गए हैं। एयर इंडिया भारतीय होटल कारपोरेशन के सहयोग से लक्षद्वीप के बांगारम द्वीप में एक पर्यटक कांम्प्लेक्स के निर्माण की संभावनाओं की भी जांच कर रही है।

5. भारत के लिए युवा पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए एक कार्यक्रम चालू किया गया है तथा जुलाई, 1976 में दिल्ली में एक युवा मेले का आयोजन किया जाएगा।

6. एक कांग्रेस तथा कन्वेंशन सैल की स्थापना की गयी है तथा कई काग्रसों और कन्वेंशनों की योजना बनाई जा रही है।

7. भारत के लिए बौद्ध पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिए 1974 में सुदूर पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षत्रों में एक मार्किट सर्वेक्षण किया गया।

8. इन क्षत्रों से पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लिय एयर इंडिया ने ए० एस० टी० ए० संस्था द्वारा यू० एस० ए० तथा कनाडा को ले जाये गये 'प्रेजेन्टेशन' में तथा आस्ट्रेलिया, जापान तथा मध्य पूर्व में तैयार किए गए पी० ए० टी० ए० भारत संस्था के आडियो विजुअल प्रेजेन्टेशनों में सहयोग प्रदान किया।

9. विमान यात्रियों को बीच में भारत में ठहरने के लिए प्रेरित करने के लिए "स्टाप ओवर" यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है ।

10. विदेश स्थित एयर इंडिया के कार्यालय एयरलाइन्स कर्मचारियों, यात्रा परिचालकों तथा यात्रा अभिकर्ताओं को भारत के लिए परिचायक यात्राएं करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं ।

बुनकरों से कृत्रिम रेशे का अधिक मूल्य लिया जाना

1106. **श्री रघु नन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशे के निर्माता बुनकरों से अधिक मूल्य ले रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

(क) इस सम्बन्ध में हालांकी कोई जानकारी नहीं है कि नायलन फिलामेन्ट धागे के विनिर्माताओं द्वारा ऊंची कीमतें ली जाती रही है, फिर भी पोलिस्टर फिलामेन्ट के धागे के लिये, जिसकी सप्लाई कम है, ली जाने वाली कीमतें निश्चित रूप से अधिक हैं

(ख) देश में संश्लिष्ट धागे का उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय विचाराधीन हैं ।

ऊनी कपड़ों का निर्यात

1107. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी कपड़ों का निर्यात बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) क्या ऊनी कपड़ों का निर्यात स्टर्लिंग में व्यापार करने वाले देशों की अपेक्षा रुपये में व्यापार करने वाले देशों से अधिक रहा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सिले-सिलाये ऊनी परिधानों के निर्यात 1974–75 में बढ़कर 223.49 लाख रुपये के हो गये जब कि वर्ष 1973–74 में ये 90.39 लाख रुपये के थे । चालु वर्ष (1975-76) के दौरान भी निर्यातो में वृद्धि का रूख है ।

(ग) जी नहीं ।

नियंत्रित कपड़ा योजना

1108. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादन, वितरण और मूल्यों के बारे में नियंत्रित कपड़ा योजना का वर्तमान मुल्यांकन क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जबकि मिल में बने सूती कपड़े की कतिपय किस्मों के उत्पादन एवं कीमत पर कानूनी नियंत्रण अक्तूबर, 1964 में लागु किया गया था, कंट्रोल के कपड़े की वर्तमान योजना 1-4-1974 से चल रही है। योजना शुरू करते समय वर्ष में 8000 लाख वर्ग मीटर का उत्पादन स्तर रखने का विचार था। वर्ष 1–4–1974 से 31–3–1975 के दौरान कंट्रोल के कपड़े का वास्तविक उत्पादन 8230 लाख वर्ग मीटर के स्तर तक पहुंच गया जो निर्धारित स्तर से अधिक था।

2 कंट्रोल के कपड़े की कीमतों में, जो कि 1–4–74 को निर्धारित की गई थी, वृद्धि करने के लिए समय समय पर उद्योग से सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं किन्तु इस बीच कोईवृद्धि करने की अनुमति नहीं दी गई है। कंट्रोल के कपड़े की लागत तथा कीमत ढ़ांचे की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति स्थापित की गई है।

3 मन्दी की बाजार स्थिति तथा उसके फलस्वरूप स्टाक के जमा हो जाने को ध्यान में रखते हुए उद्योग के वित्तीय रूप से कमजोर एककों को सहायता पहुंचाने की आवश्यकता अनुभव की गई। यह विनिश्चय किया गया है कि ये एकक एक वर्ष के लिए कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन करने से छुट पाने के लिए अनुरोध कर सकेंगे।

4 अक्तूबर, 1972 से कंट्रोल के कपड़े के वितरण पर भी सांविधिक नियंत्रण लागु कर दिया गया और उसके वितरण के लिए कतिपय साध्यक निर्धारित कर दिये गए। जनता के कमजोर वर्ग तक कपड़े की पहुंच सुनिश्चित करने लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये कि वे ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बिक्री केन्द्र खोलने के लिए उपाय करेंऔर साथ ही कपड़े की बिक्री के लिए मानदंड भी निर्धारित करें। वितरण व्यवस्था का काम शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ को सोंप दिया गया। वितरण व्यवस्थाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती रही और क्रियाविधि को सुव्यवस्थित बनाने के लिए समय-समय पर उपाय किये गये। वर्ष 1974 के अन्त मे कंट्रोल का कपड़ा जमा हो गया। वितरण व्यवस्थाओं को उदार बना कर और बिक्री केन्द्रों का विस्तार करके स्थिति का मुकाबला करने के लिए कार्यवाही की गई। आशा है कि इसके फलस्वरूप कंट्रोल के कपड़े के स्टाक कम होकर सामान्य स्तर पर आ जायेंगे।

स्वदेशी जहाजी डीजल इंजनों पर उत्पादन शुल्क

1109. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि स्वदेशी जहाजी डीजल इंजनों पर उत्पादन शुल्क की अदायगी से पूर्णत : छुट दी जाये जिससे मछली पकडने के कार्य को प्रोत्साहन मिल सके ; और

(ख) यदि हां , तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार

1110. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद देश की आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ है

(ख) यदि हां, तो आपात स्थिति से पूर्व कितनी मुद्रा परिचालन में थी और इस समय यह कितनी है ; और

(ग) आपात स्थिति से पूर्व औद्योगिक क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना था और इस समय वह कितना है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) 20 जनवरी, 1975 को आपात स्थिति की घोषणा से तत्काल पूर्व जनता के पास 12,221 करोड़ रुपये की मुद्रा थी और 2 जनवरी, 1976 को (अर्थात् वह सब से हाल की तारीख जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं) 12,275 करोड़ रुपये थी।

(ग) संम्भवत: माननीय सदस्य का आशय औद्योगिक क्षेत्र के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जी०एन० पी० से है। ये आंकड़े वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं और 1972–73 ही सब से हाल का ऐसा वर्ष है जिसके सम्बन्ध में प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं। प्रश्न में पूछी गई अवधि के लिए ऐसे आंकड़े उपलब्ध न होने की सूरत में औद्योगिक उत्पादन (1970–100) के सूचक अंक से ही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अप्रैल-जून, 1975 की तिमाही में यह सूचक अंक 110.8 था जो जुलाई-सितम्बर, 1975 की तिमाही में बढ़ कर 119.4 हो गया।

पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया कृषि-ऋण

1111. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में से प्रत्येक में जिलावार कृषि हेतु कितना ऋण दिया गया।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा देश में कृषि की सहायता हेतु बनाई गई योजनाओं की रूपरेखाएं क्या हैं,

(ग) इन राज्यों में से प्रत्येक में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का स्वरूप क्या है ; और

(घ) इन राज्यों में उक्त योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) से (घ) तक: जून, 1973 और जून, 1974 (हाल के ताजा उपलब्ध) के अन्त तक पूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये कृषि ऋणों की जिलेवार बकाया राशि को प्रदर्शित करने वाला विवरण अनुबन्ध में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 10218/76] राज्यवार ऋणों की राशि अनुबन्ध से स्पष्ट हो जायेगी। बैंक वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंक सभी कृषिक कार्यों तथा तत्सम्बन्धी कार्यकलापों के लिये ऋण देते हैं। इन ऋणो में अल्प कालीन फ़सल ऋण, लघु सिंचाई कार्यों के लिये सार्वधिक ऋण, कृषिक मशीनो तथा अन्य उपकरणों की खरीद के लिये ऋण, भूमि विकास के लिये ऋण, और डेरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन तथा अन्य तत्सम्बन्धी कार्यकलापों के लिये ऋण जैसे प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं। अप्रत्यक्ष कृषिक ऋणों में प्राथमिक कृषिक सहकारी ऋण समितियों, कृषक सेवा समितियों, उर्वरकों तथा काम आने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापारियों को ऋण, कृषिक सेवा केन्द्रों को तथा नलकूपों (ट्यूब वेल्स) और पम्प सैटों को बिजली देने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को ऋण, शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंक, लघु सिंचाई, भूमि विकास, फ़ार्म यन्त्रीकरण, बागान तथा बागबानी, मुर्गीपालन और डेरी और साथ ही साथ बाजार स्थल परियोजनाओं जैसे उद्देश्यों के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत कृषिक विकास योजनाओं का वित्त पोषण कर रहे हैं। ये बैंक, विभिन्न राज्यों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वियन में भी सक्रियता से भाग ले रहे हैं। ये बैंक प्रोथमिक कृषिक सहकारी ऋण समितियों के वित्त पोषण की योजना में भी भाग लेते हैं। इन्हें कृषक सेवा समितियों के संगठन और वित्तपोषण में सहभागी बनाया जाता है। वे, एस०एफ़०डी०ए/एम०एफ़०एल०ए०, द्वारा बनायी गयी योजनाओं की परियोजना क्षेत्रों में आवश्यक ऋण प्रदान करके उन अभिकरणों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। पूर्णतर व्याप्ति और प्रभावी पर्यावेक्षण के लिये, ये बैंक अधिकाधिक क्षेत्रोंन्मुखता तथा ग्राम अंगीकरण योजनायें अपना रहे हैं और भारतीय स्टेट बैंक समूह ने इस प्रयोजन के लिये बहुत सी कृषि विकास शाखायें खोली हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंक पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राज्यों सहित सारे देश में अपनी योजनाओं का कार्यान्वियन कर रहे हैं। आमतौर पर बैंक पर्चों, स्थानीय समाचार पत्रो में विज्ञापनों और ग्रामों में फ़िल्मों के प्रदर्शनों आदि के माध्यम से कृषि विकास की इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाते हैं। बैंकिंग विभाग ने भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न पर्चों को छपवाया है।

पाँचवीं योजना के दौरान राज्यों को ऋण से राहत

1112. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ऋणों को लौटाने में उड़ीसा राज्य के पांचवीं योजना में कोई ऋण सम्बन्धी राहत दी जायेगी।

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) अन्य किन राज्यों को ऋण-राहत दी जा रही है तथा इसकी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) 159.44 करोड़ रुपए।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें पांचवीं आयोजना की अवधि में केन्द्रीय ऋणों की वापसी में दी गई ऋण-राहत के राज्यवार आंकड़े दिखाए गए हैं।

विवरण

पांचवीं आयोजना की अवधि में राज्यों को दी गयी ऋण-राहत

राज्य	(करोड़ रुपए)
1. आन्ध्र प्रदेश	191.82
2. असम	154.31
3. बिहार	138.43
4. गुजरात	40.25
5. हरियाणा	28.80
6. हिमाचल प्रदेश	34.05
7. जम्मू और कश्मीर	132.29
8. कर्नाटक	126.89
9. केरल	111.91
10. मध्य प्रदेश	87.65
11. महाराष्ट्र	68.22
12. मणिपुर	20.85
13. मेघालय	8.43
14. नागालैण्ड	5.11
15. उड़ीसा	159.44
16. पंजाब	14.92
17. राजस्थान	276.88
18. तमिलनाडु	88.29
19. त्रिपुरा	11.60
20. उत्तर प्रदेश	154.77
21. पश्चिम बंगाल	136.25
जोड़	1990.66

त्रिपुरा में चाय बागानों का बन्द होना

1113. **श्री बीरेन दत्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में बन्द हुए चाय बागानों की संख्या कितनी है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए ; और

(ग) क्या सरकार ने चाय बागानों को सरकारी नियन्त्रण में चलाने हेतु कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) चाय बोर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के 8 चाय बागान बन्द पड़े बताये जाते हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जिन बागानों को फ़िर से उत्पादन योग्य बनाया जा सकता है उनके पुन: स्थापन के लिये सरकार ने उपाय निश्चित कर लिये हैं जिनमें बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना शामिल है। इस प्रकार के बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की व्यवस्था करने के लिये चाय अधिनियम, 1953 में संशोधन करने के बारे में विधान पेश करने के लिये प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं।

बिहार स्थित सेंट्रल बैंक की शाखाओं द्वारा ऋण की बकाया राशि वसूल किया जाना

1114. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहरसा जिसके अन्तर्गत सापौल तथा बिहार के अन्य स्थानों पर सैंट्रल बैंक की शाखायें छोटे खुदरा दुकानदारों की सम्पत्ति तथा अन्य आस्तियों की कुर्की के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त करके और उनको ऋण की बकाया राशि का किस्तों की बजाय एक मुश्त भुगतान करने के लिये मजबूर करके बहुत परेशान कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि किस्तों में वापस न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसकी सापौल शाखा ने जिन 15 ऋणकर्त्ताओं को 1972–73 में लगभग 2,50,000 रुपये के ऋण दिये थे उन्होंने बार-बार याद दिलाने पर भी बैंक को देय रकम का भुगतान नहीं किया, इसलिए उनके विरुद्ध सर्टिफ़िकेट प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। बैंक को इन ऋणकर्त्ताओं में से किसी से भी यह ऋण किस्तों में अदा करने का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

Sick Textile Mills

1115. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri S. M. Banerjee :
Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of sick textile mills taken over by Government so far; and

(b) the expenditure incurred on their renovation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Apart from 103 sick textile undertakings whose management had been taken over by Government and which have already been nationalised, the management of one more textile undertaking has been taken over.

(b) Modernisation programmes to the extent of about Rs. 21 crores have been implemented in nationalised sick textile undertakings upto December, 1975.

झींगों (प्रान) का निर्यात

1116. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पकड़े गये झींगों के एक-तिहाई का निर्यात कर दिया गया है;

(ख) क्या केरल में परम्परागत झींगा पालन उद्योग से इस बात का पता लगता है कि वहां 'सर्फ राइडिंग' किस्म की भी बहुतायत है जिसे मछली पालने के उद्देश्य से इकट्ठा किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो झींगा के लिये विदेशी मांग पूरी करने के लिये सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) झींगा निर्यात का लक्ष्य वर्ष 1976 के लिये क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केरल में झींगा पालन उद्योग के परम्परागत ढंग पर चलने के कारण बड़े में लार्वा का पता नहीं लग सका है। तथापि, केरल तट के 'सर्फ-बीटन' तटवर्ती क्षेत्र के निकट संख्या में झींगा लार्वे उपलब्ध हैं जिन्हें पालने के प्रयोजनों के लिए एकत्र किया जा सकता है।

(ग) केन्द्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान, कोचीन ने हाल ही में कोचीन के निकट नरक्कल में एक प्रायोगिक झींगा पालन उद्योग फार्म शुरू किया है जहां कि तटवर्ती समुद्री क्षेत्रों से बड़ी संख्या में झींगा लार्वे एकत्र किये जाते हैं, उनको जमा किया जाता है और पाला जाता है। नरक्कल फार्म के अनुभव के आधार पर बड़े स्तर पर झींगा फार्म उद्योग यथा समय कहीं और भी शुरू करने का प्रयास किया जा सकता है।

(घ) 49,100 मे० टन।

शत्रु सम्पत्ति के लिये अनुग्रहपूर्वक मुआवजा

1117. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान और भतपर्व पूर्वी पाकिस्तान के दावेदारों को वर्ष 1975 के दौरान उनकी सम्पत्ति के लिये कितना अनुग्रहपूर्वक मुआवजा मंजूर किया गया और दिया गया;

(ख) उक्त वर्ष के अन्त में दोनों क्षेत्रों के दावेदारों के शेष रहे दावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे दावों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1975 के दौरान अनुग्रहपूर्वक भुगतानों के लिए 4.65 करोड़ रु० की राशि मंजूर की गई। वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक भुगतान 4.70 करोड़ रु० के बैठते हैं जिसमें विगत वर्ष में मंजूर की गई कुछ राशि भी शामिल है।

(ख) वर्ष के अन्त में पूर्व पाकिस्तान के दावेदारों के सम्बन्ध में 2624 दावे तथा पश्चिम पाकिस्तान के दावेदारों के सम्बन्ध में 99 दावे लम्बित थे।

(ग) इन दावों को यथा शीघ्र निपटाने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है।

भारत में आये विदेशी पर्यटक

1118. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में भारत में आये पर्यटकों की राष्ट्रिकताओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : एक विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 10219/76)

नवम्बर तथा दिसम्बर, 1975 के लिए राष्ट्रिकता-वार आंकड़ों की अभी संगणना की जा रही है।

वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाना / समय पूर्व सेवानिवृत्त किया जाना

*1119. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान वाणिज्य विभाग के किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है अथवा समय पूर्व सेवानिवृत्त किया गया है; और

(ख) ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। आपातकाल में इस मंत्रालय और इसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के 28 राजपत्रित अधिकारियों समेत 59 कर्मचारी समय-पूर्व सेवामुक्त और/अथवा नौकरी से बर्खास्त किये गये हैं।

(ख) (1) सत्यनिष्ठा का अभाव और

(2) कर्मचारी उपयोगी नहीं रहा।

कोका कोला निर्यात निगम

1120. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम ने वर्ष 1973 और 1974 में कितना लाभ कमाया;

(ख) भारत में उसने कितना पूंजी-निवेश किया;

(ग) लाभ तथा अन्य खर्चों के रूप में मुख्य कार्यालय को देय कितनी राशि भेजी जाने वाली है; और

(घ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत इस कम्पनी को कितने शेयर भारतीयों को देने होंगे और उसे ऐसा कब तक करना होगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कम्पनी के 1 दिसम्बर, 1973 और 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्षों के तुलन पत्रों के अनुसार, उन वर्षों में क्रमशः 71;23,076 रुपये तथा 51,05,620 रुपये का लाभ हुआ।

(ख) कम्पनी ने शुरू में लगभग 6.6 लाख रुपये की पूंजी लगाई थी।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने, इस कम्पनी के संबंध में, अभी तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2)(क) तथा (ग) के अन्तर्गत कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा निर्यात और आयात में वास्तविक मूल्य से अधिक अथवा कम राशि के बीजक बनाना

1121. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री कोका कोला निर्यात निगम द्वारा निर्यात और आयात में वास्तविक मूल्य से अधिक अथवा कम राशि के बीजक बनाने के बारे में 11 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न सं० 5877 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). जी, हां। अब जो सूचना एकत्र की गई है उसके अनुसार पिछले तीन वर्षों में किसी भी सीमाशुल्क गृह में मेसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा आयातों का न्यून-बीजकांकन अथवा निर्यातों का अधि-बीजकांकन किये जाने का कोई मामला लाभ कारी में नहीं आया है। इसलिये इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठा।

बम्बई सीमाशुल्क गृह ने मेसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा किये गये आयातों के निर्धारण योग्य मूल्य के प्रश्न की जांच की है और यह पाया है कि उनके आयातों के बीजक-मूल्य स्वीकार्य हैं।

इस फर्म द्वारा निर्यातों के न्यून बीजकांकन किये जाने की शिकायत का जहां तक संबंध है, इसकी जांच की जा रही है। जांच-पड़ताल कार्य के दौरान इस फर्म को निर्यात करने की अनुमति अन्तिम रूप से दे दी गई है।

उड़ीसा को विश्व बैंक से सहायता

1122. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गत वर्ष उड़ीसा में विभिन्न विकास परियोजनाओं की सम्भाव्यताओं का परीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले और क्या सिफारिश कीं; और

(ग) उड़ीसा राज्य के लिये विश्व बैंक ने कितनी धन राशि मंजूरी की है और इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार ने किन-किन परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। विश्व बैंक के एक दल ने पिछले वर्ष उड़ीसा की कृषि के क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की व्यावहारिकता का सर्वेक्षण किया था।

(ख) उसके अन्तिम निष्कर्ष और सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) राशि का पता तभी चलेगा जब विश्व बैंक वर्ष के उत्तरार्ध में प्रस्तावित परियोजनाओं का अन्तिम रूप से मूल्यांकन कर लेगा।

उड़ीसा में पर्यटन केन्द्रों का विकास

1123. **श्री गिरधर गोमाँगो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) वर्ष 1975–76 के दौरान उक्त कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कितनी धनराशि का आवंटन किया है ; और

(ग) क्या सरकार का कोरापुर, गंजाम, क्योंझर और कालाहाण्डी जिलों में पर्यटन आकर्षण स्थलों का विकास करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). पुरी के युवा होस्टल को पूरा करने तथा भुवनेश्वर और कोणाकी मन्दिरों के चारों ओर के क्षेत्र के पर्यावरण को और सुन्दर बनाने के कार्य को केन्द्रीय पर्यटन विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग के अनुरोध पर निर्माण और आवास मंत्रालय के नगर एवं प्रदेश आयोजना संगठन द्वारा तैयार की गयी कोर्णाक के सूर्य मन्दिर के आस-पास के क्षेत्र की मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मास्टर प्लान के तैयार करने के कार्य को कोणार्क में सुविधाओं के विकास को विनियमित करने की दृष्टि से प्रारम्भ किया गया है ताकि सूर्य मन्दिर के इर्द-गिर्द के क्षेत्र की पर्यावरणात्मक विशेषतायें अव्यवस्थित एवं यादृच्छिक विकास प्रवृत्ति के कारण नष्ट न होने पावें।

इसके अतिरिक्त भारत पर्यटन विकास निगम का 1975–76 के दौरान भुवनेश्वर स्थित अपने यात्री लाज का विस्तार करने तथा पांचवीं योजनावधि के दौरान पुरी में एक 3–स्टार वर्ग के होटल का निर्माण करने और भुवनेश्वर में अपने परिवहन यूनिट को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

पर्यटन सुविधाओं पर विकास के लिए राज्य सरकार को उपदान देने की प्रणाली को चौथी योजना से बन्द कर दिया गया है। अतः 1975–76 के दौरान उड़ीसा सरकार को इस प्रयोजन के लिये कोई निधियां आवंटित नहीं की गयी हैं। फिर भी, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1974-75 में पुरी में युवा होस्टल का निर्माण करने पर 1.35 लाख रुपये की धन-राशि खर्च की। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा भुवनेश्वर में अपने यात्री लाज का विस्तार करने के लिए वर्ष 1975–76 के दौरान 6.00 लाख रुपये खर्च करने की आशा है।

(ग) कोरापुट, गंजम, कयोंझार तथा कालाहांडी जिलों में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में फिलहाल कोई स्कीमें प्रस्तावित नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय क्षेत्र में उड़ीसा में पर्यटन विकास के मुख्य प्रयत्न भुवनेश्वर-पुरी कोणार्क के पर्यटक त्रिकोण पर ही केन्द्रित हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में पहले ही से लोकप्रिय हैं।

Export of Silken and Engineering Goods

1124. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the quantum of engineering goods exported in 1975-76 as compared to that in 1974-75; and

(b) the names of the countries to which these goods are exported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) *India s Exports of Engineering goods*: Engineering goods consists of a large variety ofitems, total exports of which it is not possible to indicate in terms of quantities. The value of engineering goods exports in the last few years has been as follows:

(Value in Rs. lakhs)

Item	1972-73	1973-74	1974-75	April-August 1974	April-August 1975
1	2	3	4	5	6
Engineering goods	140,98	201,68	352,75	115,85	156,8
(a) Metal manufactures . . .	38,31	49,46	75,98	27,64	31,85
(b) Machinery other than electric .	29,36	46,91	89,79	28,37	46,05
(c) Electrical Machinery . . .	23,43	28,75	56,29	18,13	26,19
(d) Transport equipment . .	33,26	40,37	64,35	17,27	32,91
(e) Other Engg. goods . . .	17,62	36,19	66,34	24,44	19,84

(b) The principal countries to which engineering goods are exported include, USA, UK Iraq, Malaysia, UAE, Bangladesh, Nigeria, Iran, Kuwait, USSR, Saudi Arabia, Kenya, Australia and Yugoslavia.

राज्य व्यापार निगम द्वारा कुवैत को बासमती चावल का निर्यात

1125. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कुवैत को बासमती चावल के निर्यात दायित्व का राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्वाह न कर पाने के कारण खरीदार ने शेष क्रयादेश को रद्द कर दिया है ;

(ख) कितने टन चावल उपलब्ध कराया गया और बाकी कितने चावल की डिलीवरी की जानी थी ; और

(ग) परिसमापन मुआवजे के लिए और जो जहाज खाली लौट गये, उनके भाड़े के रूप में राज्य व्यापार निगम को कितनी धनराशि अदा करनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). कुल 30,000 मे० टन की दो संविदाओं में से 19,995 मे० टन बासमती चावल का पोत लदान कर दिया गया था और शेष 10,005 मे० टन रह गया था। निर्यात पैकिंग के लिये क्रेता की इच्छा के अनुसार जूट की बोरियां उपलब्ध न होने के कारण, शेष मात्रा का पोत लदान नहीं कया जा सका। जो शेष मात्रा भेजे जाने से रह गई उसके लिए क्रेता ने साख-पत्रों की अवधि नहीं बढ़ायी।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने किसी परिसमापन मुआवजे अथवा "डेड" भाड़े का भुगतान नहीं किया है अथवा न कोई देय है ।

आयातित अखबारी कागज का राज्य व्यापार निगम के पास जमा हो जाना

1126. **श्री धामनकर:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पास आयातित अखबारी कागज काफी अधिक मात्रा में जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और कितने मूल्य का तथा जमा हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा स्टाक को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). 31 दिसम्बर, 1975 को राज्य व्यापार निगम के पास लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य के तकरीबन 24,600 मे० टन अखबारी कागज का भंडार था । भंडार जमा हो जाने का मुख्य कारण उपभोक्ताओं द्वारा धीमी गति से माल उठाया जाना था ।

(ग) उन मामलों को छोड़कर जहां जहाज पहले ही नियुक्त किए जा चुके थे, 17 अक्तूबर, 1975 से अखबारी कागज के और आगे आयात बन्द किये जा चुके हैं । सभी उपभोक्ताओं के लिये यह जरूरी है कि वे वैध अनुज्ञप्तियों के आधार पर राज्य व्यापार निगम के समीकरण भंडारों से अपनी आवश्यकता का माल उठायें ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1127. **श्री ए० एम० सिद्दय्या** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1975 को उनके मंत्रालय और उसके अधीन विभिन्न निगमों में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कुल कितने कर्मचारी थे ;

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी थे ;

(ग) वर्ष 1974–75 और 1975–76 (1 दिसम्बर, 1975 तक) में श्रेणी वार कुल कितने कर्मचारी नियुक्त अथवा पदोन्नत किये गये और उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे ; और

(घ) क्या उपर्युक्त अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की कोई विशेष नियुक्ति की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख), (ग) और (घ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Collection of money by Companies in the form of Fixed Deposits and Shares

1128. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the name of the companies which have collected money in the form of fixed deposits and shares, from the people during 1974-75 and 1975-76 (upto December, 1975);

(b) whether Government have received complaints that some companies have not come into existence even after collecting large amounts of money from the people; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) According to the directions issued by the Reserve Bank of India to non-banking companies, they are required to furnish returns giving the extent of their deposits as at the end of March of every year before 30th June of that year. After the coming into force of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 with effect from 3rd February, 1975 non-banking non-financial companies, to which these rules apply, have to furnish returns to the Registrars of Companies giving *inter alia* information on the deposits accepted or renewed by them during any financial year within 30 days from the last day of their financial year. As such the returns from all non-banking companies—financial as well as non-financial for the year 1975-76 have not become due.

As regards the year 1974-75, Reserve Bank has reported that the returns submitted by all non-banking companies are still under its scrutiny, the results of which, available only with certain time lag in view of the very large number of such companies which will be well over a thousand, are published by them only in a consolidated form.

Public limited companies raise capital by issue of shares through prospectuses which prescribe varying patterns of instalments (including amount to be tendered with the applications) in which the full value of the shares is to be paid by the subscribers. Department of Company Affairs have reported that according to the latest information available with them, during the year ended March 31, 1975, 59 non-Government non-financial companies issued capital amounting to Rs. 23·43 crores.

(b) & (c). Reserve Bank of India has reported that while it has not received any complaint regarding collection of moneys by companies which did not come into existence, there have been complaints against certain companies conducting prize chits, benefits/saving schemes which, after coming into existence, have ceased to function.

In this regard Government have already accepted the recommendation of the 'Study Group on Non-Banking Companies' that conduct of prize chits, benefit/saving schemes et. should be banned in the larger interests of the public. Action to implement, *inter-alii* this recommendation has been taken in hand.

Operation of Air routes by Private Airlines

1129. **Dr. Laxminarayan Pandeya**
Shri N. K. Sanghi:
Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether operation of passenger services on Indore-Ahmedabad, Indore-Bombay and other air routes has been offered by Government to private airlines;

(b) if so, the names of all such routes;

(c) the names of the private airlines which have accepted the offer; and

(d) the date from which operation of private services is likely to start under this scheme?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Safari Airways have been permitted to operate non-scheduled services on the route Bombay-Keshod-Porbander-Rajkot-Ahmedabad-Indore. In addition the following 9 routes, which are not being operated by Indian Airlines are at present have been offered to private operators:—

(1) Calcutta-Jamshedpur-Rourkela-Raipur.

(2) Nagpur-Hyderabad-Vijaya wada-Madras.

(3) Calcutta-Gaya-Muzaffarpur-Patna-Varanasi (without traffic rights between Calcutta and Varanasi and Calcutta and Patna).

(4) Delhi-Allahabad-Jabalpur.

(5) Calcutta-Malda-Cooch Behar-Rupsi.

(6) Calcutta-Shillong-Aizal.

(7) Bombay-Nasik.

(8) Bombay-Nasik-Sholapur-Bombay.

(9) Bombay-Calicut-Cochin (without traffic rights between Bombay and Cochin).

(c) The following operators have shown interest and offered to operate on the routes indicated against each:—

Name of the Operator	Routes
1. Safari Airways . . .	Bombay-Nasik. Bombay-Calicut-Cochin.
2. Agricultural and General Aviation Cooperative Society, Hyderabad	Calcutta-Jamshedpur-Rourkela-Raipur. Nagpur-Hyderabad-Vijayawada-Madras. Bombay-Nasik-Sholapur-Bombay.
3.	Bombay-Calicut-Cochin (without traffic rights between Bombay and Cochin).

(d) The applications received are under consideration. No indication can be given at this stage as to when the services by non-scheduled operators are likely to commence.

Closure of Handlooms

1130. **Shri Ram Hedaoo**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of handlooms lying closed at present and the reasons therefor; and

(b) the steps taken by Government to re-start closed handlooms?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Government have no information about the number of handlooms lying closed at present However, some unemployment and under-employment due to accumulation of handloom stocks with the weavers had been reported from the four Southern States and Uttar Pradesh.

(b) A loan assistance of Rs. 5 crores was granted to those States and the All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society Limited, Bombay for clearance of the accumulated handloom stocks. Subsequently, in order to speed up the clearance, a special rebate of 20% on sale of accumulated handloom stocks has been allowed till the 31st January, 1976. The Centre contribution would be 10% subject to a matching contribution of 10% by the State Governments.

काजू उद्योग में संकट की स्थिति

1131. **श्री वलायार रवि :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काजू की गिरी के भारी भण्डार के कारण काजू उद्योग में गम्भीर संकट पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग के इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). तीन-चार महीने पहले काजू-गिरी का भंडार जमा हो गया था लेकिन तब से भारी मात्रा में निर्यात किए जाने पर व्यापारियों के पास पड़ा बकाया स्टाक काफी हद तक कम हो चुका है और वर्तमान भंडार को असाधारण रूप में अधिक नहीं समझा जाता ।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में गिरावट

1132. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्राकृतिक रबड़ के मूल्य गिर गये हैं जिसमें उत्पादकों को कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). अक्तूबर, 1975 में चल रही कच्चे रबड़ की 650 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत बढ़ कर 700 रु० प्रति क्विंटल के चालू स्तर तक पहुंच गई है । यह कीमत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत से निरन्तर काफी ऊंची रही है ।

सरकार ने विनिर्माताओं से अधिक रबड़ खरीदने के लिये कहा है ताकि उपजकर्ताओं को जमा माल से राहत मिल सके । विनिर्माताओं ने अब अपने स्टाक में वृद्धि कर ली है ।

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

1133. **श्री वयालर रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य स्तर को बनाये रखने हेतु प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि देश में रबड़ की मांग तथा सप्लाई लगभग सन्तुलित है, अतः प्राकृतिक रबड़ के निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । देश में प्राकृतिक रबड़ की प्रचलित कीमत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत से कहीं अधिक है ।

मिदनापुर जिले में राष्ट्रीयकृत तथा ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की स्थापना

1134. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के दौरान मिदनापुर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों की नई शाखाएं स्थापित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 1975 से 30 नवम्बर, 1975 तक की अवधि में मिदनापुर जिले में, वाणिज्यिक बैंकों ने 6 नई शाखाएं खोली थीं जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

वर्ष 1975 में, इस जिले में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया।

विवरण

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में 1-1-1975 से 30-11-1975 तक की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गई नई शाखाओं की केन्द्रवार सूची

केन्द्र का नाम	वर्गीकरण	बैंक का नाम
मेचन्दा	ग्रामीण	भारतीय स्टेट बैंक
देबरा	ग्रामीण	भारतीय स्टेट बैंक
खड़गपुर	शहरी	सेंट्रल बैंक आफ़ इंडिया
मिदनापुर	अर्धशहरी	सेंट्रल बैंक आफ़ इंडिया
हल्दिया	ग्रामीण	युनाइटेड बैंक आफ़ इंडिया
खड़गपुर-गोल बाजार . . .	शहरी	युनाइटेड बैंक आफ़ इंडिया

प्रिय लक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा

1135. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़ौदा, गुजरात स्थित प्रिय लक्ष्मी मिल्स लगभग 1975 के पूरे वर्ष में संकटग्रस्त रूप में चलती रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस एकक को अपने नियंत्रण में लेने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): पता चला है कि प्रिय लक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा 23 अप्रैल, 1975 से बंद हो गया है। इस मिल के प्रबन्ध ग्रहण के प्रश्न के बारे में सरकार का विनिश्चय बहुत से संगत तथ्यों और बातों पर निर्भर करेगा। केन्द्रीय सरकार और गुजरात राज्य सरकार इस मामले पर आपस में परामर्श कर रही हैं।

पालिसिधारियों को मकान देने के लिए जीवन बीमा निगम की योजना

1136. **श्री गंगादेव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जरूरतमंद पालिसिधारियों को मकान देने के लिये जीवन बीमा निगम की योजना में ऋणों पर ब्याज लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख): बैंक दरों में वृद्धि के कारण जीवन बीमा निगम ने विभिन्न बंधक ऋण योजनाओं के अन्तर्गत ऋणों पर अपने ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं। लेकिन 25,000 रु० तक के ऋण पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की छूट प्राप्त है बशर्ते कि मकान का मूल्य 75,000 रु० से अनधिक हो और ऋण लेने वाले की कुल आय 21,000 रु० प्रति वर्ष से कम हो।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धकीय प्रतिभा का विकास

1137. **श्री बसन्त साठे :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ऊंचे पदों पर नियुक्ति के लिये उद्यम के अन्दर से ही प्रबन्धकीय प्रतिभाओं के द्रुत विकास के लिये एक नौ सूत्री कार्यवाही योजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस 'नौ सूत्री कार्यवाही योजना', की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भूतपूर्व औद्योगिक प्रबन्धक पूल के स्थान पर एक सरकारी क्षेत्र का प्रबन्धक संवर्ग बनाने के बारे में क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) और (ख): वर्तमान प्रशिक्षण साधनों का जायजा लेने और शीर्ष पदों पर नियुक्ति के लिये उद्यमों में से ही प्रबन्धकीय प्रतिभाओं का विकास करने के लिये एक नीति और कार्यक्रम तैयार करने हेतु सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अपने प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन 9 और 10 दिसम्बर, 1975 को बुलाया था। दो दिन के विचार-विमर्श के उपरान्त सम्मेलन ने निम्नलिखित 9 सूत्री कार्यवाही योजना सुझाई है :—

1. उद्योग तथा क्षेत्र के आधार पर प्रशिक्षण सुविधाओं का अन्तर्क्षेत्रीय (इन्टरसेक्टरल) समूहन करना ।
2. विपणन जैसे विशिष्ट कार्यों के लिये कार्यपरक आधार पर प्रशिक्षण साधनों का समूहन करना।
3. इस प्रकार के अन्तर्प्रतिष्ठान समूहन (पोलिंग) के लिये सरकार उद्यम कार्यालय द्वारा एक प्रशिक्षण केन्द्र का नामांकन किया जाना।
4. प्रबन्धकीय प्रशिक्षण और विकास के एक समुन्नत केन्द्र की स्थापना करना।
5. लागू किये जाने वाले कार्यक्रम के लिये मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का अनुमोदन और वचनबद्धता प्राप्त करने के लिये सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रशिक्षकों की बैठक आयोजित किया जाना।
6. प्रबन्धकीय प्रशिक्षण और विकास के विषय में सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा सलाहकारी दल का गठन किया जाना।

7. प्रशिक्षकों द्वारा सामूहिक योजना तैयार कराने के लिए अधिकतम प्रयास किया जाना, क्योंकि बिना सामूहिक योजना के प्रबन्ध प्रशिक्षण और विकास सार्थक नहीं हो सकता।

8. प्रचालन कर्मचारियों में से क्रमावर्तित प्रशिक्षण नीति के द्वारा और प्रबंधकीय कर्मचारियों में से अनुशस्ति के आधार पर एक प्रशिक्षण संवर्ग बनाया जाना।

9. सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक संगठन द्वारा एक प्रशिक्षण नीति विषयक समिति का गठन किया जाना। यह समिति अपने प्रबन्धकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं और तरीकों के बारे में वास्तविक समीक्षा करेगी।

(ग) सरकार ने एक सरकारी उद्यम चयन मण्डल बनाया है। इस चयन मण्डल को, बीमा और बैंकिंग क्षेत्र के उद्यमों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या प्रबंध के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के जितने भी उद्यम हैं उनके उच्चतम स्तर के पदों पर अर्थात् अंशकालिक अध्यक्षों, पूर्णकालिक अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारियों और कार्य निदेशकों की नियुक्ति में भी चयन मण्डल का प्रतिनिधि रहेगा। सरकारी उद्यम चयन मण्डल का सरकारी उद्यमों में सेलेक्शन, मूल्यांकन, प्रशिक्षण और विकास सम्बन्धी कार्यक्रम और प्रणालियां तैयार करने में भी निकट सहयोग रहेगा; ताकि शीर्ष पदों पर नियुक्ति के लिए उद्यमों में से ही प्रबंधकीय प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। चयनमण्डल के स्तर से नीचे के सभी प्रबंधकीय पदों के सम्बन्ध में भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति के अधिकार कम्पनियों को ही सौंप दिये गये हैं, किन्तु सरकारी उद्यम चयन मण्डल का सचिव कम्पनियों द्वारा महाप्रबंधकों के चयन के लिए स्थापित समितियों में भी शामिल होगा।

आयात-निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग

1138. **श्री धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान कितने आयात-निर्यात लाइसेंसों के दुरुपयोग के मामलों का पता लगाया गया तथा दर्ज किया गया;

(ख) गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में उसकी स्थिति क्या है; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख). 1973–74 और 1974–75 के दौरान क्रमश: 361 और 532 मामलों में आयात और निर्यात लाइसेंसों के कथित दुरुपयोग के संबंध में आयात नियंत्रण विनियमों के अधीन कार्यवाही की गई थी।

(ग) ऐसे अनेक उपाय किये गये हैं जिनसे आयात सुविधाओं का दुरुपयोग कम से कम हो सके। वास्तविक प्रयोक्ताओं को एक निर्धारित फ़ार्म में आयातित माल की खपत का लेखा-जोखा रखना पड़ता है। आयातित माल का उपयोग किस प्रकार किया गया है, प्रोयोजक प्राधिकारियों द्वारा इसकी भी पड़ताल की जाती है। यदि आयातित माल का दो वर्षों तक प्रयोग नहीं किया गया है, तो आयातक के लिए यह जरूरी है कि वह लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करे। चालू वर्ष में, इस बारे में और यह निर्धारित करके कदम उठाया गया है कि वास्तविक प्रयोक्ता

के लिए आटोमैटिक लाइसेंस पिछले वर्ष आयातित माल की वास्तविक खपत अथवा पिछले वर्ष प्राप्त किये गये लाइसेंसों के मूल्य, जो भी कम हो, तक सीमित होगा ।

Sale of Contraband Goods

1139. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the arrangements made for the sale of contraband goods seized during 1975; and

(b) the amount of money realised as a result thereof?

The **Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee)**: (a) The arrangements made for the sale of contraband goods seized during 1975, which have become ripe for disposal are given in the statement annexed.

(b) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Statement of Procedure Regarding the sale and disposal of Confiscated goods.

The procedure regarding the sale and disposal of confiscated goods is as under:—

(i) Consumer and luxary goods are sold through National Co-onsumer's Coperative Federation Ltd., New Delhi and also to certain Canteens and Cooperatives controlled by Government, such as Canteen Stores Department, C. R. P., B. S. F., Police Canteens, Armed Forces and Para-Military Canteens and the Central Government Employees Consumers' Cooperative Society Ltd. (run by the Ministry of Home Affairs). First preference is, however, given to (i) Schools, Universities and Government Offices for the sale of Calculating Machines/ Electronic Goods and (ii) Armed Forces, C.R.P. B.S.F. and Para Military Forces upto their full requirements for sale of confiscated watches.

(ii) perishable goods and goods not in wholesale lots may be sold through departmental retail shops.

(iii) Cloves and spices are sold to M/s National Consumers, Cooperative Federation Limited New Delhi, Government controlled cooperatives and Canteens and also by public auctions restricted to import quota holders and industrial actual users and Cooperatives.

(iv) Nylon and other Synthetic Yarns are sold by the Department directly to the Weavers' Associations/Cooperatives on the basis of market price less 10% discount and also to certified actual users in auction.

(v) Diamonds, precious and semi-precious stones and conveyanaces are sold departmentally.

(vi) Gold and silver are despatched to the Mint.

(vii) Currencies are deposited with the Reserve Bank of India.

(viii) Launches and arms & ammunition are kept for departmental use for anti-smuggling work.

(ix) Trade goods are sold through departmental auctions or tenders.

(x) Liquor is sold to Military Canteens and Clubs and also to Hotels against debit of their import licence.

चीनी के निर्यात से आय

1140. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में चीनी के निर्यात से होने वाली आय 475 करोड़ रुपये के प्रायोजित स्तर से कम होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो अब तक निर्यात क गई और निर्यात की जाने वाली चीनी का मूल्य कितना है; और

(ग) निर्यात लक्ष्य प्राप्त न होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1975–76 में अब तक निर्यात की गई चीनी का मूल्य 326.77 करोड़ रुपये है तथा 1975–76 के पूरे वर्ष के दौरान चीनी के निर्यातों से लगभग 450 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है ।

(ग) चीनी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है जिसके फ़लस्वरूप इकाई मूल्य प्राप्ति में अपेक्षाकृत कमी हुई है।

हवाई कम्पनियों द्वारा यात्रा एजेन्टों को कमीशन

1141. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी हवाई कम्पनियों को निदेश दिया है कि वे यात्रा एजेंटों की कमीशन तत्काल बढ़ा दें ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बाहदुर) : (क) और (ख). यात्रा अभिकर्ताओं को विमान कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली कमीशन अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था द्वारा नियत की जाती है, परन्तु उसका अनुमोदन हर कम्पनी की अपनी अपनी सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है ।

अप्रैल, 1975 में यात्रियों को सेवा प्रदान करने की लागत में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुये अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था की एक विशेष बैठक में यात्री टिकट बिक्री अभिकर्ताओं को दी जाने वाली उस समय प्रचलित आइ०ए०टी०ए० दरों को 1 मई, 1975 से 7 प्रतिशत से बढ़ा कर 7.5 प्रतिशत कर देने के लिए एक संकल्प पारित किया गया था। भारत सरकार ने इस संकल्प का अनुमोदन कर दिया ।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था की जनेवा में दिसम्बर, 1975 में हुई बैठक में इस दर को 1 फरवरी, 1976 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर देने का संकल्प पारित कर किया गया । भारत सरकार ने इस संकल्प का अनुमोदन कर दिया है और यदि सब सम्बन्धित सरकारें इसका अनुमोदन कर देती हैं तो यह लागू हो जायेगा ।

कर अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन

1142. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में कर अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत मुख्य सुझाव क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :(क) जी हां ।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है, जिसमें सम्मेलन द्वारा दिये गये मुख्य-मुख्य सुझावों के सारांश दिये गये हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10220/76)

भारतीय निर्यात को खतरा

1143. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उनके मंत्रालय के सचिव द्वारा 'भारतीय निर्यात के खतरे' के बारे में दिये गये कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार निर्यातों के सम्बन्ध में बदलती हुई घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती रहती है । यह सुनिश्चित करने के लिये सभी उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं कि अर्थ व्यवस्था से केवल निर्यात अधिशेष ही अधिकाधिक उपलब्ध न होते रहे बल्कि भारतीय माल भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता करता रहे । इसके लिए उठाए गए अन्य कदमों में से कालीन अस्तर वस्त्र और हैसियन पर लगे निर्यात शुल्क की समाप्ति, निर्यातों को चुनिंदा मदों के लिए नकद मुआवजा सहायता का दिया जाना और ओ० जी० एल० के अन्तर्गत 168 मदों को शामिल करके निर्यात नियंत्रण विनियमों का उदारीकरण और अन्य 18 मदों के निर्यात के नियंत्रण-समाप्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है ।

Committee on irregularities and Extravagant Expenditure in I. T. D. C. Hotels

1144. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the **Minister of Tourism and Civil aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have constituted any committee to look into the cases of irregularitiesan and extravagant expenditure in hotels being run by the India Tourism Development Corpora tion; and

(b) if so, the findings of the Committee?

The **Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil aviation: (Shri Surendra Pal Singh)**: (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Overdrafts by states from Reserve Bank of India

1145. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) the names of the States which have drawn overdrafts from the Reserve Bank of India upto December, 1975 and the amount thereof in each case; and

(b) the steps being taken by Government to realise the same from those States?

The **Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi)**: (a) and (b). Overdrafts, if any, on the Reserve Bank reflect the day-to day cash balance position of State Governments. As on 31 st December, 1975, the following States were in overdraft:

	(Rs. Crores)
1. Kerala	1·86
2. Rajasthan	2·07
3. Tripura	0·53

Rajasthan and Tripura have since cleared their overdrafts. The Kerala position is under consideration.

सूती कपड़ा नीति

1146. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के लिये एक समेकित सूती कपड़ा नीति बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो नई नीति की शोधनीय विशेषताएं क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) वस्त्र उद्योग के लिए एक एकीकृत नीति ढांचे के सम्बन्ध में निर्णय लिए गए हैं जिसके अन्तर्गत रुई की मुख्य किस्मों के लिए समर्थन कीमतों की घोषणा, रुई की तुलना में सरकारी एजेंसियों के योगदान का निर्धारण, कन्ट्रोल के कपड़े से सम्बन्धित नीति, उद्योग के पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण के लिए उपाय, तकुआ क्षमता के विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग और हथकरघा क्षेत्र का विकास जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं ।

मैन-मेड फाइबर्स स्पिनर्स एसोसिएशन से प्राप्त ज्ञापन

1147. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैन-मेड फाइबर्स स्पिनर्स एसोसिएशन ने सरकार को विस्कोस स्टेपल फाइबर के मूल्यों में अयुक्तिसंगत तथा बारम्बार होने वाली वृद्धि के सम्बन्ध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में उठाई गई मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) विस्कोज़ स्टेपल रेशे की कीमतें यथार्थ स्तर पर निर्धारित करना ; और

(2) विस्कोज़ स्टेपल रेशे और विस्कोज़ कते धागे पर लगने वाले उत्पादन शुल्क में राहत ।

(ग) हाल ही में प्राप्त हुए ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

हुसैनसागर, हैदराबाद के किनारे भारत पर्यटन विकास निगम का होटल

1148. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का हैदराबाद में हुसैनसागर के किनारे एक होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने इस प्रस्ताव को त्याग दिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आंध्र में निर्धन ग्रामीणों को दिया गया ऋण

1149. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रधान मंत्री के 20सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आंध्र में निर्धन ग्रामीणों को कितनी राशि का ऋण दिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों के निर्धन व्यक्तियों को बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों सम्बन्धी आंकड़े बैंक पृथक रूप से नहीं रखते हैं। किन्तु हाल की ताजा उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश में सरकार क्षेत्र के बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) द्वारा दिये गये कृषिक (प्रत्यक्ष) अग्रिमों की बकाया रकम जून, 1975 के अन्त में 59.71 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी।

उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक

1150. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1960, 1974 और 1975 में क्रमश: उपभोक्ता वस्तुओं की अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक अंक थे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : वर्ष 1974 में अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960–100) का औसत 303.5 था जबकि 1975 के पहले ग्यारह महीनों में इसका औसत 322.3 बैठता है।

काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र

1151. **श्री पी० जी मावलंकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में 1974 तथा 1975 वर्षों में विदेशी मुद्रा उपार्जन तथा औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से अधिक लाभ हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख) जी हां।

इस क्षेत्र से निर्यात 1974–75 में बढ़कर 1.80 करोड़ रु० के हो गये जबकि 1973–74 में वे 1.77 करोड़ रु० के हुए थे। अप्रैल' 75 और दिसम्बर' 75 के बीच 1.47 करोड़ रु० के निर्यात हुए। इस क्षेत्र में एककों की संख्या 1–4–74 को 11, 1–4–75 को 15 और 31–12–75 को 20 थी।

इंडियन एयरलाइंस के पास बोइंग विमान

1152. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने हाल में एक अतिरिक्त बोइंग विमान खरीदा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कीमत क्या है ;

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स के पास इस समय कितने बोइंग विमान हैं ;

(घ) क्या इन बोइंग विमानों का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1976 में इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में वृद्धि करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). 1975 में इंडियन एयरलाइन्स ने 10.61 करोड़ की कुल लागत से दो अतिरिक्त बोइंग–737 विमान प्राप्त किये ।

(ग) 1975 में प्राप्त किये गये दो विमानों को मिलाकर इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में 12 बोइंग–737 विमान हैं ।

(घ) बोइंग–737 के बेड़े का उपयोग अधिकतम रूप में किया जा रहा है, 1-11-75 से लागू हुई शीतकालीन समय-सारणी के अंतर्गत इसके लिये 2738 राजस्व घंटों की प्रायोजना की गयी है जो 1974 के दौरान सभी आई. ए.टी.ए. परिचालकों द्वारा इस प्रकार के विमानों के 2,540 घंटों के औसतन उपयोग की तुलना में पर्याप्त अधिक है ।

(ङ) इण्डियन एयर लाइन्स ने तीन चौड़ी बाडी वाले ए 300 बी०2 विमानों को प्राप्त करने के लिए आर्डर दे दिए हैं जिसका 1976 की अंतिम तिमाही में वितरण किया जाना है ।

अहमदाबाद का गुजरात के प्रमुख नगरों से सम्पर्क जोड़ने का प्रस्ताव

1153. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अहमदाबाद का गुजरात के अन्य प्रमुख नगरों से सम्पर्क जोड़ने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपने विमान बेड़े की तंग स्थिति तथा अन्य परिचालनात्मक प्रतिबन्धों को दृष्टि में रखते हुये, इंडियन एयर-लाइन्स की अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य शहरों के बीच सीधी विमान सेवा प्रदान करने की कोई योजनायें नहीं हैं । किन्तु कारपोरेशन निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार गुजरात के शहरों के लिये विमान सेवाओं का परिचालन कर रही है :—

सेवा संख्या	विमान	आवृत्ति	सैक्टर
आई० सी–103/104	कारवेल	दैनिक	बम्बई/अहमदाबाद/बम्बई
आई० सी–115/116	एच० एस–748	दैनिक	बम्बई/राजकोट/बम्बई
आई० सी–135/136	एच० एस–748	सप्ताह में तीन बार	बम्बई/भावनगर/बम्बई
आई० सी–137/138	एच० एस–748	सप्ताह में चार बार	बम्बई/पोरबन्दर/बम्बई
आई० सी०141/142	एच० एस–748	दैनिक	बम्बई/बड़ौदा/बम्बई
आई० सी–145/146	एच० एस–748	दैनिक	बम्बई/भावनगर/बम्बई
आई० सी–147/148	एच० एस–748	दैनिक	बम्बई/जामनगर/भुज/जामनगर बम्बई ।
आई० सी–461/462	कारवेल	दैनिक	दिल्ली/अहमदाबाद/बम्बई तथा वापस ।

भारत-ब्रिटेन संयुक्त आयोग

1154. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन-भारत संयुक्त आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख). दो देशों के बीच आर्थिक/औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के मार्गोपायों पर विचार करने/उनकी सिफारिश करने के उद्देश्य से एक भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति स्थापित करने हेतु व्यापार मंत्री श्री पीटर शोरे तथा वाणिज्य मंत्री प्रो० देवी प्रसाद च ोपाध्याय ने पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा एक प्रबन्ध पर हस्ताक्षर किये । दो उप-समितियां भी स्थापित की गईं, उनमें से एक द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों के मामलों के बारे में तथा दूसरी औद्योगिक सहयोग, तकनीकी सहयोग तथा पूंजी निवेश के बारे में है ।

सोवियत संघ को अभ्रक का निर्यात

1155. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ को अभ्रक के निर्यात के लिये हाल ही में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल के नेता और भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के निदेशक ने एक ठेके पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संविदा 1976 के दौरान सोवियत संघ को लगभग 7.63 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 505 मे० टन अभ्रक सप्लाई करने के सम्बन्ध में है ।

राज्य व्यापार निगम के पास बिना बिक्री आयातित वस्तुओं का भण्डार

1156. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पास पड़ा सरकारी माध्यम से आयातित कई वस्तुओं का भण्डार बिक नहीं सका है ;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम ने जमा माल को कम करने के लिये क्या तरीका अपनाया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). 31-12-1975 को राज्य व्यापार निगम के पास लगभग 37.46 करोड़ रुपये मूल्य का आयातित भंडार था । ये भंडार सामान्यत: वास्तविक प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने के लिये अपेक्षित सामान्य सीमाओं के भीतर है ।

नारियल जटा वस्तुओं का निर्यात

1157. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975–76 में नारियल जटा वस्तुओं का कुल कितना निर्यात हुआ; और

(ख) क्या इन वस्तुओं को पश्चिम एशिया और लैटिन अमरीका में नई मंडियां मिलने की सम्भावनायें हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) अप्रैल-नवम्बर, 1975 के दौरान 22,529 मे० टन कयर की वस्तुओं का कुल निर्यात हुआ । जिसका मूल्य 1178.32 लाख रुपया था ।

(ख) जी हां ।

कलकत्ता में बैंक लाकरों की तलाशी में प्राप्त सोना तथा अन्य कीमती सामग्री

1158. **श्री टूना उराँव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में 1975 में किन किन व्यक्तियों के बैंक लाकरों की तलाशी ली गई ;

(ख) तलाशियों के परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में कितने मूल्य के जेवरात, सोना तथा हीरे प्राप्त हुए ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) आयकर, सीमा शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों ने वर्ष 1975 में कलकत्ता में बहुत बड़ी संख्या मे विभिन्न परिसरों और लाकरों की तलाशियां ली थीं । लाकरों की तलाशियों का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है । अलग अलग मामले में यह सूचना एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा, वह सम्भवतः प्राप्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य किसी खास व्यक्ति के लाकरों की तलाशी में पकड़े गये माल, कागजात आदि के बारे में विशिष्ट जानकारी चाहते हों, तो वह इकट्ठी करके दी जा सकती है ।

पर्यटन का विकास

1159. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 1975 में प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिये क्या योजनाएं बनाई गई और कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) क्या सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने आवंटित धन राशि का उपयोग कर लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है । विकास के लिए स्थानों का चयन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए वर्तमान अथवा

संभावित आकर्षण के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को उपदान देने की प्रणाली को चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही बन्द कर दिया गया है। अतः स्कीमों को या तो केन्द्रीय क्षेत्र में या राज्यीय क्षेत्र में ही हाथ में लिया जाता है। अतः केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के विकास के लिए 1975 के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को कोई निधियां आवंटित नहीं की गयीं।

केन्द्रीय क्षेत्र में, युवा होस्टलों, पर्यटक बंगलों, फ़ारेस्ट लाजों, होटलों, मोटलों के निर्माण, पर्वतीय तथा समुद्रतटीय विहार-स्थलों के विकास और परिवहन सुविधाओं की अभिवृद्धि पर, पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत, 1975–76 के दौरान 435.73 लाख रुपए का व्यय होने का अनुमान लगाया गया है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

. पर्यटन विभाग

1. अनुपूरक आवास 28.10 लाख रुपए

(क) निम्नलिखित स्थानों पर पर्यटक बंगले :—

(i) गोहाटी
(ii) पोरबंदर
(iii) धर्मशाला
(iV) लुधियाना
(V) रामेश्वरम्
(Vi) दार्जीलिंग
(Vii) वारंगल
(Viii) सेवाग्राम

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर युवा होस्टल :—

(i) हैदराबाद
(ii) पंचकुला
(iii) त्रिवेन्द्रम
(iv) मद्रास
(v) नैनीताल
(vi) भोपाल

(ग) जयपुर में स्वागत केन्द्र

(घ) भरतपुर में शिविर स्थल

2. गुलमर्ग, कोवालम्, गोवा, कुल्लु-मनाली में समुद्र-तटीय तथा पर्वतीय विहार-स्थलों का विकास . . . . . 33.28 लाख रु०

3. सांस्कृतिक पर्यटन . . . . . 3.67 लाख रुपए

(क) जैसलमेर में पर्यटक बंगला तथा खजुराहो में पानी की सप्लाई

(ख) चुने हुए पुरातात्विक केन्द्रों की मास्टर प्लान तैयार करना।

4. वन्य जीव पर्यटन . . . . . 40.68 लाख रुपए

(क) निम्नलिखित स्थानों पर फ़ारेस्ट लाज :—

(i) काजीरंगा

(ii) ससनगिर

(iii) डांडेली

(iv) जालदापारा

(v) भरतपुर

(vi) फ़ारेस्ट लाजों पर साज-सज्जा

(ख) बोरीवली में सफ़ारी पार्क

कुल . 107.73 लाख पए

II. भारत पर्यटन विकास निगम—

(क) निम्नलिखित स्थानों पर होटलों / मोटलों / यात्री लाजों का निर्माण / विस्तार :

	(लाख रुपयों में)
1. दमदम, कलकत्ता	41.00
2. कोवालम . .	44.00
3. औरंगाबाद	33.00
4. बंगलौर में अशोक होटल . . .	25.00
5. पटना में स्वागत केन्द्र-व-मोटल . . .	38.50
6. नई दिल्ली में अकबर होटल का विस्तार . .	—
7. नई दिल्ली में कुतब होटल का विस्तार . . .	—
8. मैसूर में ललित महल पैलेस होटल का विस्तार . .	1.00
9. भुवनेश्वर में यात्री लाज का विस्तार . . .	6.00
10. कोवालम में विहार-स्थल काम्प्लेक्स का विस्तार . .	10.00
11. नई दिल्ली में होटल	—
12. गोवा में होटल	2.00
13. आगरा में स्वागत केन्द्र-व-मोटल . . .	16.50
14. जयपुर मे स्वागत केन्द्र-व-मोटल . . .	15.00
15. सिलीगुड़ी में मोटल	2.50
16. चंडीगढ़ में मोटल	1.00
17. रांची में मोटल	—

(ख) होटलों में परिवर्धन / परिवर्तन / सुधार—

1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	45.00
2.	अकबर होटल, नई दिल्ली	8.00
3.	जनपथ, रणजीत तथा लोदी होटल	15.00
4.	होटल अशोक, बंगलौर	5.00
5.	मैसूर के ललित महल पैलेस का एक होटल में परिवर्तन	7.50
6.	खजुराहो होटल को पूरा करना	—
7.	महाबलिपुरम तट–कुटीरों को पूरा करना	—
8.	नई दिल्ली के कुतुब होटल का नवीकरण	3.00
9.	अन्य यूनिटें	9.00
	कुल	328.00

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में सहकारी बैंकों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिवेदन

1160. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं कि ये केन्द्रीय सहकारी बैंक राजस्थान में छोटे किसानों और हरिजनों को ऋण दे सकें ?

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) जी हां ।

(ख) जी हां । राजस्थान सरकार ने राज्य सहकारी समिति अधिनियम का संशोधन करते हुए 23 अगस्त, 1975 को एक अध्यादेश जारी किया है, जिसमें और बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गयी है कि ग्रामीण सेवा समिति, प्राथमिक भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति के कम-से-कम एक तिहाई सदस्य छोटे किसानों, हरिजनों आदि सहित कमजोर वर्गों के होंगे । उसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक ग्रामीण ऋण समिति अथवा कृषक सेवा समिति द्वारा एक वर्ष में मंजूर किये गये ऋणों की कुल रकम का कम-से-कम एक तिहाई भाग औ प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा एक वर्ष में मंजूर किये गये ऋणों की कुल रकम का कम-से-कम 25% भाग उन सदस्यों के लिये मंजूर करना आवश्यक होगा जो कमजोर वर्ग के हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तमिलनाडु में गरीब किसानों को दिया गया ऋण

1161. श्री एम० कल्याणसुन्दरम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के भाग को क्रियान्वित करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों ने तमिलनाडु में गरीब किसानों को ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों के निर्धन व्यक्तियों को बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों संबंधी आंकड़े बैंक पृथक रूप से सही रखते हैं। किन्तु हाल की ताजा उपलब्ध सूचना के अनुसार, तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) द्वारा किये गये कृषक (प्रत्यक्ष) अग्रिमों की बकाया रकम जून, 1975 के अन्त में 67.14 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी।

बैंक ऋणों पर ब्याज की दर

1162. **श्री रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के वाणिज्य मंत्री ने उनसे यह अनुरोध किया था कि बैंक ऋण की ब्याज दर कम की जाए जिससे औद्योगिकरण द्रुत गति से हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार का इस संदर्भ में कोई सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है कि त्वरित औद्योगिकरण की दृष्टि से बैंक ऋणों पर ब्याज की दर कम की जाय।

Regional Rural Banks in States

1163. **Shri Ramavtar Shastri**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the names of the States in which Regional Rural Banks have been opened so far ; and

(*b*) the time by which they will start functioning in all the States ?

The Minister of State Incharge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee)

(a) In six States, viz., Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, West Bengal, Haryana and Madhya Pradesh Regional Rural Banks have so far been established.

(b) Subject to man-power constraints, it will be Government's endeavour to set up 50 Regional Rural Banks covering various parts of the country before 1st April, 1977.

भारत पर्यटन विकास निगम में स्थानान्तरण नियम

1164. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय में निगम के कर्मचारियों के लिये कोई भी स्थानान्तरण नियम लिखित रूप में नहीं है।

(ख) क्या ए० आई० टी० यू० सी० और इन्टक से सम्बद्ध कर्मचारी यूनियनें काफी लम्बे समय से पारस्परिक रूप से सहमत स्थानान्तरण नियमों के लिये मांग कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो पारस्परिक रूप से सहमत स्थानान्तरण नियमों को बनाने और उक्त नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने तक और स्थानान्तरणों को रोकने के लिये प्रबन्धकों ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह):(क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम में कर्मचारियों के स्थानान्तरण परिचालनात्मक आवश्यकताओं तथा प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुसार किए जाते हैं। निगम के कर्मचारी विनियमों में यह व्यवस्था है कि कर्मचारियों को निगम की सेवा में भारत में अथवा विदेशों में किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को भारत पर्यटन विकास निगम में अपनी नियुक्ति की शर्तों को लिखित रूप में स्वीकार करना पड़ता है, जिनमें भारत के किसी भाग अथवा विदेशों में स्थानांतरण की संभावना भी सम्मिलित है। यद्यपि, यूनियनों ने कर्मचारियों के स्थानांतरण के कुछ व्यक्तिगत मामलों को तो उठाया है, उनकी ओर से परस्पर सहमत स्थानांतरण नियमों के बारे में कोई औपचारिक मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"ओनियम रैकिटियर्स रौब्ड नेशन आफ रुपीज 90 लैक्स" शीर्षक से समाचार

1165. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज के निर्यात के बहुत कम राशि के बीजक बनाने के कारण राष्ट्र को लगभग 90 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) भविष्य में त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) प्याज निर्यात के कम राशि के बीजक बनाने का कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) प्याज निर्यात व्यापार में त्रुटियों को रोकने के लिए मलेशिया तथा सिंगापुर को होने वाले निर्यात 16 नवम्बर, 1974 से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०, नई दिल्ली के माध्यम से मार्गीकृत कर दिये गये हैं। 5 दिसम्बर, 1975 से अन्य सभी स्थानों के लिए भी निर्यातों को इसी प्रकार मार्गीकृत कर दिया गया है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पंजाब में किसानों को दिये गये ऋण

1166. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1974–75 और 1975–76 में पंजाब में किसानों को कोई ऋण दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी):(क) और (ख) पंजाब में भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को मंजूर किये ग प्रत्यक्ष ऋणों और

बकाया रकमों की जून, 1974 और जून, 1975 के अंत की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है ।

(राशि लाख रुपयों में अनंतिम)

	जून, 1974		जून, 1975	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
भारतीय स्टेट बैंक . .	3368	90.77	6327	170.24
राष्ट्रीयकृत बैंक . .	19223	974.73	22521	1073.52

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक बिक्री

1167. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक बिक्री 8,000 करोड़ रुपये के नये शिखर तक पहुंचने की सम्भावना है और कर लगाये जाने से पूर्व शुद्ध लाभ लगभग 300 करोड़ रुपये होगा ;

(ख) क्या वर्ष 1975–76 में उक्त सरकारी उपक्रमों की बिक्री 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इतनी अधिक बिक्री के उक्त आंकड़ों के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के 128 उद्यमों (निर्माणाधीन 8 उद्यमों को छोड़कर) की वार्षिक कुल बिक्री 1974–75 के दौरान लगभग 10,266 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है । 1974–75 में इन उद्यमों को कर व्यवस्था से पूर्व लगभग 314 करोड़ रुपये का निवल लाभ होने की आशा है ।

(ख) 1974–75 की इस उपलब्धि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1975–76 में कुल बिक्री 10,000 करोड़ रुपये से भी कहीं अधिक बढ़ जायेगी ।

(ग) 1974–75 में 10,266 करोड़ रुपये की यह बिक्री 1973–74 में हुई 6810 करोड़ रुपये की बिक्री से लगभग 30 प्रतिशत अधिक है । बिक्री में यह वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई :—

(1) निर्माणकारी और खनन उद्यमों की कुल मिलाकर क्षमता के उपयोग में सुधार ।

(2) व्यापारिक संगठनों के माध्यम से निर्यात और आयात में हुई वृद्धि का प्रभाव ; और

(3) पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, इस्पात आदि के मूल्यों में वृद्धि ।

विदेशों में भारतीय सूती कमीजों और पोशाकों की लोकप्रियता

1168. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका भारत से सूती कमीजों का महत्वपूर्ण खरीददार रहा है और वर्ष 1974–75 में इसने अनुमानत: 7 2 करोड़ रुपये की खरीद की ;

(ख) क्या सूती कमीजों के अतिरिक्त अन्य सूती पोशाकों जैसे टी-शर्ट, बर्क शर्ट्स और अन्डर शर्ट्स का भी अमरीका में अच्छा बाजार है ;

(ग) क्या इन सूती पोशाकों अथवा अन्य किस्मों का अमरीका के अतिरिक्त ब्रिटेन, इटली, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ईराक, नीदरलैण्ड और नार्वे में भी बाजार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि निर्यातक किस्म का सख्ती से पालन करें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका भारत की सूती कमीजों के प्रमुख आयातकों में से है। 1974–75 के दौरान उस देश को सूती कमीजों के निर्यात 6.70 करोड़ रु० मूल्य के हुए।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) वस्त्र समिति नामक एक सरकारी अभिकरण हैं जो वस्त्रों की क्वालिटी बढ़िया हो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्यात किये जाने वाले वस्त्रों का निरीक्षण करता है। सूती कमीजों सहित परिधानों के संबंध में उद्योग द्वारा निर्यातकों को दी जाने वाली नकद सहायता तभी दी जाती है जबकि वस्त्र समिति ने परिधानों का निर्यात पूर्व निरीक्षण किया हो तथा स्वीकृति दी हो।

यूनाइटेड एशियन बैंक

1169. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या युनाइटिड एशियन बैंक, बरहाद, जिसमें भारत सरकार की एक तिहाई भागीदारी है, तीन वर्ष से भी कम अवधि में उच्चतम वृद्धि दर पर पहुंच गया है और मलयेशिया में इसका सबसे बड़े बैंकों में चौथा स्थान है ;

(ख) मलयेशिया में इस समय इस बैंक की कितनी शाखाएं हैं ; और

(ग) क्या बैंक के प्रबन्धक और अधिक शाखाएं खोल रहे हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :(क), (ख) और (ग) : यूनाइटेड एशियन बैंक, बरहाद में सरकारी क्षेत्र के हमारे तीन बैंकों की अल्प-शेयरधारिता है। यह बैंक मलयेशिया में निगमित किया गया है और उस पर मलयेशिया के कानून लागू होते हैं। उसके शाखा विस्तार सहित उसकी परिचालन नीति और कार्यक्रम सेण्ट्रल बैंक आफ मलयेशिया' द्वारा निर्धारित बैंकिंग नीतियों के ढांचे के भीतर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तय किये जाते हैं।

"एवरो" विमानों का मूल्यांकन

1170. श्री धामनकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 'एवरो' विमानों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के पास इस समय कितने 'एवरो' विमान हैं ;

(घ) इनकी संख्या बढ़ाने के लिये कितने और 'एवरो' विमान प्राप्त करने का विचार है ; और

(ङ) ईंधन के मूल्यों में वृद्धि होने के बाद इनको चलाना कहां तक लाभप्रद है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में फिलहाल 15 एवरो विमान हैं ;

(घ) इंडियन एयरलाइन्स को फिलहाल अपने एवरो विमान के बेड़े में कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है;

(ङ) वर्ष 1972–73 1973–1974 तथा 1974–75 में एवरो विमानों से परिचालन के आर्थिक परिणाम नीचे दिये गये हैं :—

	1972–73	1973–74	1974–75
	(लाख रुपयों में)		
1. कुल परिचालन लागत	1361.69	1218.50	1763.48
2. कुल राजस्व . . .	914.24	711.69	1153.58
3. कुल परिचालन हानि . .	420.45	506.81	609.90

1974–75 के लिये एवरो विमानों का समतुलन भार अनुपात 100 प्रतिशत था ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जमा माल को उठाने के लिये कार्यवाही

1171. श्री एम० कतामुतु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने तीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पड़े माल को उठाने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी है ; और

(ख) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर जमा हुए वस्त्रों से समस्या उत्पन्न हो गई और मद्रास हवाई अड्डे पर चमड़े का 90 टन माल जमा हो गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) और (ख) : देश के हवाई निर्यातों में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए, सभी अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स, जिनमें एयर इंडिया भी शामिल हैं, की कार्यक्रमबद्ध सेवाओं में माल ले जाने की उपलब्ध जगह दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता हवाई पत्तनों से आने वाली मांग को पूरा करने में अपर्याप्त पाई गई । जब नवम्बर, 1975 में समस्या विकट बन गई तो वाणिज्य मंत्रालय इस मामले को पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के ध्यान में लाया और अनेक बार विचारविमर्श किया गया । इन विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप, एयर इंडिया ने दिसम्बर, 75 से बहुत सी विशेष चार्टर सेवाएं चलाई । कुछ विदेशी एयर लाइन्स को भी दिल्ली से अतिरिक्त माल सेवाएं चलाने की अनुमति दी गई है । मद्रास से चमड़ा लदानों के लिए सामयिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए एयर इंडिया ने जनवरी, 76 के दौरान अपनी चार्टर सेवाओं में वृद्धि कर दी हैं और माल के उठाने में वृद्धि करने के लिए इस महीने के दौरान और अधिक भारवाही सेवाएं चलाने की भी उनकी योजना है ।

प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों के संघ द्वारा समझौते के मसौदे को अन्तिम रूप दिया जाना

1172. **श्री एच० एम० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों के संघ ने अपने बैंकाक सम्मेलन में समझौते के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर भारत सरकार का क्या रुख है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों के संघ द्वारा गठित एक उप-समिति ने दिसम्बर, 1975 में हुई अपनी बैठक में कीमत स्थिर करने संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ करार के मसौदे को अन्तिम रूप दिया। तथापि यह करार अभी उन देशों द्वारा अनुमोदित किया जाना है जो करार में शामिल होना चाहते हैं।

(ख) करार के मसौदे की मुख्य विशेषता समीकरण भंडार तथा सप्लाई को सुव्यवस्थित करने के उपायों द्वारा प्राकृतिक रबड़ का कीमत स्थिर करना है।

(ग) भारत सरकार ने इस मामले में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया है।

लैटिन अमरीका और पश्चिम एशिया में पटसन के लिये बाजार

1173. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लैटिन अमरीका और पश्चिम एशिया में पटसन के लिये नया बाजार मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): लैटिन अमरीका और पश्चिम एशिया को किये जाने वाले भारतीय पटसन माल के निर्यातकों के रुख का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	मात्रा (हजार मे० टन)			मूल्य (रु० लाख)		
	लैटिन अमरीका	पश्चिम एशिया	योग	लैटिन अमरीका	पश्चिम एशिया	योग
1972–73 .	5.7	26.0	31.7	320	1130	1450
1973–74 .	19.7	22.1	41.8	785	907	1692
1974–75 .	21.1	48.3	64.4	1203	2359	3562
1975–76 . (अप्रैल—अक्तूबर से सम्बन्धित अन्तिम)	6.0	14.6	20.6	314	689	1003

प्रकट है कि 1972–73 और 1973–74 की अपेक्षा 1974–75 में निर्यातों में भारी वृद्धि हुई थी परन्तु 1975–76 का निष्पादन अभी तक उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है । इस गिरावट का कारण संश्लिष्ट माल तथा अन्य उत्पादकों से प्रतियोगिता है ।

हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क

1174. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मत्स्य नौकाओं द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क की अदायगी में सरकार ने आंशिक छूट दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि यह छूट छोटे जहाजों को भी दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बनाए गए ऐसे जलयानों द्वारा, जिनके इंजन 150 बी० एच० पी० से कम के न हों और जिनकी लम्बाई 13.7 मीटर से कम न हो, उपयोग में लाए जाने वाले परिष्कृत डीजल तेल और अन्यथा अविनिर्दिष्ट डीजल तेल पर, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, उस पर लगने वाले मूल उत्पादन शुल्क से 50 प्रतिशत छूट दी गई है और शेष 50 प्रतिशत शुल्क को उन मामलों में माफ कर दिया जाता है जिनमें उन जलयानों द्वारा उपयोग किये जाने वाले तेल के बारे में इस बात का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि 'झींगा मछली (श्रिम्प)' का निर्यात, उपयोग किये गये प्रत्येक 1.08 किलो लीटर तेल के लिए एक मीटरी टन 'झींगा मछली (श्रिम्प)' की दर से किया गया है ।

(ग) और (घ). जी, हां । मामले की जांच की जा रही है ।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिये मंजूर की गई राशि

1175. **श्री ए० के० किस्कु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के पिछड़े जिले परियोजनाओं के लिये मंजूर किये गये ऋण का परियोजना-वार ब्योरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के पिछड़े जिलों में अवस्थित परियोजनाओं के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता सम्बन्धी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10221/76] ।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा साहाय्यित बीमार मिलें

1176. **श्री ए० के० किस्कु**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने गत तीन वर्षों में राज्य-वार, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, कितनी सरकारी एवं गैर-सरकारी बीमार मिलों को सहायता दी ; और

(ख) इन एककों को राज्य-वार औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध की गई राशियों के फलस्वरूप क्या सफलतायें प्राप्त हुईं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 1973, 1974, और 1975 के वर्षों के दौरान, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने 63 रुग्ण औद्योगिक एककों को सहायता प्रदान की । इन में से 54 एकक पश्चिम बंगाल में, एक-एक एकक आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात और पंजाब में तथा दो-दो एकक बिहार और महाराष्ट्र में स्थित हैं । इन वर्षों के दौरान जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सहायता दी गई उनकी राज्यवार सूची, उन्हें मंजूर और संवितरित राशि सहित, अनुबन्ध में प्रस्तुत है ।

अभी तक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने सरकारी क्षेत्र के किसी भी औद्योगिक एकक को वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 10222/76] ।

(ख) पुनर्निर्माण का प्रभाव अनुभव करने से पहले पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को, आमतौर पर लगभग, तीन अथवा तीन से अधिक वर्षों की प्रतीक्षा-अवधि की व्यवस्था करनी पड़ती है । अभी तक, निगम द्वारा सहायता प्राप्त एककों में से, 14 एककों ने लगातार 1973–74 और 1974–75 के वर्षों के दौरान नकद लाभ की सूचना दी है । सहायता प्राप्त ऐसे एककों की, जिन्होंने 1973–74 और 1974–75 (जुलाई से जून तक) के दौरान नकद लाभ दिखाये हैं, राज्यवार सूची नीचे प्रस्तुत है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य	1973–74 (जुलाई–जून)	1974–75 (जुलाई-जून)
पश्चिम बंगाल . . .	13	11
दिल्ली .	1	1
महाराष्ट्र		1
पंजाब . . .		1
	14	14

गैर-नियंत्रित कपड़े के स्टाक का जमा होना

1177. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-नियंत्रित किस्मों के न बिके हुये सूती कपड़े का स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कपड़ा मिलों में पड़े हुये गैर-नियंत्रित किस्मों का स्टाक अद्यतन क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). नवम्बर, 1975 के अन्त में नियंत्रण सूती कपड़े का कुल स्टाक 202,100 गांठें था जो सितम्बर, 1975 के अन्त में 226,900 गांठों के उच्चतम स्तर में गिरावट के रुख का सूचक है । इनमें ऐसी कुछ मात्रा शामिल है जो बिक तो चुकी है लेकिन अभी उठाई जानी है और मिलों में ही पड़ी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों को ग्रामीण बैंकों से उपभोग ऋण

1178. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बैंकों से दिये जाने वाले उपभोग ऋण के ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिससे किसानों को आपात खर्चे में सहायता मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सरकार द्वारा क्षेत्रीय बैंकों को भेजे गये प्रारम्भिक मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में यह कहा गया है कि उपर्युक्त मामलों में, सीमित मात्रा में उपभोग ऋण दिये जा सकते हैं किन्तु वे, (क) शैक्षणिक आवश्यकताओं और (ख) चिकित्सा सेवा के लिये आकस्मिक व्यय पूरा करने तक ही सीमित होने चाहियें । यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान छोटे ऋण-कर्ता को दिये गये निर्वाह ऋणों को उपभोग ऋण न मानकर उन्हें उत्पादन ऋणों का अंग माना जाना चाहिये ।

आयकर अधिकारियों द्वारा रामपुर में स्वर्ण आदि की बरामदगी

1179. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 1975 के दिसम्बर मास में रामपुर अथवा उसके आस-पास के स्थान में भुने हुये चने और मूंगफली बेचने वाले के निवास से लाखों रुपयों के मूल्य के स्वर्ण और चांदी के सिक्के बरामद किये ; और

(ख) इस सम्बध में क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) ।

(क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

अभ्रक के निर्यात के लिये ठेके

1180. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 10 करोड़ रुपये के अभ्रक के निर्यात के लिये सोवियत संघ तथा कुछ पूर्व यूरोपीय देशों के साथ किन्हीं नये करारों को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में कुछ अन्य देशों से ऐसे अन्य करार करने की सरकार की योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :—

देश	नई संविदाओं का मूल्य
	(लाख रुपये)
(i) सोवियत संघ	763.50
(ii) पोलैण्ड	66.94
(iii) रूमानिया	48.46
(iv) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य . . .	37.87
(v) चैकोस्लोवाकिया	19.94
योग	936.71

(ग) जी हां ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, दरभंगा में क्लर्कों तथा टाइपिस्टों के रिक्त पदों का भरा जाना

1181. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, दरभंगा (बिहार) ने क्लर्कों तथा टाइपिस्टों के 36 रिक्त पदों को भरने के लिये क्रमश: 18 जून, 1971 और 25 फरवरी, 1972 को लिखित तथा मौखिक परीक्षायें ली थीं;

(ख) क्या अनुसूचित जाति के चार सफल उम्मीदवारों में से एक भी उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की गई जब कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये $22\frac{1}{2}$ प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क), (ख) और (ग). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि रोजगार कार्यालयों को खाली पदों के बारे में लिखने के बाद क्लर्क-टाइपिस्टों की भरती के लिए 18 जुलाई, 1971 को दरभंगा में एक लिखित परीक्षा ली गई थी। लिखित परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जाति के पांच उम्मीदवारों में से केवल एक ने लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और टाइपिंग परीक्षा पास की और उसे नियुक्त कर दिया गया था।

पंजाब में कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

1182. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कपड़ा उद्योग का शीघ्र आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिससे ऐसे माल का उत्पादन किया जा सके जिससे विदेशों में मंडियां आकर्षित की जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनायें

1183. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने पंजाब के लिये वर्ष 1974-75 के दौरान किसी परियोजना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय सहायता की भी स्वीकृति दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सहकारिता वर्ष 1974-75 के दौरान कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम ने पंजाब में कृषि विकास की 15 योजनाएं मंजूर की थीं।

(ख) उक्त योजनाओं का प्रयोजन करने वाले बैंकों को 566.28 लाख रुपये तक की पुनर्वित्त सहायता मंजूर की गयी थी।

(ग) कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता तथा उसके द्वारा किये गये वायदों का योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषिक पुनर्वित्त और विकास बैंक द्वारा 1974–75 के दौरान मंजूर की गयी योजनाएं

(लाख रुपयों में)

प्रयोजन	वित्तीय सहायता	मंजूर पुनर्वित्त
1. छोटे सिंचाई कार्य	597.59	478.08
2. फार्म यंत्रीकरण	55.66	41.75
3. डेरी विकास . . .	30.00	30.00
4. राज्य सहकारी बैंक को मंजूर की गयी योजनाएं	18.28	16.45
जोड़	701.53	566.28

ऊनी मिलों के लिये पंजाब को धागे की सप्लाई

1184. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 में पंजाब को ऊनी मिलों के लिये कोई धागा सप्लाई किया गया है; और

(ख) क्या राज्य की ऊनी मिलों को वर्ष 1975–76 में धागे का कोई आवंटन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). ऊनी यार्न के उत्पादन, मूल्य और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः प्रश्न में उल्लिखित अवधियों के लिए किसी कानूनी आदेश के अधीन ऊनी यार्न की सप्लाई का प्रश्न नहीं उठता। यद्यपि ऊनी पद्धति पर चलने वाली कताई मिलें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वदेशी स्रोतों से करती हैं, परन्तु जो मिलें वर्स्टेड व शाड़ी क्षेत्रों में हैं उन्हें वास्तविक प्रयोक्ताओं हेतु आयातित कच्चे माल, जिसकी मात्रा विदेशी मुद्रा में प्राप्यता पर निर्भर होती है, और ऊनी माल के निर्यात पर निर्भर करना पड़ता है क्योंकि निर्यातकों को कच्चे माल के आयात की अनुमति पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात-नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जीवन बीमा निगम और यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम

राजस्व और बैंककारी विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक

[श्री प्रणब कुमार मुखर्जी]

प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10206/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत युनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1973 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** एल० टी० संख्या 10207/76]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 23 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12/76/सी०ई० [सां०सा०नि० 35 (ङ)] में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या 13/76–सी ई [सां०सा०नि० 36 (ङ)] जो दिनांक 23 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या 14/76–सी ई [सां०सा०नि० 37 (ङ)] की एक प्रति, जो दिनांक 23 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है।

(5) उपर्युक्त (3) और (4) में उल्लिखित अधिसूचनाओं संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** एल०टी० संख्या 10208/76]

एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2)[1] के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एयर इंडिया का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) इंडियन एयर लाइन्स का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** एल० टी० संख्या 10209/76]

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एयर इंडिया के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** एल०टी० संख्या 10210/76]

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, खनिज तथा खान व्यापार निगम, लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, चाय बोर्ड के वर्ष 1972-73 और काफी बोर्ड के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन और निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा, समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** एल० टी० संख्या 10211/76]

(ख) (एक) भारतीय खनिज तथा खान व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खनिज तथा खान व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** एल० टी० संख्या 10212/76]

(2) चाय बोर्ड के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10213/76]

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

(3) काफ़ी बोर्ड के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** एल० टी० संख्या 10214/76]

(4) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रिफ्रैक्ट्री ईंटों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 23 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2739 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) परतदार पटसन उत्पाद का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1975, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4068 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) घरेलू रेफ्रिजरेटरों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 5228 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) निर्यात निरीक्षण परिषद् अंशदान भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1975, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 5344 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) निर्यात निरीक्षण अभिकरण अंशदान भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1975, जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 5421 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) तेल रहित चावल भूसी का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 10 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 157 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये **देखिये** एल० टी० संख्या 10215/76]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 जनवरी, 1976 को पास किये गये आय और धन स्वेच्छया प्रकटन विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा 22 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 जनवरी, 1976 को पास किये गये तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 21 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है ।

दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक
DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL

महासचिव : मैं दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1976 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हुं ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
189वां प्रतिवेदन

श्री एच० एम० मुखर्जी : मैं डाक और तार पर लोक लेखा समिति के 145वें प्रतिवेदन में दी गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 189वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
14वाँ प्रतिवेदन

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया) : मैं यह घोषणा करता हूं कि 27 जनवरी, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधि निवारण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 1975 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार तथा पास करना ।

(2) वर्ष 1975–76 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (नागालैंड) और वर्ष 1975–76 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (पांडिचेरी पर चर्चा तथा मतदान ।

[श्री के० रघुरामैया]

(3) आसाम सिल्लीमेनाइट लिमिटेड (रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1976 पर विचार तथा पास करना ।

(4) आज की कार्य सूची से न निपटाये गये सरकारी कार्य की किसी मद पर चर्चा ।

(5) अध्यादेशों के प्रतिस्थापन हेतु निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पास करना तथा उनके निरनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्पों पर चर्चा :

(i) प्रेस परिषद् (निरसन) विधेयक, 1976

(ii) संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन, विधेयक, 1976

(iii) आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक, 1976

(iv) दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(v) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(6) निम्नलिखित पर विचार तथा पास करना :

(i) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) विधेयक, 1976

(ii) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

निर्माण, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 58वें तिवेदन से, जो 22 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 58वें प्रतिवेदन से, जो 22 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैण्ड), 1975–76
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (NAGALAND), 1975-76

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं वर्ष 1975–76 के लिए नागालैंड राज्य की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (पाँडिचेरी), 1975-76
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY) 1975-76

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं वर्ष 1975–76 की पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

प्रेस परिषद् (निरसन) विधेयक
PRESS COUNCIL (REPEAL) BILL

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 का निरसन और उससे सम्बन्धित कतिपय विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 का निरसन और उससे सम्बन्धित कतिपय विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

प्रेस परिषद् (निरसन) अध्यादेश के बारे में विवरण
STATEMENT RE. PRESS COUNCIL (REPEAL) ORDINANCE

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रेस परिषद् (निरसन) अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक
INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

विधेयक राष्ट्रपति द्वारा 25 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित भारतीय रेल (संशोधन) अध्यादेश, 1975 को प्रतिस्थापित करेगा ।

अनुभव से पता चला है कि कभी-कभी कुछ क्षेत्रों में माल डिब्बों से माल तुरन्त नहीं उतारा जाता और माल गोदामों से माल तुरन्त नहीं हटाया जाता । माल गोदामों में अधिक माल पड़े रह जाने

के कारण माल डिब्बों को यार्ड में रोकना पड़ता है । इन गोदामों में माल पड़ा रह जाने के कारण भरे हुए माल डिब्बे मार्ग में रोक दिये जाते हैं और नये माल की बुकिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है । इसके अतिरिक्त माल को स्टेशनों से न हटाने या धीमी गति से हटाने से बाजार में उन वस्तुओं की कमी भी हो जाती है ।

दावा न किये गये माल को निपटाने की सामान्य प्रक्रिया भारतीय रेल अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 55(2) में दी गई है । इन धाराओं में दी गई प्रक्रिया के अनुपालन में अधिक समय लगता है और उस माल की नीलामी करने में 4 से 6 सप्ताह तक लग जाते हैं । वर्तमान कानून के अन्तर्गत प्रशासन उस माल को सार्वजनिक नीलामी के अलावा किसी अन्य ढंग से नहीं निपटाया जा सकता ।

अब इस विधेयक से केन्द्रीय सरकार को वे शक्तियां दी जायेंगी जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार कुछ स्टेशनों को अनुसूचित करेगी जहां माल तीव्र गति से निपटाया जा सकता है । यदि वह माल एक सप्ताह के अन्दर न हटाया गया तो सरकार उसका निपटान कर देगी । उचित व्यापार के हित की रक्षा के लिए विधेयक में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है । आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किया गया है । । इस समय केवल 14 स्टेशनों को अनुसूचित किया गया है । विधेयक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग असाधारण स्थिति में किया जायेगा जब कोई व्यक्ति माल डिब्बों का दुरुपयोग गोदामों के रूप में करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : This Bill is a step in the right direction. While supporting the Bill, I want to draw the attention of the Hon. Minister towards certain facts.

It has been provided in the Bill that if a trader does not remove his goods within seven days, the goods will be auctioned on a certain fixed date after the expiry of seven days period and the owner of the goods will be entitled to receive the price or the sale proceeds of such goods after payment of charges due to the railways. This is somewhat lenient provision. What is desirable is that after seven days the trader should not get anything and demurrage should be charged from him. This is the only way to set right these profiteers.

In regard to auction it should be ensured that the work is entrusted to honest officers. If it is entrusted to corrupt officers then the purpose of the Bill will not be achieved. As per the provisions of this Bill the Officers concerned will intimate the Central Government, representatives of the State Government and District Magistrate about the auction. It is not understood how they will keep coordination among themselves. The Hon. Minister should clarify the position in this regard.

Some provision should have been made in the Bill to punish the owner if he does not turn up to remove the goods so that he does not dare to indulge in such anti-social activities.

This Bill is quite good intentioned. But this will not be enough. We have seen in the past that mere good intention does not serve the purpose if the law is not properly implemented. The Railway Minister should ensure proper implementation of this law. Otherwise it will remain confined to the statute book and the dishonest traders will continue to fleece the people.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : I support this Bill. The Railways Act was enacted in 1890. There is necessity to review all these old rules and acts and enact fresh ones

for the convenience of passengers, common people and government officials. It would have been better if this Bill had been brought earlier so that the Railways had not to suffer the lossess that they had suffered so far.

Today due to connivance between railway employees and traders, the latter allow their goods lying at the stations and do not take delivery thereof resulting in piling up of stock at stations. There is not much space at the stations and Government also do not have adequate number of wagons. All these results in scarcity of goods in market and rise in prices of commodities.

If any goods reach late at the destination or if the trader has not been informed about the arrival of goods then who will be held responsible ? Justice demands that in either case the trader should not be penalised. Not only that, the Railways should also compensate the trader for the loss suffered by him due to late arrival of goods.

As regards wagons, earlier there were 25 workshops. But now their number has gone down. One will like to know why this has happened.

It has been our experience that howsoever good intentioned a Bill might be, it does not serve any purpose if it is not properly implemented .Therefore it is necessary to ensure that it is promptly and properly implementd. If this is ensured there is no reason why the Railways should suffer any loss. Since the Railways are national property it is our sacred duty to see that these are run properly.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Mr. Speaker, the amendment brought by the Railway Minister is very good. The railways have had to pay demurrage to the tune of crores of rupees every year because the Traders did not remove their goods in order to create scarcity and fleece the people. Therefore, there is great need for such an amendment and the Railway Minister has done a signal service to the country by bringing this Bill in the wake of emergency.

The Railway Act has become outmoded. The Railway Minister should think in terms of revising this Act thoroughly. I hope he would bring necessary amendment for this purpose.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : I support this Bill. It would have been better if it had been brought much earlier so that the Railways had not to suffer the loss that they have been doing so far.

It is not understood why this new scheme is being made applicable only to 14 stations it should have been extended to all big stations on all divisions where loading unloading of goods is done.

In the Bill, it is not clear whether the seven days will be counted from the day the wagon is taken to the siding or from the day the goods are unloaded and reach the good shed. This should be clarified by the Minister.

It is also necessary that when the goods arrive, the fact should be notified in local papers for the information of the traders mere putting up a notice on the notice board of the station is not enough.

Shri M. C. Daga (Pali) : The railways have been suffering big losses in goods transport ever since 1974, the traders prefer to send their goods through trucks because their service is quick. It is time attention is paid to this.

There is no need for this amendment. There is already provision in the Railways Act to achieve this object ; all that is required to be done is to make rules for that purpose.

There is need to replace the Railway Act by a new Act as the Railway Act has become quite outmoded.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpur) : I rise to support this Bill. The Rail way Act was framed by the Britishers who had left the country long back but the Act has not been changed so far. It is time that Act is thoroughly revised.

Every year the railways have to suffer big losses due to pilferage of goods. In Dum Dum area there is a place called Nawapara where pilferage is done openly. If a halt station is provided there, this can be stopped.

The Bill provides that the goods would be auctioned after seven days. While implementing this the Railways should bear in mind the difficulties of the people engaged in small and medium industries. Very often the goods reach the place but the railway receipt is not received. If the goods are auctioned in that case it would cause hardship to the small people. These things should be borne in mind.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, the Minister deserves to be congratulated for bringing this Bill which would stop the undesirable activitues of the traders.

There is no use saying that the period of seven days is insufficient. Our experience is that if the traders want that can remove their goods in no time and wherever they delay it is done intentionally with a view to creating scarcity and earning profit.

The Minister should ensure that this law is properly implemented.

The Minister of Railways (Shri Kamlapati Tripathi) : Sir, this Bill has a limited purpose. It has been brought in pursuance of the suggestion made by the Members to stop the undesirable activities of the traders who do not unload their goods and use the wagons as warehouses. This type of misuse of wagons results in congestion of various places.

A suggestion is made for a thorough revision of the Indian Railways Act, 1890. No doubt, that Act has become outdated and needs amendment. We are trying to do that. The Department is examining how this old Act can be changed so as to be able to serve in the new circumstances. But this work will take a long time. This is why we have brought this Bill to do something which is urgently needed.

All that this Bill seeks to do is to add clauses (b) to (e) to section 56 of the Act 1890 and these clauses lay down the procedure to be adopted for the removal of goods from the wagons sheds.

Attention is drawn to certain shortcomings in the working of the railways. Government would pay due attention to it and see how those shortcomings can be removed.

For the present this Bill has been made applicable only to 14 stations where congestion is heavy. The results so far achieved are very encouraging. In December, 25,000 wagons were loaded which is an all time record in the history of the railways. It is hoped that in course of time the fraud played by the traders on the railway would be completely stopped.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : हम अब विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री के नाम में खण्ड 2 के संशोधन संख्या 1 और 2 हैं । क्या वह इन संशोधनों को पेश कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधनों को पेश नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैं सभी खण्डों और अधिनियम सूत्र को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 2, 3, 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये मध्याह्न पश्चात् 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

---

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद मध्याह्न पश्चात् 2 बजकर 3 मिनट पर पुनःसमवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

Mr. Deputy Speaker in the Chair]

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक

Bonded Labour System (Abolition) Bill

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : बन्धित श्रम पद्धति आज भी हमारे समाज में विद्यमान है । यह पद्धति सामन्तशाही का प्रतीक है । देश का यह नैतिक कर्तव्य है कि इस पद्धति को समाप्त किया जाये । इस तरह के बंधनों के रहते हुए आजादी निरर्थक है ।

20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में बन्धित श्रम पद्धति के तुरन्त उत्सादन की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधान मंत्री ने उन लोगों की आकांक्षाओं को सामने रखा है जो हमेशा से उपेक्षित रहे हैं ।

इस पद्धति की मुख्य बातें सभी को ज्ञात हैं। एक गरीब किसान या खेतिहर मजदूर थोड़ा सा ऋण लेता है। क्योंकि उसे ऊंची दर पर ब्याज देना पड़ता है इसलिए वह ऋण की राशि को चुका नहीं सकता और वह राशि शीघ्र ही बड़ी बन जाती है। इस तरह उस की कई पीढ़ियां निरन्तर साहूकार की दास बन जाती हैं। इस तरह यह पद्धति सूदखोरी तथा सामन्तशाही द्वारा शोषण पर आधारित जो कि जीवन पर्यन्त चलती रहती है। बन्धित श्रमिक का अपना कुछ नहीं होता । वह सामन्तशाही की सम्पत्ति बन कर रह जाता है। अतः इस पद्धति के अन्तर्गत साहूकार श्रमिक पर न केवल अधिकार ही कर लेता है अपितु उसे मानवीय गुण से भी बंचित कर देता है ।

सभा को ज्ञात है कि सामन्तशाही ने उपनिवेशवाद के साथ मिलकर देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के शोषण को जन्म दिया। उपनिवेशवादी अपने देश में स्वदेशी बाजार के विकास को रोकने में रुचि रखते थे। अतः उन्होंने उस देश में सामन्तवादी आर्थिक व्यवस्था कर बनाये रखने में सहायता दी और उसे उकसाया। इस व्यवस्था का एक ज्वलन्त उदाहरण बन्धित श्रम पद्धति है।

राष्ट्रपति ने 24 अक्तूबर, 1975 को अध्यादेश जारी कर इस पद्धति को समाप्त किया अध्यादेश में उपबन्ध किया गया है कि बंधित श्रमिकों द्वारा लिया गया ऋण समाप्त समझा जायेगा। इस पद्धति को समाप्त करने के बारे में जो क्रियाकलाप किया जाये या इस पद्धति को जारी रखे वह इस अध्यादेश के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

इस अध्यादेश में यह भी उपबन्ध है कि जिला और सब-डिवीजनल स्तरों पर सतर्कता समितियां बनाई जायेंगी जिनमें विकास परियोजनाओं में कार्य करने वाले अधिकारी और ग्रामीण विकास कार्य करने वाले गैर-सरकारी व्यक्ति सदस्य बनाये जायेंगे। यह सतर्कता सुविधा सरकारी तंत्र को सलाह देंगी और बन्धित श्रमिकों को ऋण देने की उचित व्यवस्था तथा अन्य उत्पादन सम्बन्धी उपादान की व्यवस्था करने के बारे में उचित तरीके तैयार करेंगी ।

राज्य सरकारों को यह पहले ही बता दिया गया है कि बन्धित श्रम उत्सादन का कार्य केवल कानून बनाने में ही नहीं रहना चाहिए । यह जटिल प्रशासनिक समस्या है और सरकार विकास व्यवस्था राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज सुधारक अपने प्रयासों से इस समस्या का हल निकाल सकते हैं।

राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि स्वतंत्र हुए बन्धित श्रमिकों को स्वतन्त्र व्यवसाय अपनाने के लिए उन्हें अपेक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण दें। यदि भूमि उपलब्ध न हों तो इन श्रमिकों को मधुमक्खी पालन, हस्तकला उद्योग, बुनाई अथवा रेशम उत्पादन के लिए आवश्यक उपादान दिये जायें ।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जनता के दुर्बल वर्गों का आर्थिक और शारीरिक शोषण निवारित करने की दृष्टि से बंधित श्रम पद्धति के उत्सादन का और उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक

विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

''कि जनता के दुर्बल वर्गों का आर्थिक और शारीरिक शोषण निवारित करने की दृष्टि से बंधित श्रम पद्धति के उत्सादन का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।''

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : यह बात आश्चर्यजनक है कि देश में बन्धक मज़दूरी को चलने दिया गया, जबकि 1950 में संविधान द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था । यदि सरकार ने संविधान के उपबन्धों के अनुसार ग्रामीण मज़दूरों का अमानवीय ढंग से शोषण करने वाले साहूकारों के विरुद्ध कार्यवाही की होती तो ऐसे विधेयक पर यहां चर्चा करने की आवश्यकता ही न पड़ती ।

यह बंधक मज़दूरी की प्रथा इस कारण भी जारी रही कि सरकार जमींदारों और अमीरों को प्रोत्साहन देती रही है ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति आयुक्त ने इस प्रथा के प्रचलन के बारे में कम से कम 20 प्रतिवेदन जारी किये हैं। प्रतिवेदन में कुछ व्यक्तियों की चर्चा की गई है । इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से सरकार को किसने रोका है ?

बंधक मज़दूरों की प्रथा भारत में सदियों पुरानी है। यह ग्रामीण ढांचे से बंधी है और जब तक उस ढांचे को नहीं बदला जाता हम इस प्रथा को समाप्त नहीं कर सकते ।

इस विधेयक में कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं है । केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम को क्रियान्वित करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगी । अत: यह विधेयक बंधक मज़दूरों को मुक्ति की अपेक्षा सत्तारूढ़ दल के पक्ष में प्रचार अधिक कर रहा है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यह विधेयक स्वागत योग्य है । 20–सूत्री कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख भी है कि सामन्तशाही समाज को प्रजातांत्रिक तथा शांतिपूर्ण उपायों द्वारा सामंतशाह शोषण से मुक्त समाज में परिवर्तित किया जाये ।

असंख्य श्रमिकों ने महाजनों से ऋण लिये हैं और अपनी भूमि बंधक रखी है । यह मज़दूर उनके लिए काम भी कर रहे हैं पर उन्हें बंधक मज़दूरों में शामिल नहीं किया गया है । मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि इन लोगों को कैसे बंधक मज़दूरों में शामिल किया जाये ।

सभी वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकों तथा सभी सहकारी और वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों में समन्वय लाये बिना बंधक मज़दूरों को हम आवश्यक सामग्री, वित्तीय सहायता आदि देने में समर्थ नहीं होंगे ।

सरकार को शीघ्र ही उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहां के बंधक मज़दूरों को वह मुक्त करना चाहती है । शीघ्र ही वित्तीय संस्थानों की भी स्थापना करनी चाहिए ताकि श्रमिकों को जल्दी ही उनसे ऋण प्राप्त हो सके ।

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

सतर्कता समितियों को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इन समितियों में इस क्षत्र के संसद् सदस्य अथवा राज्य की विधान सभा के सदस्य, पंचायत अध्यक्ष और पंचायत सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

***श्री एम० कतामुतु** (नागापट्टिनम) : मैं सी० पी० आई० तथा अपनी ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक को बहुत पहले पेश किया जाना चाहिए था। बन्धक मज़दूर न केवल दास हैं बल्कि उनके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य शताब्दियों से दासों जैसा जीवन व्यतीत करने वाले इन लोगों को इस प्रथा से मुक्त करना है ताकि वे भी स्वतन्त्रता महसूस कर सकें।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक अच्छा विधान है फिर भी इसमें कुछ त्रुटियां हैं जो इस विधेयक के उपबन्धों के कार्यान्वयन में बाधक बन सकती हैं। 22 राज्य सरकारों तथा 9 संघ राज्य क्षेत्रों ने घोषणा की है कि उनके राज्य में कोई बंधक मज़दूर प्रथा नहीं है। यह बंधक मज़दूर प्रथा को अस्वीकार करने का अप्रत्यक्ष तरीका ही नहीं बल्कि प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण पहलू को कार्यान्वित करने से इन्कार करना भी है। यह प्रथा तमिलनाडु, बिहार तथा अन्य कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। विधेयक में उल्लेखित जबरदस्ती श्रम के 32 सिद्धान्तों के अतिरिक्त देश के कोने-कोने में कई अन्य प्रकार की प्रथायें भी प्रचलित हैं। देश में विद्यमान इस तरह की सभी प्रथाओं को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

मुक्त किये गये बंधित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है। अतः इन लोगों के पुनर्वास के लिए संवैधानिक उपबन्ध होना चाहिए। श्रम मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों को निदेश दिये जायेंगे और वे राज्य की योजनाओं में उनके पुनर्वास के कार्यक्रम को भी सम्मिलित करेंगे और राज्य की योजनाओं में इस कार्यक्रम के लिए उसी प्रकार से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। इससे उन लोगों के पुनर्वास की समस्या हल नहीं होगी। केन्द्रीय सरकार को उनके पुनर्वास की ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। विधेयक में इस प्रयोजन के लिए विशेष उपबन्ध होना चाहिए।

इस विधेयक में यह प्रस्ताव भी किया गया है कि सतर्कता समितियों की स्थापना ज़िला-स्तर और तहसील स्तर पर की जायेगी। जब राज्य सरकारों ने पहले से इस बात की घोषणा कर दी है कि उनके राज्य में बंधक मज़दूर प्रथा नहीं है तो न जाने वह इस विधेयक का क्रियान्वयन किस प्रकार करेंगी। केन्द्रीय स्तर पर एक सतर्कता समिति की स्थापना की जाये तभी केन्द्र सरकार इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से कुछ कह सकती है। मैंने कुछ संशोधन दिये हैं। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि न्हें स्वीकार करें।

श्री धरनीधर दास (मंगलदाई) : इस विधेयक को लाने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। जमींदार तथा जागीरदार गांव की अर्थ व्यवस्था पर अनेक वर्षों से कब्ज़ा जमाये बैठे हैं। जमींदारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में दासता को जन्म दिया है। ये बंधक मज़दूर इनके दास मात्र रहे हैं।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

इस विधेयक का उद्देश्य बंधक मज़दूर प्रथा को समाप्त करना है। खेतिहर श्रमिक बंधक श्रमिक हैं। खेतिहर मज़दूर की प्रतिदिन की आय बहुत कम है। अत: इस बंधक श्रम पद्धति में आर्थिक विवशता का तत्व निहित है। इस पद्धति की जड़ें कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था में हैं। जब तक हम इस अर्थ व्यवस्था को नहीं बदलते इस पद्धति का उन्मूलन नहीं होगा।

बंधक मज़दूर के पुनर्वास का भी प्रावधान किया गया है लेकिन एक सामन्तशाही अर्थ व्यवस्था में उनका पुनर्वास कैसे किया जा सकता है। प्रतिदिन भूमिहीन श्रमिकों की संख्या बढती जा रही है लेकिन उनकी व्यक्ति आय कम होती जा रही है। अत: कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है।

सतर्कता समिति के गठन के बारे में भी व्यवस्था की गयी है। अकेले नौकरशाही इसका क्रियान्वयन नहीं कर सकती। खेतिहर मज़दूरों और आम जनता को भी निहित स्वार्थों का सामना करना होगा। सतर्कता समिति के स्थान पर क्रियान्वयन के लिए एक समिति होनी चाहिए जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : I whole-heartedly welcome this Bill. This measure should have been introduced immediately after independence. The bonded labour is found almost in all the States. But how can this system be abolished ? How can you rehabilitate a freed bonded labour? There is 94 per cent landless labour in the villages and they have no regular means of subsistence and it is out of economic compulsion that they have to offer their labour. Provision has been made in this Bill that Committees and sub-committees will be constituted which will include three members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The number should be increased from three to five.

The bonded labour will get Rs. 5/- as wage. This rate is too inadequate. It should be increased to Rs. 7 or 8. Adequate steps should also be taken to obtain employment for them so that they could maintain themselves.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : The Government deserve all the praise for introducing this Bill which seeks to eliminate exploitation of human beings by human beings. While we talk about socialism, we have to eradicate such traditions and we have to set up new conventions which granted equal rights to all human beings. This Bill propose to abolish the system of bonded labour and from that view point, this Bill is really a progressive legislation. How adequate attention has to be paid to the practical difficulties of this section of community. Effective steps have got to be taken for procuring adequate means of livelihood to these people. Rural Banks should advance loans to them liberally so as to enable them to carry on their vocations.

There is a provision in the Bill for setting up Vigilance Committees but they must include the representatives of bonded labour . Then only this measure will be implemented successfully.

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : अन्ना द्रमुक की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया है कि तमिलनाडु में बंधक मज़दूर बिल्कुल नहीं हैं। यह एकतरफ़ा जानकारी जो द्रमुक सरकार ने दी है, वास्तव में पूरे तंजावूर ज़िले में बंधक मज़दूर प्रथा प्रचलित है तथा मदुराई, रामनद, तिरुनेलवली, तिरुची और चिंलगपट के कुछ भागों में भी यह विद्यमान है। अत: भारत सरकार इसके लिये एक जांच आयोग की नियुक्ति करे। तमिल नाडु सरकार ने गलत जानकारी देकर केन्द्र को गुमराह किया है।

बहुत पहले से हम सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं कि भारत सरकार एक अखिल भारतीय कृषि ग्रामीण ऋणग्रस्तता निवारण अधिनियम बनाये और लागू करे। जब तक ग्रामीण ऋणग्रस्तता समाप्त नहीं होती, इस बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता। अत: भारत भर में ग्रामीण ऋण-

[श्री के० मायातेवर]

ग्रस्तता को समाप्त करने वाला एक विधेयक लाया जाये। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16 और 17 के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर ग़रीबी और पिछड़ापन समाप्त किया जाये।

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराज नगर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। बहुत समय से हमें इसकी प्रतीक्षा थी। बंधुआ श्रमिक के विषय में कई बार चर्चा हुई है। इस बारे में सरकार की यही धारणा थी कि इस समस्या का समाधान राज्य सरकारों को करना होगा। राज्य सरकारों ने इस विषय पर कानून बनाए हैं। गुजरात ने 1948 में इस पद्धति का उन्मूलन कर दिया, राजस्थान ने 1961 में, उड़ीसा ने 1966 में, केरल ने 1972 में इस बारे में कानून बनाए। यह प्रथा कानून के अभाव में नहीं चल रही थी। जब हमने सुझाव दिया कि केन्द्र इस कार्य को अपने हाथ ले तो हमारी बात को सुना नहीं गया। भाग्यवश अब आपात स्थिति के दौरान हमारी प्रधान मंत्री ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है।

इस विधेयक में कई त्रुटियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। यदि इसके क्रियान्वयन का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए तो यह समस्या कभी हल नहीं होगी। अतः केन्द्र सरकार को इस अधिनियम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए।

इन बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इनका पुनर्वास करने के लिए वर्तमान योजना का उपयोग किया जा सकता है। मेरे विचार में यह पर्याप्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार को एक पुनरीक्षा समिति बना कर इसमें मिलकर कार्य करना चाहिए।

आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कुछ पद्धतियों का उल्लेख किया है लेकिन इन्हें बंधुआ श्रम पद्धति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह पद्धतियां भी इस विधेयक में शामिल की जानी चाहिएं। जब तक बंधुआ श्रमिकों की आर्थिक दशा में सुधार नहीं होगा तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं है। सरकार को इन लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए विशेष उपबंध करने चाहिएं क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के हैं।

श्री गिरधर गोमांगो (कोरापुट): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। धुआ श्रम पद्धति देश के कई भागों में अभी भी व्याप्त है विशेषकर आदिवासी समुदायों में तो बहुत प्रचलित है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों का बहुत शोषण किया जाता है क्योंकि ये लोग बहुत भोले भाले होते हैं। जब कभी सर्वेक्षण किया जाता है तो यह लोग भाषा की समस्या के कारण अपने विचारों को भी प्रकट नहीं कर पाते। कई बार तो भय के कारण भी नहीं बताते कि वह जमींदार या साहूकार के यहां बंधुआ श्रमिक के रूप में बेगार करते हैं। यदि योजना बजट में कुछ उपबंध हो जाएं और यदि हम शोषकों के विरुद्ध गम्भीर और कठोर कार्यवाही करें तो हम उनका पुनर्वास कर सकते हैं। उनके क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि इन शोषकों को पकड़ने और इन्हें दण्ड देने के लिए विशेष नियम नहीं बन जाते। शोषकों को किसी न किसी तरह पकड़ने के लिए अलग से विधान बनाया जाना चाहिये। हम इस संबंध में समितियां बना सकते हैं और समितियां विस्तार में इसकी जांच कर सकती हैं। लेकिन समिति के प्रतिवदन प्राप्त होने पर कोई कार्यवाही की जाएगी इस बारे में मुझे तनिक संदेह है क्योंकि सरकार ने अनुसूचित जातियों और अ सूचित जनजातियों के लिये आयोग

बनाए और विभिन्न राज्यों ने विभिन्न अधिनियम भी पारित किये । फिर भी यह पद्धति देश के विभिन्न भागों में अभी तक व्याप्त है ।

मंत्री महोदय को अपने मंत्रालय के कार्य के सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही करनी चाहिए । गृह और वित्त मंत्रालयों से सम्बन्धित कार्य उन मंत्रालयों में किया जाना चाहिए । यह सराहनीय है कि वर्षों पुरानी बन्धित श्रम पद्धति इस विधान से समाप्त हो जाएगी लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि इसका यथार्थत: उन्मूलन हो जाए ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome this Bill and it deserves all support. This system of bonded labour is in practice since the Aryan times. Later on it was adopted by Maharajs and money lenders. Harijans were kept like slaves. A provision has been made in the Bill that labourers will not be deprived of their houses when the bonded labour is abolished, but there is no provision for giving lands to those who are landless. Arrangements have to be made to obtain employment for them so that they can maintain themselves. They should be given all facilities for taking to agricultural production.

Laws are enacted but they are not implemented properly. Adequate attention must be paid to the implementation of the provisions contained in this Bill. There is a provision for constituting committees, but only non-officials should be appointed as their chairmen. These committees should have powers of police so that they can take action against the persons indulging in excesses. If government are keen on helping these people they should see that Cooperative Banks advance adequate funds to each labour so that he can set up his own livelihood.

Shri Anadi Charan Das (Jajpur): Mr. Speaker, Sir, this Bill, which seeks to abolish the system of bonded labour, is a very progressive legislation. This system is mainly prevalent amongst poor Harijans and tribal communities. Like slave system in America there is Gothi system in Orissa. We wanted to abolish this system. Many a times we have gone to jail also for it. In spite of the Gothi abolition regulation this system is still prevalent there.

The Gothis or bonded labour when he is set free should be issued a certificate for 5 years in order to certify that he was a bonded labour. Government should start a compaign to set free the bonded labour. After they are set free they should be given all facilities so that they can rehabilitate themselves. Measures should also be taken to see that they are not harassed or exploited by money lenders or bureaucrats.

The work of emancipating bonded labour should be entrusted to a parliamentary organisation and political parties. It is commendable that government is going to enact a legislation that will ameliorate their condition, but they should pay more attention to its implementation.

Shri M. C. Daga (Pali): Poverty is the root cause of all evils. Therefore it should be eliminated unless this is done all our efforts to uplift our weaker and vulnerable sections in our village will not succeed. I feel that too many powers have been vested in the hands of district magistrates powers should also be delegated to block development officers and village level workers.

Under this Bill although the offence of keeping bonded labour is made a cognizible offence it has been made bailable. This should be made non-bailable. I, however, feel that this Bill will merely remain in the statute book unless earnest and vigorous efforts are made to implement it.

Shrimati Sahodra Bai Rai (Sagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome this Bill. The object of this Bill is to abolish the bonded labour system. The evil of bonded labour is still very much there in the villages. Even now there are cases when poor persons and landless labourers are forced to work for rich farmers and they are not paid their due wages. Any protest from the workers community is strongly resented and they are threatened .

Although wages have been fixed for various types of workers in the rural areas, but the fact remains that they are not paid their legal wages because in many cases it is beyond the capacity of landed peasentry to pay that much of wages. Since there are no industries in the area they don't have any alternative.

The condition of women worker is particularly deplorable. Their wages are no fixed and the working conditions are very miserable. Government should look into and all efforts should be made to ameliorate their lot.

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और बंधुआ श्रमिक के पुनर्वास तथा उनकी मुक्ति के संबंध में अमूल्य सुझाव दिए।

बन्धुआ श्रमिक, जोकि इस विधेयक के परिणामस्वरूप मुक्त हो जाएंगे, की पुनर्वास समस्या के सम्बन्ध में सरकार न तो संकोच कर रही है और न ही मौन रहना चाहती है। तथ्य यह है कि इस समस्या के लिए राज्य सरकारों को उपाय करने हैं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 22, 32 इत्यादि का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय: हम विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Speaker in the Chair]

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : संविधान के अनुच्छेद संख्या 22 में सरकार को नागरिक के मौलिक अधिकारों को वापिस लेने अथवा कम करने का अधिकार है। अनुच्छेद संख्या 32 में नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता दी गई है। लेकिन सरकार ने अब यह स्वतन्त्रता भी छीन ली है। संविधान लागू होने से पहले देश में जमींदारी प्रथा भूस्वामित्व और सामन्तशाही पद्धति के उन्मूलन की लोकप्रिय मांग थी और स्वतन्त्रता के बाद श्रमिकों में उद्योगपतियों, मिल मालिकों और पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़ने का नया जोश आया। परिणामस्वरूप देश में कई लोकप्रिय आन्दोलन हुए और इस संदर्भ में इन आन्दोलनों के नेताओं के विरुद्ध नजरबन्दी निवारण कानूनों का प्रयोग किया गया। अधिकतर साम्यवादी दल कृषक आन्दोलन तथा कार्मिक संघ आन्दोलनों के नेता इस नजरबन्दी निवारण कानून के शिकार हुए।

राज्य सरकारों में, जो कि इस लोकप्रिय आन्दोलन का सामना करने में असमर्थ थी, केन्द्र सरकार को इस नजरबन्दी निवारण कानून बनाने का प्रस्ताव किया और इस प्रकार संविधान में यह भयावह उपबन्ध समाविष्ट किया गया। सरकार एक ओर तो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर रही है और दूसरी ओर अनुच्छेद 22 के द्वारा उन अधिकारों को वापिस ले रही है साथ ही राज्य सरकारों को इस बारे में कानून बनाने के लिए यह शक्ति भी प्रदान कर रही है कि वह किसी भी नागरिक को तीन महीने तक नजरबन्द रख सकती है बाद में इस अवधि का विस्तार किया जाता रहा। अब सत्तारूढ़ दल को नागरिकों के मूल अधिकारों को कम करने की शक्ति प्राप्त है।

सरकार ने कई प्रतिपक्षी दल के नेताओं और संसद सदस्यों को नजरबन्द रखा हुआ है। इस उपबन्ध के अन्तर्गत हजारों नागरिकों को जेल में डाला गया है। हमारा यह अनुभव है कि नजरबन्दी निवारण कानूनों का प्रयोग वास्तव में समाज विरोधी तत्वों अथवा ऐसे वर्गों जैसे जमाखोरों और चोर बाजारियों के विरुद्ध नहीं किया जा रहा बल्कि राजनीतिक दल के नेताओं के प्रति किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के नाम पर आपने कई राजनीतिक नेताओं को नजरबन्द रखा हुआ है विशेषकर

हमारे दल के कई लोगों को नजरबन्द रखा हुआ है। जमाखोर और चोर बाजारियों जिनको आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था उन्हें 10—15 दिन के भीतर रिहा कर दिया गया लेकिन हमारे दल के कई लोग अभी भी नजरबन्द हैं। इसीलिए मैं इस विधेयक का विशेष कर इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

यद्यपि कई राज्यों में भूमि वितरण और भूमि सुधारों सम्बन्धी विधेयक वर्ष 1953–54 में पास कर दिए थे तो भी 1967 तक इनका क्रियान्वयन नहीं किया गया। 1967 के बाद जब अधिकांश राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सत्ता खो दी और प्रतिपक्षी दल सत्ता में आ गया तभी भूमि वितरण के प्रश्न पर विचार किया गया और कुछ कार्यवाही की गई।

यद्यपि सम्पत्ति के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत रखा हुआ है तथापि हम चाहते हैं कि इस अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत नहीं रखा जाना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि कोई ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिसके द्वारा भूमि वितरण सम्बन्धी मामलों में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा सिविल न्यायालय हस्तक्षेप न कर सकें। यही अनुच्छेद 32 में संशोधन का मुख्य उद्देश्य है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में सरकारी अधिकारियों को उनकी सेवा की गारन्टी दी गई है। परन्तु उसी अनुच्छेद के परन्तुक में कहा गया है कि किसी भी प्रकार कोई जांच किये बिना और कोई कारण बताये बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी सरकारी अधिकारी को अपना बचाव करने का अवसर दिये बिना नौकरी से निकाल सकता है। इस उपबन्ध की आड़ में सैकड़ों सरकारी अधिकारियों को निकाला जा रहा है।

किसी भी सरकारी अधिकारी को बचाव का पूरा अवसर दिये बिना नहीं निकाला जाना चाहिये। आपात स्थिति की आड़ में हजारों राज्य और केन्द्र सरकार के कर्मचारी निकाल बाहर किये गये हैं। यह अलोकतांत्रिक और सिद्धान्तहीन बात है। इसके साथ ही यह नागरिकों के मूल और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। संविधान का यह उपबन्ध काला उपबन्ध है। अतः मैं चाहता हूं कि अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत इन उपबन्धों का लोप किया जाना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : विपक्ष इस विधेयक के सम्बन्ध में दो विरोधी रुख अपना रहा है। एक मामले में वह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कम करना चाहते हैं और इसके अतिरिक्त वे चाहते हैं कि राज्यपाल, राष्ट्रपति और किसी सम्बद्ध अधिकारी को कुछ कहने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

प्रश्न यह है कि लोकतंत्र और विचारों की स्वतन्त्रता के हित में हमारे अधिकारों की किस सीमा तक सुरक्षा की जाये। इन अधिकारों के उपयोग की सीमा जिम्मेदारी के साथ निर्धारित की जानी चाहिये। यदि चरित्र हनन होता है, प्रतिदिन गड़बड़ी मचाई जाती है और लोकतांत्रिक पद्धति को छिन्न-भिन्न किया जाता है तो कुछ अंकुश लगाने ही होंगे।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए]
[Shri C. M. Stephen in the Chair]

मैं इस विधेयक का विरोध इस कारण करता हूं कि यह दुराशयपूर्ण है तथा इससे 20 सूत्री कार्यक्रम के लागू होने में बाधा पड़ेगी।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Sir, I rise to oppose the Bill. The opposition has taken a dual stand. On the one hand, they want that the jurisdiction of the courts should be curtailed and on the other they want that the right of an individual should be upheld.

We must remember that Constitution is for the people and not people for the Constitution. Whenever the Constitution proves a hurdle in the way of implementation of progressive and radical policies of the State, it has got to be amended.

What has been our experience with the courts? All radical measures like Bank Nationalisation and Abolition of Privy Purses were challenged in the court. And every sort of impediment was put in the way of implementation of the socialistic policies. I, therefore, want that all obstacles legal or otherwise, should be removed expeditiously.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सैय्यद मोहम्मद): मैं इस विधेयक के प्रत्येक खण्ड का विरोध करता हूं ।

अनुच्छेद 22 के प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद के खण्ड 4; 5, 6 और 7 का लोप करना है । यह स्पष्ट है कि यह नागरिक स्वतन्त्रता और लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु किया जा रहा है । परन्तु इस पर विचार करने के बाद यदि इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया तो इसके विपरीत परिणाम होंगे । अनुच्छेद 21 और 22 एक साथ पठित हैं । अनुच्छेद 21 में नकारात्मक रूप में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम के सिवाय अन्य किसी ढंग से किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जायेगी ।

यदि अनुच्छेद 22 के खण्ड 1; 2, 3, 4 और 5 को एक साथ ध्यान में रखा जाये तो हमें पता चलेगा कि खण्ड 4 और 5 का उद्देश्य किसी व्यक्ति की रक्षा करना है यद्यपि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्राधिकारियों को किसी व्यक्ति को वैध कानून के अन्तर्गत नजरबन्द करने का अधिकार प्राप्त है । अब इस संशोधन का उद्देश्य, जिसे सरकार स्वीकार नहीं कर सकती, नागरिक को प्रदत्त सुरक्षा को वापस लेना है । सरकार इस संशोधन को, जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा से वंचित रखने वाला है, स्वीकार नहीं कर सकती ।

अनुच्छेद 32 में प्रस्तावित संशोधन का सार यह है कि ऐसे मामलों में जहां किसी भूमि विधान के कारण भूमि सरकार के अधिकार में हो वहां अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत कार्यपालिका द्वारा जारी किये गये आदेश को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती । ऐसा आदेश काश्तकार के पक्ष में भी हो सकता है और उसके विरुद्ध भी । इस संशोधन से काश्तकार कार्यपालिका की दया पर निर्भर हो जायेंगे । सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकती ।

अनुच्छेद 311 के उपबन्धों पर जिनमें संशोधन किया जाना था, उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और उसे वैध करार दिया गया है । इन्हें संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं । इन परिस्थितियों में प्रस्तावित संशोधन विशेषकर अनुच्छेड 22 (5) और (6) नागरिकों के लिये अनिष्टकारी और अहितकारी हैं । माननीय सदस्य इस विधेयक को वापस ले लें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि नागरिकों को वैयक्तिक स्वतन्त्रता से वंचित क्यों किया गया है । हम देश के दुश्मन और किसी विदेशी के लिये कोई राहत नहीं मांग रहे हैं । हम देश के नागरिकों की स्वतन्त्रता को बचाना चाहते हैं ।

सरकार गरीब किसानों और कृषि मजदूरों को भूमि दे रही है । हम चाहते हैं कि इन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाये । इस आशय के संशोधन को भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया है ।

विधेयक पर चर्चा कल तक चलनी चाहिये ताकि मुझे यह बताने का अवसर मिल सके कि किस प्रकार इन साधारण लोगों और गरीब किसानों को धोखा दिया जा रहा है और अमीरों को संविधान में सुरक्षा प्रदान की जा रही है ।

श्री के० रघुरमैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सविधान (संशोधन) विधेयक पर आगे वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक पर आगे वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि (संशोधन) विधेयक

(धारा 1, 2 आदि का संशोधन)

EMPLOYEES PROVIDENT FUND AND FAMILY PENSION FUND (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Sections 1, 2, etc.)

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में बहुत सी खामियां हैं जिनके कारण देश के मजदूरों में भारी असन्तोष और अशान्ति व्याप्त है ।

कर्मचारियों और कार्मिक संघों ने कई बार मांग की है कि इसमें परिवर्तन किये जायें ताकि अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो और परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था और नई संकल्पनाओं के अनुरूप कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।

नियोजकों द्वारा भविष्य निधि अंशदान का भुगतान न किया जाना आये दिन की चर्चा बन गई है और वे भविष्य निधि की राशि का कार्य पूंजी के रूप में उपयोग कर रहे हैं और वे उसपर ब्याज नहीं देते हैं । इसलिए इसका भुगतान न करने की स्थिति में विधेयक में कठोर दण्डिक उपबन्ध करने का प्रस्ताव है और अध्यादेश को अधिकाधिक कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार कार्मिक संघों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक में यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि निश्चित अवधि समाप्त होने पर कुल देय राशि और उस पर ब्याज की राशि ली जायेगी । इससे कर्मचारियों को अधिक बचत करने और सरकारी कोष में अधिक राशि निवेश के लिए उनमें विश्वास पैदा होगा और उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा ।

जमा न की गई भविष्य निधि की राशि का अधिक अंशदान करने और उस पर अधिक ब्याज लगाने का भी सुझाव दिया गया है । यह भी व्यवस्था है कि 20 वर्ष की सेवा के बाद इस निधि में जमा की गई कुल राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। कर्मचारी को अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए यह व्यवस्था उसके लिए अधिक लाभदायक रहेगी । अंशदान की ऊंची दर और उस पर अधिक ब्याज से कर्मचारी अधिक बचत करेगा और वह स्वयं भी अधिक अंशदान देगा । इसके फलस्वरूप निश्चित अवधि के बाद कुल राशि बढ़ जायेगी । इससे कम आय वाले कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खाते में नियमित रूप से अधिक जमा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।

इस विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दस या अधिक कर्माचारी वाले प्रतिष्ठान भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आ जायेंगे ।

श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में शामिल करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । इस विधेयक में प्रस्ताव है कि कार्मिक संघ के अवैतनिक कार्यालय अधिकारियों को इस अधिनियम के निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाये । इससे अधिनियम के कार्यकरण तथा सम्पूर्ण कार्यव्यवस्था की सचेत पर्यवीक्षा हो सकेगी । इससे अधिकारियों का भ्रष्टाचार और कदाचार समाप्त होगा ।

बड़ौदा की प्रिय लक्ष्मी मिल को औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी अधिकार में ले लिया जाना चाहिये और फिर इस मिल को गुजरात राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए । भावनगर वेजिटेबल आयल प्रोडक्ट्स नाम का कारखाना बन्द कर दिया गया है । यह एक बड़ा कारखाना है । गुजरात सरकार ने इसे अपने अधिकार में लेने का सुझाव दिया है ताकि उसे राज्य सरकार स्वंय चला सके । लेकिन भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

हमारे यहां एक प्रतिदिन 100 मीटरी टन की क्षमता वाला एक साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लाट है । इसमें लगभग 1000 कर्मचारी काम करते हैं । इसे अब हानि तथा अन्य कई कारणों से बन्द कर दिया गया है । गुजरात सरकार ने इसे अपने हाथों में लेने और राज्य सरकार को इसे सौंपने का सुझाव दिया हैं, परन्तु भारत सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है ।

इन सब बातों का उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि इससे कर्मचारियों के लिए समस्यायें खड़ी होती हैं । उनकी जबरी छुट्टी की जाती है । उन्हें वेतन नहीं मिलता और उन्हें अपनी भविष्य निधि की देय धनराशि नहीं मिल रही है । कर्मचारियों के लिए इससे परेशानी खड़ी होती है और यूनिटों के बन्द किये जाने से वे बेरोजगार हो जाते हैं ।

इसी प्रकार आटोमोबाइल उद्योग में मन्दी है । जूट मिलों में हजारों मजदूरों की जबरी छुट्टी की गई है । यही हालत इंजीनियरिंग उद्योग की है । नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा चलाये जा रहे यूनिट भी संकटग्रस्त हैं और उनके बन्द होने की नौबत आ गई है । यह बहुत गम्भीर बात है ।

इस देश के लोगों का वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता। अर्थ-व्यवस्था सुधर नहीं रही है जैसा कि सरकार दावा करती है। इसके विपरीत यह बिगड़ती जा रही है। अतः ऐसी हालत में सरकार को एक प्रगतिशील विधान बनाना चाहिये। इन परिस्थितियों में बेहतर सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह एक सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधान है। मेरे कुछ सुझाव है जैसा कि भविष्य निधि की दर बढ़ाई जाये, ब्याज की दर बढ़ाई जाये, निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर भविष्य निधि की देय राशि वापस की जाये और ऐसा करने पर बड़े उपबन्ध किये जायें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि सरकार अधिनियम में इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : This Employees Provident Fund and Family Pension Fund Bill, 1974 has been brought forward with a laudable objective. It will be better if Government amends the Coal Mines Provident Fund Act alongwith this Bill. Goverr ment had said earlier that they proposed to bring forward a comprehensive Bill. It is not known what will be the attitude of the Government to the Bill—that is now under consideration but it requires to be made more comprehensive so as to incorporate several provisions of other Bills.

It can be noticed that the amount of arrears has not decreased in spite of the penalty provisions made in 1973. Government should take measures to remove the sickness of textile mills and realise the amounts of provident fund arrears from them.

A provision has been made in this Bill that the rate of contribution to the Provident fuus will be increased from 8 per cent to 10 per cent. But it is not known how far the penalty provision has been enforced. This provision should be strictly enforced.

There is a provision in the Bill that the interest will be paid at least at the rate of 9 per cent. But why can it not be raised to12 per cent which is the rate of interest on Provident Fund under the Compulsory Deposit Scheme?

The qualifying period for which employer's share can be taken is too long. It should be reduced to five years after which workers will be entitled to employer's share. There is no such provision in this Bill. The Bill should be amended to make this provision.

A provision should also be made in this Bill that officials of Workers' Unions can inspect Provident Fund Accounts with the same authority as is enjoyed by Provident Fund Inspectors. They should also be vested with the right to prosecute.

The provision for prosecution should be made more stringent. Fines should be imposed on defaulting employers. Wages Act should also be applied to them and the penalty provision should be strictly enforced. The Government can revise the draft of this legislation and if necessary, bring forth a more comprehensive legislation in its place.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : I support this Bill as well as what has been said by the hon. Member. His arguments are quite sound. In spite of the existing provisions for imposing penalty on defaulting employers, the position has remained the same and it is the employer, who is benefited by previous legislation. The Provident Fund Commissioners do not take stringent action against defaulting employers. There is not a single instance where it can be shown that exemplary punishment has been awarded. Timely action is not taken by the Department. Employers often misuse workers' money and declare closures or lockouts in the end. Workers do not get their money in times of need due to faulty procedure. There are no proper arrangements for inspection of provident fund accounts. Workers should be paid due interest on their deposits.

No provision has been made in tihs Bill to safeguard the morey of workers in the caseo closure or lockouts. Certificates should be issued to those factories which declare lockout, so that their property can be sold and arrears realised from the sale proceeds. A provision to this effect shou[d be included in the Bill.

There is a good deal of bunglirg in the matter of coal mines provident fund. A comy prehensive Bill should be brought forward with a view to providirg for an integrated machirer to manage the provident fund accounts of workers. Goverrmert should ttage effective measures to see that workers' money is safe and that they get their morey in times of need without any difficulty.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा पेश किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं । मेरे विचार में इस देश में विश्व के कई अन्य देशों में श्रमिकों के साथ सरकारी और जनता के स्तर पर सही व्यवहार नहीं किया गया है । अब समय आ गया है कि देश मे अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों और अच्छे औद्योगिक लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक व्यापक विधान में पेश किया जाये । मंत्री महोदय बार बार हमें वचन देते आये हैं कि इस आशय का एक विधेयक पेश किया जाने वाला है पर न जाने कब यह व्यापक विधान सदन के समक्ष लाया जायेगा ।

इस विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेने वाले पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि किस प्रकार नियोजक लोग कर्मचारियों के अज्ञान, अशिक्षा और पिछड़ेपन का लाभ उठाते रहे हैं । यह बड़े दुःख की बात है कि न तो राज्य सरकारों ने और न ही केन्द्र सरकार ने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कर्मचारियों तथा मजदूरों के साथ न्याय करने की दृष्टि से मामले पर शीघ्र और वास्तविक रूप से विचार किया है । सरकार का रवैय अभी भी कर्मचारियों की अपेक्षा नियोजकों के पक्ष में है ।

नियोजकों द्वारा बड़ा कदाचार किया जा रहा है । उनके पास न केवल कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि ही इक्ट्ठी हो रही है अपितु वह राशि कर्मचारियों को दी भी नहीं जा रही । इससे पहले कि कर्मचारी अपनी यह राशि प्राप्त कर सके नियोजकों द्वारा कारखाने और औद्योगिक यूनिट बन्द कर दिये जाते हैं और इस दौरान नियोजक लाये कर्मचारियों के अंशदान को हजम कर जाते हैं ।

भविष्य निधि-आयुक्त के कार्यालय का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है । कर्मचारियों का पैसा जमा है लेकिन उन्हें अपनी इस उचित बचत की राशि आवश्यकता के समय नहीं दी जाती अर्थात यदि वह अपने परिवार के सदस्यों की शिक्षा, स्वास्थ्य या चिकत्सा हेतु भविष्य निधि की राशि में से पैसा लेना चाहता है तो उसे नियोजकों अथवा भविष्य निधि आयुक्त के बहां से पैसा नहीं मिलता ।

केन्द्र सरकार को ऐसे औद्योगिक जैसा कि भावनगर वेजीटेबल प्रोडक्ट्स, भावनगर और कपड़ा मिलों जैसा कि प्रिय लक्ष्मी मिल बड़ौदा, को अपने अधिकार में लेकर गुजरात सरकार को दे देना चाहिये । मुझे पता चला है कि गुजरात सरकार ने पहले से ही केन्द्र सरकार को बताया है कि वह इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है ।

नियोजकों और कर्मचारियों के बीच कटु भावना बढ़ने देने की बजाय सरकार को इस सम्बन्ध में आगे बढ़कर शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये । आशा है कि श्रम मंत्री इस

मामले में व्यावहारिक तथा सही दृष्टिकोण अपनायेंगे और तीव्रता से कार्यवाही करेंगे ताकि ऐसा विधान पेश करने में गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से पहल किये जाने के बजाये सरकार की ओर से पहल हो ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं श्री मेहता द्वारा प्रस्तावित इस संशोधी विधेयक का समर्थन करता हूं । उन्होंने विधेयक में पूर्व अधिनियम की त्रुटियों को दूर करने और इसका क्षेत्राधिकार बढ़ाने का प्रयास किया है ताकि यह अधिनियम और अधिक सशक्त बन सके ।

यदि इस अधिनियम का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर 20 कर्मचारियों वाले संस्थानों के बजाये 10 कर्मचारियों वाले संस्थानों पर इसे लागू किया जाता है तो छोटी बचत का प्रयोजन कुछ हद तक हल हो जायेगा । दूसरे यदि कर्मचारी की कुल परिलब्धियों को अंशदान के लिये ले लिया जाये तो भी छोटी बचत में वृद्धि होगी । पांचवीं पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में हमने देखा है कि भविष्य निधि की राशि को किस प्रकार छोटी बचतों के अंग के रूप में समझा गया है । इससे न केवल अधिक संख्या में कर्मचारियों को लाभ होगा अपितु अंशदान की दर बढ़ाने से भविष्य निधि की राशि में भी वृद्धि होगी । अतः विधेयक के ये उपबन्ध केवल कर्मचारी वर्ग के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं अपितु राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त होगी जोकि राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है ।

जब अनिवार्य जमा योजना लागू की गई थी तो सरकार की ओर से यह कहा गया था कि यदि कर्मचारियों को अधिक धन उपलब्ध होगा तो वे उसे व्यय करेंगे और इससे मुद्रा स्फीति बढ़ जायेगी । अतः अनिवार्य जमा योजना लागू की गई । जमा की जाने वाली राशि पर 11 या 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाने लगा । वैसे कार्मिक संघों ने सरकार के इस निणय को पसंद नहीं किया था । किन्तु इससे मुद्रा स्फीति को रोकने में कुछ सहायता मिली है ।

दूसरी बात यह है कि संशोधी अधिनियम के ढाई वर्षों के बाद भी भविष्य निधि के प्रशासन को इस योग्य नहीं बनाया जा सका है जो कि स्थिति को भलीभांति संभाल सके । यह आवश्यक है कि इसके लिए समूचे तंत्र को मजबूत बनाया जाये । क्या कारण है कि बकायी राशियों में इतनी वृद्धि हो रही है ? सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये बकाया राशियां शीघ्र समाप्त हों और जो नियोजक इनके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाना चाहिए । उनके लिए दंड की व्यवस्था करने तथा उन्हें जेल भेजने के साथ-साथ उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए । यह गरीब श्रमिकों का पैसा है ।

इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण बात नहीं जोड़ी गई है । भविष्य निधि अंशदायी है । इसमें श्रमिक भी पैसा देता है और नियोजक भी । नियोजक को भी अपना अंश जमा करना होता है । इस संशोधनकारी विधेयक में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है । जब उद्योगों में जबरी छुट्टी, बंद अथवा तालाबंदी हुई है तो नियोजकों ने कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा

हजम कर लिया । इस तरह का कदाचार रोकने के लिए सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए ।

यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाया जाना चाहिए कि कर्मचारियों का धन नियोजकों द्वारा न हड़प लिया जाये । इसके लिए भविष्य निधि के मामले में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए । मंत्री जी को इस विधेयक के प्रति रचनात्मक रवैया अपनाना चाहिए । उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो विपक्षी दल के सदस्य का विधेयक है । यदि इसमें कुछ और सुधार करने की गुंजाइश हो तो ऐसा भी किया जाना चाहिए ।

श्री वयालार रवि : (चिरयिंकील) : मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं । आपात स्थिति के पश्चात भविष्य निधि कार्यालय ने भविष्य निधि की बकाया राशि को वसूल करने अदि में सराहनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है । गत वर्ष की तुलना में आपात स्थिति के दौरान 150 प्रतिशत से अधिक बकाया राशि को वसूल किया गया हैं । गत वर्ष ऐसे लगभग एक लाख मामले निपटाये गए थे किन्तु इस वर्ष 2.5 लाख ऐसे मामले निपटाए गए हैं । अतः इस संगठन में काफ़ी सुधार हुआ है । अब इस संगठन के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है ।

एक बड़ी कमी है, जिसका मैं यहां उल्लेख करता हूं । भविष्य निधि आयुक्त को छोटे-छोटे मामलों पर विचार करने या निर्णय लेने के लिए वित्त मंत्रालय जाना पड़ता है । यह संगठन एक स्वायत्तशासी निकाय है । आयुक्त को कुछ शक्तियां दी जानी चाहिएं ताकि वह अपने ही स्तर पर कुछ मामले निपटा सके और इस तरह समय की बरबादी न हो ।

यह विधेयक कर्मचारियों तथा उनके परिवार वालों के कल्याणार्थ है । 20 वर्ष की अवधि काफ़ी लम्बा समय होता है । मेरी समझ में नहीं आता कि बैंकों की तरह इस धन पर भी 9 प्रतिशत की दर से ब्याज क्यों नहीं दिया जाता ।

विधेयक में सहकारी क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के लिए सहकारी समितियां आधारभूत ढांचे के रूप में काम करती हैं । इन समितियों के अन्तर्गत इन लोगों को भी रखा जाना चाहिए । मेरा यह भी अनुरोध है कि कर्मचारियों में अनुशासन बनाया रखा जाये ताकि कार्मिक संघों के नेताओं से किसी तरह की शिकायत न हो । इस उद्देश्य के लिए इतने उप-कार्यालय क्यों खोले जा रहे हैं । किसी व्यक्ति पर मेहरबानी करने के लिए इतने कार्यालय नहीं खोले जाने चाहिएं । बंगाल या बम्बई जैसे नगरों में तो ठीक है क्योंकि वहां 1000 से 2000 तक अधिकारी हैं ।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि की बकाया राशियों को एकत्रित करने के लिए आर्थिक प्रयास किए जा रहे हैं । 31-3-72 को कुल बकाया राशि 20.66 करोड़ रुपये थी, जिसमें वस्त्र उद्योगों का हिस्सा 12.7 करोड़ रुपये था । 31-3-75 को यह राशि घटकर 19.34 करोड़ पये रह गई थी और वस्त्र उद्योग का हिस्सा भी घटकर

10.45 करोड़ पये रह गया । मैं इस मामले पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम के साथ बातचीत करने जा रहा हूं क्योंकि वस्त्र उद्योग में इसी का अधिकांश हिस्सा है । मुझे आशा है कि पुन: भुगतान की योजना को अंतिम रूप दे दिया जायेगा ।

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकार को कुछ उपक्रमों को किन्हीं शर्तों पर छूट देने की शक्ति प्राप्त है । लगभग 20 वर्ष पहले कुछ उपक्रमों को कुछ छूट दी गई थी और तब ऐसी बकाया राशियां अधिकतर बंगाल में थी । इन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और मुकदमे की सूचना दे दी गई है । किन्तु ये कम्पनियां संविधान के अनुच्छेद 226 का दुरुपयोग कर रही हैं । भविष्य निधि की बकाया राशि लेने के बारे में उन्होंने आयुक्त के सभी प्रयास विफल कर दिए हैं ।

यदि संविधान के अनुच्छेद 226 का उपयोग न किया होता तो सरकार ने पर्याप्त बकाया राशि एकत्रित कर ली होती । संविधान के अनुच्छेद 226 का अदूरदर्शिता से प्रयोग करने से एसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां न्यायिक संवीक्षा स्वयं प्रतिबंधित हो जायेगी । इस दिशा में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया तथा इसका समर्थन किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं । मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विधेयक की भावना तथा उसके उपबन्धों की सराहना की है । उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वह इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक पेश करेंगे और इसलिए उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं यह विधेयक वापस ले लूं ।

जब आवश्यकता पड़ती है तो किसी भी प्रयोजन के लिए कानून की व्यवस्था करनी पड़ती है । इस विधेयक का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके हितों को बढ़ाना है । सरकार को चाहिए कि वह स्वयं ऐसा करने में पहल करे ।

सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक पेश करेंगे, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं स्वयं वह व्यापक विधेयक तैयार कर रहा हूं और यथासंभव शीघ्र वह व्यापक विधेयक पेश कर दिया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : –

"कि श्री पी० एम० मेहता को कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री पी० एम० मेहता : मंत्री महोदय द्वारा सभा को दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं विधेयक को वापिस लेता हूं ।

सभापति महोदय : सभा मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 जनवरी, 1976/7 माघ, 1897 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday January 27, 1976/Magha 7, 1897 (Saka).